[2020] 6 एस. सी. आर 357

कविता कंवर

वी.

एमआरएस। पामेला मेहता और ओआरएस।

(2017 की सिविल अपील संख्या 3688)

19 मई, 2020

[ए. एम. खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी, जे. जे.]

विल-प्रोबेट ऑफ-ए विल डेट 20.05.2003 को चुनाव लड़ने वाले दलों की मां द्वारा निष्पादित किया गया था-उनकी उपस्थिति में टेस्टैट्रिक्स

छोटी बेटी-अकेली अपीलार्थी-टेस्टैट्रिक्स की मृत्यु हो गई

21.05.2006 और अपने पीछे दो बेटियाँ और एक बेटा छोड़ गए-उक्त वसीयत में, वसीयतकर्ता ने अपनी अचल संपत्ति का पूरा हिस्सा अपीलार्थी को दे दिया और वसीयत अपीलार्थी के तहत उसे प्रमुख लाभार्थी बना दिया और प्रोबेट की मांग करते हुए याचिका दायर की और जिसे ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने खारिज कर दिया-ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने साथ-साथ कुछ संदिग्ध पाए हैं।

ऐसी परिस्थितियाँ जो भौतिक हैं और जो अस्पष्ट बनी हुई हैं-ऐसी कुछ संदिग्ध परिस्थितियाँ, जो अन्य बातों के साथ-साथ स्थापित की गई हैं, वे हैं: क) निष्पादन की प्रक्रिया में वसीयतनामा के एकमात्र पुत्र और अन्य बड़ी विधवा बेटी को शामिल न करना।

वसीयत और संपत्ति के प्रमुख भाग से उनका बहिष्कार-ख) तकनीकी और कानूनी शब्दों के साथ वसीयत लिखने और निष्पादित करने का तरीका-ग) अपीलार्थी द्वारा की जाने वाली संपत्ति के निर्माण के बारे में कोई स्पष्टता नहीं थी-घ) गवाहों और अपीलार्थी के बयानों में विरोधाभास थे-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया: संपत्ति का अस्पष्टीकृत असमान वितरण विचाराधीन वसीयत बनाने से संबंधित दो प्रमुख कारकों से भ्रमित है: एक, प्रक्रिया में अपीलार्थी द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका और दूसरा, इस प्रक्रिया में वसीयतनामा के अन्य बच्चों का आभासी बहिष्कार-वसीयतनामा संपत्ति/अचल संपत्ति के भूतल पर रह रहा था और उसकी बड़ी विधवा बेटी प्रतिवादी नं। 1 पहली मंजिल पर रह रहा था-ऐसा कोई कारण नहीं था कि सामान्य और सामान्य रूप से, वसीयत में उसकी बड़ी विधवा बेटी को शामिल नहीं किया गया होता, विशेष रूप से जब उसकी बड़ी विधवा बेटी भी उसकी देखभाल कर रही थी-वसीयत में संपत्ति के निर्माण का प्रावधान अक्षम और अप्रवर्तनीय और बड़ी विधवा है।

बेटी को कुछ भी मिलने की संभावना नहीं है-इसका भी कोई सबूत नहीं है

वसीयतनामा और उसके बेटे के बीच तनावपूर्ण संबंध-जहां तक गवाहों को प्रमाणित करने का संबंध है, अपीलार्थी ने अपनी गवाही में जोर देकर कहा कि वसीयतनामा ने वसीयत की सामग्री पर चर्चा की

साक्ष्य देने वाले गवाहों ने लेकिन दोनों गवाहों ने लगातार कहा कि सामग्री पर उनके साथ चर्चा नहीं की गई थी-इसके अलावा, वसीयत के पृष्ठों की संख्या और उस संबंध में अपीलार्थी के अस्थिर रुख के बारे में भी विवाद था-एस के अनुसार। 81 उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार, यदि वसीयत के सामने कोई अस्पष्टता या कमी है, तो वसीयतकर्ता के इरादों के बारे में कोई बाहरी सबूत स्वीकार नहीं किया जाएगा-अपीलकर्ता संदिग्ध परिस्थितियों को स्पष्ट करने में विफल रहा इसलिए, इन संदिग्ध परिस्थितियों का संचयी प्रभाव यह नहीं कहा जा सकता है कि वसीयतकर्ता विचाराधीन वसीयत की सामग्री के अर्थ, तात्पर्य और प्रभाव से अवगत था और समझ गया था-विचाराधीन वसीयत की जांच नहीं की जा सकती-विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के कारणों और भौतिक निष्कर्षों ने पुष्टि की।

वसीयत-परिवीक्षा कार्यवाही-लिखित बयान दाखिल न करना-आयोजितः प्रोबेट कार्यवाही की प्रकृति और परिणाम से, किसी भी पक्ष द्वारा लिखित बयान या आपत्तियों को दाखिल करना या दाखिल न करना महत्वहीन हो जाता है और इसका कोई प्रभाव नहीं होता है-प्रोबेट कार्यवाही केवल अंतर-पक्षीय कार्यवाही नहीं है, बल्कि रेम में निर्णय की ओर ले जाती है और इसलिए, जब कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं करता है, तो यह वास्तव में प्रोबेट देने के लिए प्रेरित नहीं करता है। प्रोबेट केवल वसीयत के प्रमाण पर और संदिग्ध परिस्थितियों को हटाने पर भी दिया जाता है, यदि कोई हो, तो अदालत की अंतरात्मा की अंतिम संतुष्टि के लिए।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1. वसीयतनामा की वसीयतनामा क्षमता और मन की स्वस्थता पर कोई सवाल नहीं उठा है;

और उनकी लिखावट के साथ-साथ विचाराधीन वसीयत पर हस्ताक्षर भी विवाद से परे हैं। हालांकि, निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने साथ-साथ कुछ ऐसे संदिग्ध पाए हैं

ऐसी परिस्थितियाँ जो भौतिक असर वाली हों और जो अस्पष्ट बनी हुई हों। संक्षेप में कहें तो इस प्रकार पाई जाने वाली अस्पष्टीकृत संदिग्ध परिस्थितियाँ हैंः (क) कि अपीलार्थी, प्रमुख लाभार्थी, ने विचाराधीन वसीयत के निष्पादन में सक्रिय भूमिका निभाई और न्यायालय के समक्ष इस तथ्य को छिपाने का प्रयास किया; (ख) कावीता कंवर v. की प्रक्रिया में वसीयतनामा के एकमात्र पुत्र और अन्य पुत्री को शामिल न करने का कोई प्रशंसनीय कारण नहीं था।

एमआरएस। पामेला मेहता और ओआरएस।

वसीयत के निष्पादन और उन्हें विचाराधीन संपत्ति के प्रमुख हिस्से से बाहर करने के लिए; (सी) अपीलार्थी द्वारा किए जाने वाले निर्माण के बारे में कोई स्पष्टता नहीं थी; (डी) तकनीकी और कानूनी शब्दों के साथ वसीयत लिखने और निष्पादित करने का तरीका अत्यधिक संदिग्ध था; और (ई) कि सत्यापन करने वाले गवाह अविश्वसनीय थे और विरोधाभास थे। गवाहों के बयानों में। विभिन्न पूरक कारकों के साथ इन प्रमुख परिस्थितियों के कारण, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने मूल प्रश्न पर असंतोष महसूस किया कि क्या वसीयतकर्ता ने उसकी सामग्री को समझने के बाद प्रश्नगत वसीयत को विधिवत निष्पादित किया। [पैरा 27] [422-बी-ई]

2. इसमें कोई संदेह नहीं है कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा स्वयं ध्यान में रखे गए किसी भी कारक और

वसीयतकर्ता की इच्छा और प्रस्ताव, वसीयत को अदालत की मंजूरी नहीं मिल सकती है; और, दूसरी तरह से, अगर मामले के समग्र दृष्टिकोण पर, अदालत संतुष्ट महसूस करती है कि दस्तावेज़ विल वास्तव में अंतिम स्वतंत्र इच्छा और इच्छा [2020] 6 एस. सी. आर. को दर्शाता है।

वसीयतकर्ता की वसीयत और कानून के अनुसार विधिवत निष्पादित की जाती है, वसीयत को केवल एक संदिग्ध व्यक्ति के लिए अस्वीकार नहीं किया जाएगा।

यहाँ की परिस्थिति या वहाँ का कोई अन्य कारक। [पैरा 28] [422-ई-एच; 423-ए-बी]

3. संपत्ति का अस्पष्ट असमान वितरण वसीयत बनाने से संबंधित दो प्रमुख कारकों से भ्रमित है।

विचाराधीनः एक, प्रक्रिया में अपीलार्थी द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका; और दूसरा, अन्य बच्चों का आभासी बहिष्कार। प्रक्रिया में टेस्टैट्रिक्स। जैसा कि देखा गया है, इसके तहत लाभार्थी द्वारा वसीयत बनाने में एक सक्रिय या अग्रणी भाग को हमेशा संदेह को जन्म देने वाली परिस्थिति के रूप में माना गया है, लेकिन किसी भी अन्य परिस्थिति की तरह, इसे प्रस्तावक और/या लाभार्थी द्वारा अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। वर्तमान मामले में, यह विवाद में नहीं है कि वसीयतनामा के तीन बच्चों में से अकेले अपीलार्थी 20.05.2003 पर विचाराधीन वसीयत के निष्पादन के समय मौजूद था। जैसा कि देखा गया है, प्रासंगिक समय पर, अपीलार्थी लगभग 20-22 वर्षों से दूर और एक अलग इलाके में रह रहा था, जबकि वसीयतनामा कर्ता इमारत के भूतल पर रह रहा था और प्रतिवादी संख्या 1 पहली मंजिल पर था। भले ही यह न्यायालय शिमला में रहने वाले प्रत्यर्थी संख्या 2 के मामले को दरकिनार कर दे, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं था कि सामान्य और सामान्य रूप से, वसीयतकर्ता ने विचाराधीन वसीयत के निष्पादन में प्रत्यर्थी संख्या 1 को शामिल नहीं किया होता।

विशेष रूप से जब वह कथित रूप से प्रतिवादी संख्या 1 के कल्याण के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रही थी। दूसरे शब्दों में, यदि विचाराधीन वसीयत प्रत्यर्थी संख्या 1 को कोई पूर्वाग्रह पैदा किए बिना बनाई जा रही थी, तो ऐसा करने का कोई कारण नहीं था।

उसे इस प्रक्रिया से दूर रखें। मान लीजिए, विचाराधीन वसीयत का खुलासा लगभग तीन वर्षों तक नहीं किया गया था। इसलिए, वसीयत के निष्पादन के आसपास की अतिरिक्त विशेषता थी

प्रक्रिया से प्रतिवादी संख्या 1 का अस्पष्टीकृत बहिष्कार। [पैरा 29.3] [424-जी-एच; 425-ए-डी]
4. उपरोक्त के अलावा, विचाराधीन वसीयत बनाने में अपीलार्थी की सक्रिय भागीदारी को इनमें से एक के रूप में अलग नहीं छोड़ा जा सकता है -

इस कारण के लिए मामूली कारक कि अपीलार्थी ने वास्तव में यह सुझाव देकर निर्दोषता का चेहरा पेश करने का प्रयास किया कि वसीयतनामा ने उसके साथ वसीयत पर चर्चा नहीं की; कि वह इस बात से अवगत नहीं थी कि वसीयत का मसौदा किसने तैयार किया और इसे कहाँ टाइप किया गया था; और यह कि वह कविता कंवर बनाम।

एमआरएस। पामेला मेहता और ओआरएस।

वसीयत के बारे में केवल 20/21.05.2003 पर पता चला। अपीलार्थी ने यह भी कहा कि उसने गवाहों को नहीं बुलाया और

टेस्टैट्रिक्स ने खुद उन्हें बुलाया होगा। गवाह पीडब्लू-2 ने स्पष्ट रूप से यह बयान देकर अपीलार्थी का खंडन किया है कि 18.05.2003 पर, यह अपीलार्थी ही था जिसने उसे अपनी माँ के घर पर आमंत्रित किया था। इस प्रकार, अपीलार्थी ने इस तथ्य से बचने के प्रयास के अपने आचरण से कि वह वसीयत के निष्पादन से कम से कम दो दिन पहले वसीयत बनाने के बारे में जानती थी, वसीयत के निष्पादन में अपनी सक्रिय भागीदारी के कारण उत्पन्न होने वाले संदेह को केवल मजबूत किया है, जबकि वसीयतनामा के अन्य बच्चों को प्रक्रिया से बाहर रखा है। [पैरा 29.4] [425-डी-एफ]

5. इसके अलावा, हस्तलिखित भागों में "वसीयतनामा" और "सेट और सदस्यता" जैसी औपचारिक और कानूनी अभिव्यक्तियाँ होती हैं।

"मेरा हाथ", जो एक ऐसे व्यक्ति द्वारा नियोजित भाषा के उपकरण हैं जो ऐसे दस्तावेज़ के निष्पादन के लिए कानूनी प्रारूप और आवश्यकताओं से परिचित है; और, आम तौर पर, वसीयतनामा जैसे आम व्यक्ति से उनके साथ परिचित होने की उम्मीद नहीं की जाती है। प्रक्रिया से संबंधित संदिग्ध परिस्थितियों का यह समूह मौखिक साक्ष्य में विरोधाभासों के एक अन्य प्रमुख भाग द्वारा विचाराधीन दस्तावेज़ का निष्पादन अभेद्य समापन तक पहुंच जाता है। अपीलार्थी ने अपनी गवाही में कहा कि वसीयतनामा

प्रमाणक गवाहों के साथ वसीयत की सामग्री पर चर्चा की

लेकिन दोनों (पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3) ने लगातार कहा कि उनके साथ सामग्री पर चर्चा नहीं की गई थी। इस प्रकार, अपीलार्थी इस संदेह को दूर करने में विफल रहा है कि क्या प्रश्नगत दस्तावेज़ में (हाथ से और प्रिंट दोनों में) जो लिखा हुआ पाया गया है, वह ले जाता है और ले जाता है।

वसीयतनामा की अंतिम इच्छा व्यक्त करें। [परिच्छेद 29.5। 3 और 29.5। 4] [426 एफ-एच; 427-ए-बी]

6. और भी आगे बढ़ते हुए, जब इसकी मुख्य सामग्री

विचाराधीन दस्तावेज़ की जांच की जाती है, इस न्यायालय को जो लगता है वह कई अस्पष्ट संदेहों और अनिश्चितताओं की विविधता का एक और भार है। उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 81 के अनुसार, यदि वसीयत के सामने कोई अस्पष्टता या कमी है, तो वसीयतकर्ता के इरादों के बारे में कोई बाहरी सबूत स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस प्रकार, वर्तमान मामले में टेस्टैट्रिक्स के सच्चे इरादे से संबंधित सब कुछ है

प्रश्नगत वसीयत की सामग्री से ही एकत्र किया जाना। [पैरा 30] [427-सी] [2020] 6 एस. सी. आर.

और विचाराधीन वसीयत की सामग्री के अर्थ, उद्देश्य और प्रभाव को समझा। अपीलार्थी, जांच की मांग करते हुए, न केवल उपरोक्त संदिग्ध को हटाने और साफ़ करने में विफल रहा है लेकिन परिस्थितियों ने प्रत्येक संदिग्ध परिस्थिति को अधिक महत्व देने में भी अपनी भूमिका निभाई है। वसीयत

प्रश्न में किसी भी दृष्टिकोण से जांच नहीं की जा सकती है। [पैरा 31] [429-ई-एफ]

8. अभी भी एक और, और शायद मामले का सबसे भ्रमित करने वाला हिस्सा बचा है, जिसमें संदेह करने की कोई बात नहीं है कि विचाराधीन वसीयत की जांच के लिए प्रार्थना को केवल अस्वीकार किया जा सकता है। यह विचाराधीन वसीयत के कथित तीसरे पृष्ठ का जिज्ञासु मामला है और उस संबंध में अपीलार्थी का अस्थिर रुख है। [पैरा 33] [430-ए-बी] 9. विवादित फैसले में, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के इस तरह के रुख को देखा, जिसमें वसीयत के उसी विवादित तीसरे पृष्ठ पर भरोसा करने की मांग की गई थी और कहा गया था कि यह तीसरा पृष्ठ कभी नहीं था।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत; बल्कि जब प्रत्यर्थी संख्या 2 ने इसे पेश करने की मांग की, तो अपीलार्थी ने इससे इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि वसीयत का उक्त तीसरा पृष्ठ कभी नहीं था

विचारण न्यायालय के समक्ष साबित किया गया; और भले ही इसे मौजूद माना गया हो, संदिग्ध परिस्थितियों को दूर नहीं किया गया था।

[पैरा 34.2] [435-डी]

10. इसलिए, सभी संदिग्ध परिस्थितियों को सीमित करने के लिए, अपीलार्थी का उपरोक्त अस्पष्ट रुख, तीसरे के संबंध में

वसीयत का पृष्ठ और वसीयत के उक्त तीसरे पृष्ठ में "निर्देशों" के अनुसार कार्य करने का उसका दावा, प्रभावी रूप से

अपीलार्थी के पूरे मामले को नीचे तक खटखटाता है। ध्यान में रखे गए तथ्यों और कारकों के कारण उत्पन्न होने वाले संदेह

इसके पहले, के अप्राकृतिक बहिष्कार सहित संपत्ति से उत्तरदाता; अनिश्चित और बल्कि अनिर्णायक

प्रत्यर्थी संख्या 1 के प्रयोजन के लिए अपीलार्थी द्वारा निर्माण के बारे में शर्त; अपीलार्थी द्वारा इसमें निभाई गई सक्रिय भूमिका वसीयत का निष्पादन और फिर भी अपनी कविता कंवर बनाम के तथ्य से बचने की कोशिश करना।

एमआरएस। पामेला मेहता और ओआरएस।

अपूर्ण और अस्पष्ट बयानों द्वारा भूमिका; और गवाह भौतिक विवरणों आदि पर अपीलार्थी का खंडन करने के बाद, वे न केवल अस्पष्टीकृत हो गए हैं, बल्कि वसीयत के वसीयत के उक्त तीसरे पृष्ठ के संबंध में अपीलार्थी के इस तरह के अस्थिर रुख से भ्रमित हैं। [पैरा 36] [437-ए-सी]

11. विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के भौतिक निष्कर्षों की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त और ठोस कारण हैं कि

यह नहीं कहा जा सकता है कि वसीयतनामा निष्पादित किया और विचाराधीन दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए क्योंकि उसकी वसीयत को समझने के बाद

विषय-वस्तु का अर्थ, प्रभाव और उद्देश्य। [पैरा 37] [437-ई-एफ]

एच. वेंकटचाला अयंगर बनाम। बी. एन. थिमाजम्मा एयर

1959 एससी 443: [1959] पूरक। एससीआर 426; रानी पूर्णिमा देवी बनाम। कुमार खागेंद्र नारायण देब [1962] 3 एस. सी. आर. 195; श्रीमती. जसवंत कौर बनाम। श्रीमती. अमृत कौर और ओआरएस। (1977) 1 एससीसी 369: [1977] 1 एससीआर 925; शिवकुमार और अन्य। वी. शरणबसप्पा और अन्य। 2009 का C.A.No.6076

भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 24.04.2020 पर निर्णय लिया गया; बलराज तनेजा और अन्र। वी. सुनील मदन और अन्र। (1999) 8 एससीसी 396: [1999] 2 पूरक। एस. सी. आर. 258; लीला राजगोपाल और अन्य। वी. कमला मेनन कोचरान और ओआरएस। (2014)

15 एससीसी 570: [2014] 7 एस. सी. आर. 697-निर्भर।

चिरंजीलाल श्रीलाल गोआंका बनाम। जसजीत सिंह (1993) 2 एस. सी. सी. 507 [1993] 2 एस. सी. आर. 454; उमा देवी नांबियार और Ors.v।

टी. सी. सिधन (2004) 2 एस. सी. सी. 321: [2003] 6 पूरक। एस. सी. आर. 637; इंदु बाला बोस बनाम। मनिंद्र चंद्र बोस (1982) 1 एस. सी. सी. 20 [1982] 1 एस. सी. आर. 1188; सुरेंद्र पाल बनाम। डॉ. सरस्वती अरोड़ा (1974) 2 एससीसी 600: [1975] 1 एस. सी. आर. 687; बाबू सिंह और अन्य। वी. राम सहाय @राम सिंहः ए. आई. आर. 2008 एस. सी 2485: [2008] 7 एस. सी. आर. 250; गुरदियाल कौर और अन्य। वी. कर्तार कौर और ओआरएस। : [1998] 2 एससीआर 486;
पी. पी. के. गोपालन नांबियार बनाम पी. पी. के. बालकृष्णन

नाम्बियार और ओआरएस। : ए. आई. आर 1995 एस. सी. 1852: [1995] 2 एस. सी. आर. 585; बेंगा बेहरा और अन्र। वी. ब्रज किशोर नंदा और अन्य। : (2007) 9 एससीसी 728: [2007] 6 एससीआर 853; बी. वेंकटमुनी बनाम। सी. जे. अयोध्या राम सिंह और अन्य।

(2006) 13 एससीसी 449: [2006] 7 पूरक। एससीआर 787; जे. मैथ्यू और ओआरएस। वी. लीला जोसेफ (2007) 5 एमएलजे 740; बछाज नाहर बनाम। नीलिमा मंडल और अन्र।

(20

08) 17 [2020] 6 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एससीसी 491: [2008] 14 एस. सी. आर. 621; मधुर डी. शेंडे बनाम। ताराबाई अबा शेडगे (2002) 2 एस. सी. सी. 85: [2002] 1 एससीआर 13; जॉयस प्रिमरोज़ प्रेस्टर बनाम। वेरा मैरी वास

और ओआरएस। (2005) 8 एससीसी 67: [2005] 3 पूरक। एससीआर 719; पद्माकर पाटिल और अन्य। वी. रुक्मिणीबाई विष्णु वेखंडे और ओआरएस। (2003) 8 एससीसी 537: [2003] 2 पूरक। एस. सी. आर. 583; रवीन्द्र नाथ मुखर्जी और अन्र। वी. पंचानन बनर्जी और अन्य। (1995) 4 एस. सी. सी. 459; रामचंद्र रामबक्स बनाम। चम्पाबाई और ओआरएस। ए. आई. आर 1965 एस. सी. 354: [1964] एस. सी. आर. 814; राम प्यारी बनाम। भगवंत और ओआरएस। एयर 1990 एससी 1742: [1990] 1 एस. सी. आर. 813; मॉड्यूला इंडिया बनाम. कामाख्या सिंह देव (1988) 4 एस. सी. सी. 619: [1988] 3 पूरक। एस. सी. आर. 333; बी. वेंकटमुनि बनाम। सी. जे. अयोध्या राम सिंह और अन्य। (2006) 13 एससीसी 449: [2006] 7 पूरक। एससीआर 787; अपोलिन डिसूजा बनाम। जॉन डिसूजा एयर 2007 एससी 2219: [2007] 6 एस. सी. आर. 1103; दयानन्दी बनाम। रुक्मा डी. सुवर्णा और अन्य। [2012] 1 एस. सी. सी. 510; शशि कुमार बनर्जी और अन्य। वी. सुबोध कुमार बनर्जी और अन्य। ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 529-संदर्भित। राजेश चंद और
ओआरएस। वी. दयावती और ओआरएस। आईएलआर (1981) 2 दिल्ली 477; कृष्ण दास गुप्ता बनाम। राज्य ने

& ओआरएस 2012 एससीसी ऑनलाइन डेल 977-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1993] 2 एससीआर 454

संदर्भित किया गया है

पैरा

15.

[1959] पूरक। एससीआर 426

उस पर भरोसा करें

पैरा

15.2

[1982] 1 एससीआर 1188

संदर्भित किया गया है

पैरा

15.2

[1975] 1 एससीआर 687

संदर्भित किया गया है

पैरा

15.2

[1962] 3 एससीआर 195

उस पर भरोसा करें

पैरा

17.

कविटा कंवर बनाम। एमआरएस। पामेला मेहता और ओआरएस।

[1977] 1 एससीआर 925

उस पर भरोसा करें

पैरा

17.1

[2008] 7 एससीआर 250

संदर्भित किया गया है

पैरा

17.1

[1998] 2 एससीआर 486

पैरा

17.1

संदर्भित किया गया है

[1995] 2 एससीआर 585

संदर्भित किया गया है

पैरा

17.1

[2007] 6 एससीआर 853

संदर्भित किया गया है

पैरा

17.1

[2006] 7 पूरक। एससीआर 787

संदर्भित किया गया है

पैरा

17.1

[2008] 14 एससीआर 621

संदर्भित किया गया है

पैरा

18.2

[2002] 1 एससीआर 132

संदर्भित किया गया है

पैरा

18.4

[1996] 1 पूरक। एससीआर 268

संदर्भित किया गया है

पैरा

18.4

[2014] 7 एससीआर 697

उस पर भरोसा करें

पैरा

18.6। 2 .

(2014) 15 एस. सी. सी. 578

संदर्भित किया गया है

पैरा

18.6। 2

(2012) 4 एस. सी. सी. 387

संदर्भित किया गया है

पैरा

18.6। 2

[2007] 11 एससीआर 404

पैरा

18.6। 2

संदर्भित किया गया है

[2005] 3 पूरक। एससीआर 719

संदर्भित किया गया है

पैरा

18.6। 2

[2003] 6 पूरक। एससीआर 637

संदर्भित किया गया है

पैरा

18.6। 2 .

[2003] 2 पूरक। एससीआर 583

संदर्भित किया गया है

पैरा

18.6। 2

(1995) 4 एससीसी 459

संदर्भित किया गया है

पैरा

18.6। 2

[1964] एससीआर 814

संदर्भित किया गया है

पैरा

19.2

[1990] 1 एससीआर 813

पैरा

19.3। 3

संदर्भित किया गया है

[1999] 2 पूरक। एससीआर 258

उस पर भरोसा करें

पैरा

20.1

[1988] 3 पूरक। एससीआर 333

संदर्भित किया गया है

पैरा

20.1

[2006] 7 पूरक। एससीआर 787

संदर्भित किया गया है

पैरा

20.4

[2007] 6 एससीआर 1103

संदर्भित किया गया है

पैरा

20.5

(2012) 1 एस. सी. सी. 510

संदर्भित किया गया है

पैरा

20.6

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 368

2017 से।

उच्च न्यायालय के 27.06.2014 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2010 के एफ. ए. ओ. सं. 36 में नई दिल्ली में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कामिनी जैसवाल, अभिमन्यु श्रेष्ठ, श्रीमती रानी मिश्रा और जतिनेरपाल सिंह, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

अर्जुन हरकौली, प्रतीक गर्ग, सुश्री आरजू खुराना, प्रोसेनजीत बनर्जी, सुश्री निधि मोहन परशन, सुश्री श्रेया सिंघल, श्री प्रत्यक्ष शर्मा, सुश्री प्राची दत्ता और सर्वेश सिंह, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दिनेश माहेश्वरी, जे.

ब्राइफ आउटलाइन के साथ परिचय

1. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील 2010 के एफ. ए. ओ. सं. 36 में दिनांकित 27.06.2014 के निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने

नई दिल्ली में दिल्ली की अदालत ने याचिका खारिज कर दी है।

20.05.2003 , कहा जाता है कि चुनाव लड़ने वाले दलों की माँ द्वारा निष्पादित किया गया था। 2. विचाराधीन वसीयत के संबंध में परिवीक्षा की मंजूरी के लिए अपीलार्थी की प्रार्थना को विचारण न्यायालय द्वारा समवर्ती रूप से अस्वीकार कर दिया गया है

और उच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य रूप से विचाराधीन वसीयत के आसपास कई अस्पष्टीकृत संदिग्ध परिस्थितियों को खोजने के बाद। होना।

व्यथित, याचिकाकर्ता-अपीलार्थी, जिसे विचाराधीन वसीयत के निष्पादक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो, स्वीकार्य रूप से, उसके तहत प्रमुख लाभार्थी था, ने इस अपील को प्राथमिकता दी है, जबकि यह कहते हुए कि वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत का निष्पादन कानून की सभी आवश्यकताओं के उचित अनुपालन के साथ रिकॉर्ड पर स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है और ऐसी कोई संदिग्ध परिस्थिति नहीं है जो विचाराधीन वसीयत की वास्तविकता के खिलाफ काम कर सकती है।

3. इसलिए, अनिवार्य रूप से इस अपील में निर्धारण का बिंदु यह है कि क्या निचली अदालत और उच्च न्यायालय को न्यायसंगत ठहराया गया था।

दिनांकित 20.05.2003 के संबंध में प्रोबेट देने से इनकार करना, जैसा कि अनुरोध किया गया था।

1 इसके बाद 'विवादित वसीयत' या 'विचाराधीन वसीयत' या 'विचाराधीन दस्तावेज़' के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।

कविटा कंवर बनाम। एमआरएस। पामेला मेहता और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

पार्टियाँ और गवाह

4. विषय-वस्तु की समझ और प्रभावी होने के लिए

इस अपील में उठाए गए प्रश्नों को समाप्त करने पर, हम ध्यान दे सकते हैं प्रमुख पक्षकार और मामले में शामिल गवाह उनके साथ

अवसंरचना के रूप में संभावित भूमिकाएँः

4.1 . टेस्टैट्रिक्सः

श्रीमती. लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) की पत्नी अमरजीत मामिक डी. एस. मामिक।

उनके पति लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) डी. एस. मामिक की अवधि 20.10.2002 पर समाप्त हो गई थी। वसीयतनामा स्वयं 21.05.2006 पर समाप्त हो गया, अपने पीछे दो बेटियाँ और एक बेटा छोड़ गया, जो सबसे ज़्यादा उम्र के हैं।

यहाँ चुनाव लड़ने वाले दल।

4.2 . अपीलकर्ताः श्रीमती. कविता कंवर

वह वसीयतनामा की छोटी बेटी है। वह दिखाई देती है

विचाराधीन वसीयत के निष्पादक के रूप में और वह कुछ शर्तों के साथ इसके तहत प्रमुख लाभार्थी है। वह। जाँच के लिए याचिका दायर की थी जिसे अस्वीकार कर दिया गया है

विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा।

4.3 . उत्तरदाता संख्या 1: श्रीमती. पामेला मेहता 2

वह वसीयतनामा की बड़ी और विधवा बेटी है। विवादित वसीयत में बताई गई शर्तों का उद्देश्य कथित तौर पर उसके निवास के लिए एक प्रावधान करना है। शुरू में, उन्होंने प्रतियोगिता का लिखित बयान दायर नहीं किया, लेकिन कार्यवाही के बाद के चरण में और अपीलार्थी के साक्ष्य के दौरान, उन्होंने अपना लिखित बयान दायर करने का प्रयास किया। लेकिन प्रार्थना

उसके द्वारा इस प्रकार किए जाने को विचारण न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

फिर भी, उन्होंने लगातार इस मामले का विरोध किया है,

जैसा कि बाद में देखा जाएगा।

4.4 . प्रत्यर्थी संख्या 2: कर्नल (सेवानिवृत्त) पृथ्वीराज मामिक 3

वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी संख्या 1 को रियाल न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 2 के रूप में दर्ज किया गया था। इसलिए, विवादित निर्णयों और कार्यवाही में उसका संदर्भ 'प्रतिवादी संख्या 2' के रूप में विवरण के साथ दिखाई देगा। हालाँकि, इस निर्णय में अभिव्यक्तियों की सहजता के लिए, उन्हें 'प्रतिवादी संख्या 1' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

जहाँ भी आवश्यकता हो, प्रासंगिक स्पष्टीकरण के साथ।

एफ. एन. 2 आई. बी. आई. डी. के समान। , वर्तमान अपील का प्रत्यर्थी सं. 2 विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रत्यर्थी सं. 3 के रूप में अभिलिखित था। इसलिए, असंतुष्ट मेंउसे 'प्रतिवादी संख्या 3' के रूप में वर्णित किया गया है। हालाँकि, इस निर्णय में अभिव्यक्तियों की निरंतरता के लिए, उन्हें 'प्रतिवादी संख्या 2' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

जहाँ भी आवश्यकता हो, प्रासंगिक स्पष्टीकरण के साथ।

वह वसीयतनामा का पुत्र है। विचाराधीन वसीयत में वसीयत के माध्यम से, उसे वसीयतनामा के बैंक खातों में 'क्रेडिट बैलेंस' दिया गया है, लेकिन इस स्पष्टीकरण के साथ कि उसे वसीयतनामा की अचल संपत्ति का कोई भी हिस्सा विरासत में नहीं मिलेगा। उन्होंने लिखित बयान दायर किया था और वसीयत की जांच के दावे का लगातार विरोध किया है। सवाल करते हैं।

4.5 . गवाही देने वाले गवाहः

पीडब्लू-2: श्री. उरविंदर सिंह कोहली, जिसे अपीलार्थी का मित्र कहा जाता है और उसकी बेटी की शादी अपीलार्थी के चचेरे भाई के बेटे से हुई; और पीडब्लू-3: मेजर जनरल मंजीत

अहलूवालिया, जो टेस्टैट्रिक्स की बहन का बेटा है।

अपरिवर्तनीय संपत्ति का समावेशः एन्नल्स

और विवरण

5. हम शुरुआत में यह भी देख सकते हैं कि अचल संपत्ति,

एक हिस्सा जिसका वसीयत का विषय बनता है और जो इस मामले में विवाद का प्रमुख हिस्सा है, उसके मूल मालिक, प्रतिद्वंद्वी दलों के पिता की इच्छा के अनुसार विभिन्न स्थानान्तरणों का अपना इतिहास है। प्रासंगिक तथ्यात्मक पहलुओं और इस मामले की मुख्य विशेषताओं को समझने के लिए, विचाराधीन अचल संपत्ति के विवरण और उसके संबंध में पिछले लेन-देन पर भी ध्यान देना उतना ही आवश्यक है।

5.1 . विचाराधीन संपत्ति की पहचान असर संख्या के रूप में की गई है।

डी-17 9, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली 325 वर्ग गज और

इसमें भूतल, पहली मंजिल, छत और गैरेज के एनेक्सी ब्लॉक और सर्वेंट क्वार्टर वाली इमारत शामिल है। पूरी संपत्ति मूल रूप से लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) के थे। चुनाव लड़ने वाले दलों के पिता डी. एस. मामिक, जिन्होंने अपने जीवनकाल में, इस संपत्ति का भूतल अपीलार्थी को एक पंजीकृत उपहार विलेख के माध्यम से उपहार में दिया था, और उसके बाद, उन्होंने शेष भाग, यानी पहली मंजिल, छत और गैरेज के एनेक्सी ब्लॉक और नौकर क्वार्टर को अपनी पत्नी श्रीमती के पक्ष में विरासत में दिया। अमरजीत मामिक एक पंजीकृत वसीयत दिनांक 14.02.2001 के माध्यम से। लेफ्टिनेंट.

कर्नल (सेवानिवृत्त) डी. एस. मामिक की मृत्यु 20.10.2002 पर हो गई। इसलिए, उनके निधन के बाद, श्रीमती. चुनाव लड़ने वाली पार्टियों की मां अमरजीत मामिक पहली मंजिल और जमीन को छोड़कर उक्त संपत्ति के अन्य हिस्सों की मालिक बन गईं। फर्श।

5.2 . यह भी उल्लेखनीय है कि निष्पादन के समय

चुनाव लड़ने वाली वसीयत दिनांकित 20.05.2003, टेस्टैट्रिक्स श्रीमती। अमरजीत मामिक कविटा कंवर बनाम थे।

एमआरएस। पामेला मेहता और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

इस संपत्ति के भूतल पर रहने वाले (जो अन्यथा अपीलार्थी को उसके पिता द्वारा उपहार में दिया गया था)। इस संपत्ति की पहली मंजिल (जो अन्यथा उसके पति द्वारा वसीयतनामा को विरासत में दी गई थी) वसीयतनामा की विधवा बेटी, प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे में बनी हुई है।

प्रश्न में इच्छा

6. विवादित वसीयत दिनांक 20.05.2003 को रिकॉर्ड में रखा गया है।

पूर्व के रूप में। पीडब्लू1/एच। इससे संबंधित विभिन्न प्रकार की विशेषताएं इस मामले में विवाद का विषय बनेंगी। निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने भी कई संदिग्ध मामलों का विश्लेषण और ध्यान रखा है

इस वसीयत के आसपास की परिस्थितियाँ और इस अपील में चुनाव लड़ने वाले पक्षों के विद्वान वकील की लंबी दलीलें भी इस वसीयत के इर्द-गिर्द घूमती हैं। संबंधित प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, यह प्रतिद्वंद्वी दलों के रुख की सराहना करने के लिए विवादित वसीयत की विशेषताओं और विशेषताओं पर ध्यान देना उचित होगा और साथ ही विवादित निर्णयों में निष्कर्ष भी।

6.1 . विवादित वसीयत दो पृष्ठों में तैयार की गई है। यह आंशिक रूप से

होलोग्राफ दस्तावेज़ इस तरह से कि इसके उद्घाटन और समापन परिच्छेद/खंड हस्तलिखित हैं जबकि अन्य पैराग्राफ/खंड इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट के हैं। कहा जाता है कि इस वसीयत को निष्पादित किया गया था

20.05.2003 श्रीमती द्वारा। अमरजीत मामिक, सत्यापित करने वाले गवाहों और अपीलार्थी की उपस्थिति में नई दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में डी-17 में विचाराधीन संपत्ति के भूतल पर रहते हुए।

7. विचाराधीन वसीयत इस प्रकार हैः -

" विल।

लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) डी. एस. के साथ 77 वर्षीय अमरजीत मामिक। मामिक आर/ओ ग्राउंड फ्लोर डी. 17, डिफेंस कॉलोनी नई दिल्ली

- 110024 ग/ओ एतद्वारा इसे मेरी इच्छा और वसीयतनामा बनाएँ

नई दिल्ली में मई 2003 का यह 20 वां दिन।

1. जहाँ मेरी शादी लेफ्टिनेंट कर्नल से हुई थी। (आरटीडी।) डी. एस. मामिक से

निम्नलिखित बच्चों का जन्म किस संघ में हुआ थाः

60 साल की बेटी

1. श्रीमती पामेला मेहता

2. कर्नल (सेवानिवृत्त) पृथ्वीजीत मामिक-बेटा, उम्र 57 साल

50 साल की बेटी

3. श्रीमती कविता कंवर [2020] 6 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. और जहाँ मेरा उक्त पति उक्त इमारत का मालिक था, जिसमें नं। डी-17, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली -

110024 , 325 वर्ग मीटर भूमि के भूखंड पर बनाया गया। yds। और इसमें एक भूतल, पहली मंजिल, उस पर छत और गैरेज का एनेक्सी ब्लॉक और उस पर सर्वेंट क्वार्टर शामिल हैं।

3. और क्योंकि अपने जीवनकाल के दौरान मेरे उक्त पति ने इस संबंध में एक विधिवत पंजीकृत उपहार विलेख दिनांक 25.1.2001 को निष्पादित किया था।

उक्त इमारत के भूतल से मेरे पक्ष में

उपरोक्त सबसे छोटी बेटी श्रीमती कविता कंवर जो उक्त उपहार विलेख के निष्पादन के बाद लाइसेंस दिया गया है

मेरे आवासीय उद्देश्यों के लिए एक ही मंजिल का उपयोग करने के लिए

प्रेम और स्नेह।

4. और जहाँ मेरे उक्त पति ने वसीयत दिनांक 14.2.2001 के माध्यम से, वैध रूप से निष्पादित और विधिवत पंजीकृत किया है, मुझे पहली मंजिल, उस पर छत और उक्त इमारत के अन्य सभी हिस्सों, जिन्हें इसके बाद संपत्ति के रूप में संदर्भित किया गया है, को विरासत में दिया है।

और उसी इमारत के उक्त भूतल को छोड़कर।

मैं अपने पूरे होश में हूं और मन को व्यवस्थित कर रहा हूं और मैं पूरी तरह से समझता हूं कि क्या सही है और क्या गलत। मैं बिना किसी बल, दबाव, जबरदस्ती या किसी भी प्रकार के प्रभाव के स्वेच्छा से यह वसीयत बना रहा हूं ताकि मेरे निधन पर मेरी उपरोक्त संपत्तियों की विरासत के तरीके के बारे में निर्देश दिया जा सके। मैं इसके द्वारा और इसके तहत किसी भी वसीयत या कोडिसिल को रद्द कर दें जो मैंने अतीत में किए होंगे।

1. मैं एतद्द्वारा अपनी सबसे छोटी बेटी को दान, योजना और वसीयत देता हूं।

उक्त श्रीमती कविता कंवर में मेरा पूरा हिस्सा

उपरोक्त अचल संपत्ति, अर्थात् पहली मंजिल और छत सहित अन्य सभी भागों को छोड़कर

भूतल पर विशिष्ट निर्देशों के साथ कि मेरी उक्त बेटी श्रीमती कविता कंवर अपने द्वारा उचित समझे गए 2 विकल्पों में से किसी एक को पूरा करेंगी, अर्थात्

(क) उक्त भवन की छत पर ऐसे आवासीय भवन का निर्माण करना।

ऐसे आच्छादित क्षेत्र की सुविधा जो इसके तहत अनुमेय है नगरपालिका भवन से विदाई-मेरे निधन के समय के कानून और

उसी निर्माण का अधिकार मेरी बड़ी बेटी श्रीमती पामेला मेहता को सौंप दें, जो इसके बाद

छत के साथ उक्त हिस्से का एकमात्र विशेष शीर्षक प्राप्त करें-कविता कंवर बनाम।

एमआरएस। पामेला मेहता और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

उन पर अधिकार उक्त श्रीमती के पक्ष में निहित रहना।

कविता कंवर,

या

इस प्रकार निर्मित, बचाएँ और ऐसे निर्मित आवासीय को छोड़कर ऐसी इमारत की सबसे ऊँची मंजिल का हिस्सा, कौन सा हिस्सा

केवल और विशेष रूप से मेरे उक्त बुजुर्ग के पक्ष में निहित होगा

बेटी श्रीमती पामेला मेहता, जबकि छत पर अधिकार

मेरी उक्त बेटी श्रीमती के पक्ष में निहित रहना जारी रखेंगे।

कविता कंवर।

2. मैं यह भी निर्देश देता हूं कि इसके बाद कोई और चल या अचल संपत्ति या कोई अन्य संपत्ति प्राप्त करने की स्थिति में मैं

वर्तमान में उल्लेख करना भूल गए हैं कि वही वसीयत मेरी बेटी श्रीमती कविता कंवर को सौंपी जाएगी।

3. मैं एतद्द्वारा अपने बेटे कर्नल पृथ्वीजीत मामिक को अपने बैंक खातों में जमा क्रेडिट राशि देता हूं, योजना बनाता हूं और वसीयत करता हूं। हालाँकि, मैं स्पष्ट करता हूँ कि मेरे उक्त बेटे को मेरे किसी भी हिस्से का उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा।

उपर्युक्त अचल संपत्तियाँ।

इसके गवाह के रूप में, मैं अमरजीत मामिक ने सेट किया है और सदस्यता ली है इस पर मेरा हाथ मेरी अंतिम वसीयत के साथ-साथ उन 2 पृष्ठों में से प्रत्येक पर भी है जो इसकी सामग्री को समझते हैं और

इस प्रकार समर्थन करना और उसमें किए गए वसीयत को अपनी मंजूरी देना।

जिस तरह से मेरी संपत्ति हस्तांतरित की जाएगी, मैं उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं, जैसा कि 2 पृष्ठों में मेरी वसीयत में ऊपर बताया गया है। प्रत्येक

किस पृष्ठ पर मैंने हस्ताक्षर किए हैं।

अमरजीत मामिक

परी

क्षणकर्ता

की उपस्थिति में वसीयतकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित

गवाहों और गवाहों ने

(एस

डी/-)

टेस्टेटर [2020] 6 एस. सी. आर. की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गवाह संख्या 1: (एसडी/-)

मेजर जनरल मंजीत अहलूवालिया

डी-34 डिफेंस कॉलोनी

20 मई 2003

गवाह संख्या 2:

(एसडी/-)

(एस. डी./-) 20/5/03 अरविंदर एस. कोहली

एस/ओ एस. नवींदर एस. कोहली

227 जोर बाग एन. दिल्ली "

(ध्यान दें: बोल्ड इटैलिसाइज्ड भागों की लिखावट में हैं

टेस्टैट्रिक्स जबकि अनबोल्ड इटैलिसाइज्ड भाग हस्तलेखन में हैं

संबंधित गवाहों से। अन्य सभी सामग्री इलेक्ट्रॉनिक हैं।

प्रिंट करें)

प्रार्थनाओं, मुद्दों और प्रमाणों का सारांश

साथ ही परीक्षण न्यायालय में प्रक्रियाओं का प्रासंगिक हिस्सा

8. पक्षों के विवरणों को ध्यान में रखते हुए और

अब हम पक्षकारों के अभिवचनों, विचारण न्यायालय द्वारा बनाए गए मुद्दों, पक्षकारों के नेतृत्व में साक्ष्य के भौतिक पहलुओं और विचारण न्यायालय में कार्यवाही के प्रासंगिक भाग को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं, जो इसमें शामिल प्रश्नों पर असर डालते हैं।

8.1 . संक्षेप में, इस अपील की ओर ले जाने वाली याचिका द्वारा दायर की गई थी

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 19254 की धारा 276 के तहत दिल्ली में जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अपीलार्थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे उसकी मां श्रीमती द्वारा निष्पादित किया गया था। पार्टी प्रतिवादी के रूप में राज्य (एन. सी. टी., दिल्ली) को तैयार करते हुए अमरजीत मामिक। इसके बाद, पक्षों के संशोधित ज्ञापन को दाखिल करके, वर्तमान प्रतिवादी संख्या। 1 और 2 को उत्तरदाता संख्या के रूप में व्यवस्थित किया गया था। 2 और क्रमशः 3। अपीलार्थी ने बच्चों से संबंधित तथ्यों को बताया

वसीयतनामा के रूप में भूतल का उक्त उपहार भी पिता द्वारा उसके पक्ष में किया गया था और फिर, याचिका में जोर देकर कहा गया था कि विचाराधीन वसीयत द्वारा, वसीयतनामा ने पहली मंजिल और अन्य भागों को विरासत में दिया था, सिवाय इसके कि

उक्त संपत्ति का भूतल नं. डी-17 9, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली दो विकल्पों में से एक को पूरा करने के निर्देश के साथ उनके पक्ष में, अर्थात्, या तो उक्त संपत्ति की पहली मंजिल की छत पर निर्माण करने के लिए

4 इसके बाद इसे 'उत्तराधिकार अधिनियम' भी कहा जाता है।

कविटा कंवर बनाम। एमआरएस। पामेला मेहता और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

या उक्त इमारत को ध्वस्त करना और फिर से निर्माण करना और उक्त इमारत की सबसे ऊँची मंजिल श्रीमती पामेला मेहता (उनकी दूसरी बेटी) को देना।

टेस्टैट्रिक्स) उस पर छत के अधिकारों को बनाए रखते हुए; और अपने बेटे कर्नल (सेवानिवृत्त) के पक्ष में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ बनाए गए अपने बचत बैंक खाते में शेष राशि को वसीयत कर दिया था। पृथ्वीजीत मामिक। यह कहते हुए कि विचाराधीन वसीयत को उपरोक्त दो गवाहों की उपस्थिति में विधिवत निष्पादित किया गया था और वसीयत की अवधि 21.05.2006 पर समाप्त हो गई थी, अपीलार्थी ने जोर देकर कहा कि वह विचाराधीन वसीयत की निष्पादक और लाभार्थी थी और इसकी जांच करने का हकदार थी।

8.2 . उनकी प्रासंगिकता के लिए, हम उपयोगी रूप से सामग्री पर ध्यान दे सकते हैं

उक्त याचिका की सामग्री और याचिका के साथ संलग्न अनुसूची ए और अनुसूची बी की सामग्री, जिसमें क्रमशः मृतक श्रीमती के प्राकृतिक उत्तराधिकारियों का विवरण दिया गया है। अमरजीत मामिक और मृतक की संपत्ति की सूची इस प्रकार हैः

* ***

***

4. कि "विल" दिनांकित 20.05.2003 को विधिवत निष्पादित किया गया था

श्रीमती. दो गवाहों की उपस्थिति में अमरजीत मामिक

अर्थात् मेजर जनरल मंजीत अहलूवालिया आर/ओ डी-34, रक्षा

कॉलोनी, नई दिल्ली और एस. अरविंदर S.Kohli s/o S.Narinder

S.Kohli आर/ओ 227 जोर बाग, नई दिल्ली-110003।

5. कि मृतक पहली मंजिल, छत का मालिक था

कॉलोनी, नई दिल्ली-110024, भूतल को छोड़कर उक्त भवन का, जैसा कि वसीयत में उल्लेख किया गया है और उक्त

संपत्ति, याचिकाकर्ता के हाथों में आने की संभावना है और उनकी बहन श्रीमती पामेला मेहता "विल" के अनुसार।

6. कि मृतक का पति संपत्ति का मालिक था

बेयरिंग नं। डी-17 9, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024

325 वर्ग गज के भूखंड पर बनाया गया

और इसमें एक भूतल, पहली मंजिल, छत शामिल हैं। और उस पर गैरेज और नौकरों के आवास का एक अनुलग्नक खंड।

7. कि मृतक के पति ने अपने जीवनकाल के दौरान

के पक्ष में उक्त भवन के भूतल का सम्मान उनकी सबसे छोटी बेटी अर्थात् श्रीमती। कविता कंवर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि मृतक के पति ने 'पंजीकृत वसीयत' दिनांक 14.02.2001 के माध्यम से मृतक को पहली मंजिल, उस पर छत और उक्त इमारत के अन्य सभी हिस्सों को मृतक को विरासत में दिया, सिवाय भूतल के।

वह श्रीमती। इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में दिल्ली में 21.05.2006 पर अमरजीत मामिक की मृत्यु हो गई।

कि मृतक श्रीमती। अमरजीत मामिक हिन्दू थे। धर्म और वह याचिकाकर्ता के अलावा निम्नलिखित रिश्तेदारों/कानूनी उत्तराधिकारियों को पीछे छोड़ गईः

(i) श्रीमती पामेला मेहता

बेटी।

((ii) कर्नल (सेवानिवृत्त) पृथ्वीजीत मामिक

बेटा।

कि याचिकाकर्ता "विल" दिनांकित 20.05.2003 के लाभार्थियों में से एक है और याचिकाकर्ता उक्त "विल" का निष्पादक भी है। याचिकाकर्ता के हाथों में आने वाली अचल संपत्ति की कीमत लगभग रु। 18 लाख। कि जिन परिसंपत्तियों के याचिकाकर्ता के हाथों में आने की संभावना है, वे पहली मंजिल और संपत्ति के अन्य हिस्से हैं। डी-17 9, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024, इमारत के भूतल को छोड़कर और उक्त इमारत की पहली मंजिल की छत पर निर्माण करने या उक्त इमारत को ध्वस्त करने और उक्त इमारत की सबसे ऊँची मंजिल का पुनर्निर्माण और उसे श्रीमती पामेला मेहता को देने और वहां छत के अधिकार बनाए रखने के दो विकल्पों को पूरा करने के लिए।

कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली के साथ बनाए गए बचत बैंक खाते संख्या 1001020597 में शेष राशि, जैसा कि याचिका के साथ संलग्न अनुसूची-बी में उल्लेख किया गया है, कर्नल को जाएगी। (आरटीडी।) पृथ्वीजीत मामिक और याचिकाकर्ता ऐसा दावा नहीं करते हैं।

***

***

*** कविटा कंवर बनाम। एमआरएस। पामेला मेहता और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

अनुसूची ए

मृतक के एल. आर. का नाम और पते श्रीमती. अमरजीत मामिक		
एस. नहीं।	नाम	रिश्ते का पता
1.	श्रीमती पामेला मेहता	बेटी। कॉलोनी, नई दिल्ली-110024।
	कं. (आर. टी. डी.) पृथ्वीजीत	
2 .		बेटा। मधुबन ज्ञान
	मामिक	वाटिका, खलिनी, शिमला (एच. पी.)
		एस-45, पंचशिला
3 .	श्रीमती कविता कंवर	बेटी। पार्क, नया दिल्ली-3

***

***

***

अनुसूची बी

अचल संपत्तिः

पहली मंजिल, उस पर छत और परिसर के अन्य सभी हिस्से

नहीं। डी-17 9, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024, को छोड़कर

उक्त इमारत का भूतल।

बचत खाता संख्या 1001020597 में शेष राशि भारतीय केंद्रीय बैंक के साथ अनुरक्षित,

रु. 577389.00 "

डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली।

***

*****

***

9. जांच की मांग करने वाली उक्त याचिका को अंततः स्थानांतरित कर दिया गया था

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश का न्यायालय, दिल्ली विचार के लिए। साइट प्रकाशन और उचित सूचना के बाद, उत्तरदाताओं ने उपस्थिति दर्ज कराई

एन 18.04.2007, यह वर्तमान प्रतिवादी की ओर से दिया गया था कि वह याचिका पर आपत्ति दर्ज नहीं करना चाहती थी। हालांकि,

दस्तावेजों के साथ मामले वास्तव में वर्तमान की ओर से दायर किए गए थे द्वितीय सं. 2, जिसने अपीलार्थी के दावे का खंडन किया और तर्क दिया,

अन्य रूप से, कि विचाराधीन वसीयत जाली और मनगढ़ंत थी, जहाँ [2020] 6 एस. सी. आर.

अपीलार्थी प्रमुख लाभार्थी होने के साथ-साथ निष्पादक भी था; कि उत्तरदाताओं और पोते-पोतियों को विरासत से बाहर रखने का कोई कारण नहीं था; और यह कि पैतृक संपत्ति होने के कारण विचाराधीन संपत्ति स्वर्गीय श्री डी. एस. के सभी कानूनी उत्तराधिकारियों की है। मामिक। जवाब देने वाले प्रतिवादी ने कहा कि वसीयतनामा और उसके बीच कोई विवाद नहीं था और माँ द्वारा उसे वसीयत से बाहर रखने का कोई कारण नहीं था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि संपत्ति में वसीयत की गई थी

अपीलार्थी का पक्ष करोड़ों रुपये का था और इसलिए, यह समझना असंभव था कि उसकी माँ ने उसके लिए केवल रुपये की राशि छोड़ी थी। 5,77,389 / - जब उनके और उनकी माँ के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण थे। 10. विचारण न्यायालय ने मामले में शामिल प्रश्नों के निर्धारण के लिए निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए: -

" 1. क्या श्रीमती की वसीयत दिनांकित 20-5-2003 है। अमरजीत मामिक हैं।

उचित और वैध? ओपीपी

2. क्या श्रीमती की वसीयत दिनांकित 20-5-2003 है। अमरजीत मामिक हैं।

अमरजीत मामिक? ओपीपी

4. राहत "

11. साक्ष्य में, अपीलार्थी ने खुद को पीडब्लू-1 के रूप में जांच किया; और विवादित वसीयत के दो प्रमाणक गवाह, श्री अरविंदर सिंह कोहली और मेजर जनरल मंजीत अहलूवालिया क्रमशः पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 के रूप में। अपीलार्थी के पुत्र श्री निखिल कंवर से भी पीडब्लू-4 के रूप में पूछताछ की गई। दस्तावेजी साक्ष्य में, विचाराधीन वसीयत को पूर्व के रूप में चिह्नित किया गया था।

पीडब्लू1/एच। 11.1 . अपीलार्थी का यह सुसंगत मामला रहा था कि उसे पहले से कोई जानकारी नहीं थी कि दी गई वसीयत पर वसीयत का निष्पादन किया जा रहा था।

और यह कि यह वसीयतनामा था जिसने अपीलार्थी को उसके निवास पर आमंत्रित किया था। अपीलार्थी ने अपने साक्ष्य में कहा कि उसके पास पहुँचने के बाद ही

माँ के घर दिए गए दिन, उसे पता चला कि उसकी माँ एक वसीयत को निष्पादित कर रही थी। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें वसीयत की सामग्री के बारे में पता नहीं था। अपीलार्थी का यह भी दावा था कि उसके माता-पिता को उसके लिए विशेष प्रेम और स्नेह था और यही कारण था कि उन्होंने उक्त संपत्ति कविता कंवर बनाम को उपहार में दी और विरासत में दी।

एमआरएस। पामेला मेहता और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

केवल उसका। अपीलार्थी ने प्रतिपरीक्षा में यह भी कहाः (i) कि वह वसीयतनामा की शैक्षिक योग्यता नहीं जानती थी, लेकिन वह (वसीयतनामा) अंग्रेजी में पढ़ना और लिखना जानती थी; (ii) वह और वसीयतनामा पिछले 20-22 वर्षों से एक साथ नहीं रह रहे थे; (iii) कि वसीयतनामा ने न तो उसके साथ वसीयत की सामग्री पर चर्चा की और न ही उल्लेख किया कि प्रश्न में वसीयत किसने खींची और टाइप की थी; (iv) कि उसे 20-21 मई, 2003 को वसीयत के अस्तित्व के बारे में पता चला; (v) कि उसकी माँ ने प्रतिवादी संख्या को नहीं बुलाया था। 1 और 2 वसीयत के निष्पादन के दिन; (vi) वह प्रत्यर्थी संख्या 1 वसीयतनामा के ऊपर फर्श पर रह रहा था और वसीयतनामा की देखभाल कर रहा था, जो रोग से पीड़ित था। कैंसर; (vii) कि वसीयतनामा ने प्रमाणक गवाहों को बुलाया था; (viii) कि वह नहीं जानती थी कि वसीयतनामा ने वसीयत पर कब चर्चा की

उत्तरदाताओं; (ix) कि वसीयतनामा ने प्रमाणक गवाहों के साथ वसीयत की सामग्री पर चर्चा की थी (x) कि उसे याद है कि वसीयतनामा ने कुछ लिखा था लेकिन यह सुनिश्चित नहीं था कि यह वसीयत पर था या कुछ और।

अन्य; और (xi) कि वसीयतनामा और प्रत्यर्थी संख्या 2 के संबंध तनावपूर्ण थे।

11.2 . पी. डब्ल्यू.-2 और पी. डब्ल्यू.-3, दोनों प्रमाणित करने वाले गवाहों ने विशेष रूप से श्रीमती के घर पहुंचने पर यह बयान दिया। अमरजीत मामिक, वे

यह पाया गया कि अपीलार्थी पहले से ही वहाँ मौजूद था; कि वसीयत पर हस्ताक्षर करने से पहले वसीयत पर उनकी उपस्थिति में कुछ लिखा था; और वे वसीयत की सामग्री से अनजान थे क्योंकि उनके साथ इस पर चर्चा नहीं की गई थी। पीडब्लू-2 ने यह भी कहा कि 18.05.2003 पर, अपीलार्थी ने उसे 20.05.2003 पर उसकी माँ के घर बुलाया था। दूसरी ओर, पीडब्लू-3 ने अपदस्थ किया कि यह वसीयतनामा था जिसने उसे उस दिन उसके घर आमंत्रित किया था; कि उसके अपीलार्थी और उत्तरदाताओं के साथ अच्छे संबंध थे; कि वसीयतनामा का प्रतिवादी नं. 2 और वह भी जब श्रीमती। अमरजीत मामिक ने वसीयत पर कुछ लिखा, उन्होंने इसे एक मसौदे से कॉपी किया जो उनके पास था।

12. विपक्ष में, चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं ने क्रमशः आर 2 डब्ल्यू-1 और आर 3 डब्ल्यू-1 के रूप में गवाही दी। डाकघर से श्री राम गोपाल मीणा,

डिफेंस कॉलोनी की जांच आर 3 डब्ल्यू-2 के रूप में की गई थी। भारतीय स्टेट बैंक के श्री एस. पी. शर्मा आर 3 डब्ल्यू-3 के रूप में; डिफेंस कॉलोनी एसोसिएशन क्लब से आर 3 डब्ल्यू-4 के रूप में श्री आर. एस. नेगी; और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के श्री एस. पी. खामरा की आर 3 डब्ल्यू-5 के रूप में जांच की गई। उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए कई दस्तावेज

जैसे परिवार की तस्वीरें, उत्तरदाता को टेस्टैट्रिक्स द्वारा भेजे गए जन्मदिन का कार्ड 5 यद्यपि शपथपत्र-साक्ष्य में, अपीलार्थी ने उल्लेख किया था कि उसकी माँ ने परिचय भाग के साथ-साथ वसीयत पर समापन भाग भी लिखा था।

सं. 2 आदि को भी उपयुक्त समय पर प्रासंगिकता की सीमा तक निर्दिष्ट किया जाएगा।

12.1 . प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने साक्ष्य में, अन्य बातों के साथ-साथ, पदच्युत कर दिया

कि उनकी माँ 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण भी नहीं थीं और उनके स्वयं के साथ और प्रतिवादी संख्या 2 के साथ भी सौहार्दपूर्ण संबंध थे।

12.2 . प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपने साक्ष्य में, अन्य बातों के साथ-साथ, अपदस्थ कर दिया

कि उसके अपनी माँ के साथ अच्छे संबंध थे; और, क्योंकि वह भारतीय सेना में सेवा कर रहा था, माँ उससे फोन पर बात करती थी और उसे सभी खुशियों की कामना करते हुए पत्र और जन्मदिन का कार्ड भी भेजती थी।

13. आगे बढ़ने से पहले, के विशिष्ट पहलुओं में से एक

मामला, जो प्रासंगिक प्रश्नों पर अपना प्रभाव डालता है और विचारण न्यायालय की कार्यवाहियों के अभिलेख से निकलता है, को अव्यावहारिक माना जा सकता है।

13.1 . ऐसा प्रतीत होता है कि मुकदमे में कार्यवाही के प्रारंभिक चरण में

न्यायालय, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 1 (जो विचारण न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 2 थे) के संबंध किसी भी विवाद में नहीं गए थे। जैसा कि देखा गया है, वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष कहा कि

18.04.2007 कि वह याचिका पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं करना चाहती थी। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी के साक्ष्य के दौरान, अपीलार्थी और अपीलार्थी के बीच मतभेद और विवाद उत्पन्न हुए।

प्रत्यर्थी संख्या 1 और अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के खिलाफ निषेधाज्ञा के लिए एक अलग दीवानी मुकदमा दायर किया। हितों के टकराव की इस नई स्थिति की अगली कड़ी में, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने जांच की मांग करने वाली याचिका का सीधा विरोध करने का प्रयास किया और सिविल प्रक्रिया संहिता ('सी. पी. सी.') की धारा 151 के तहत निचली अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें अपीलार्थी की आगे प्रतिपरीक्षा का अवसर मांगा गया। इस आवेदन में, प्रतिवादी संख्या 1 ने अन्य बातों के साथ-साथ वसीयत के कथित तीसरे पृष्ठ के बारे में एक याचिका दायर की। इस तरह से दायर आवेदन को निचली अदालत ने 25.03.2008 पर खारिज कर दिया था और वसीयत के कथित तीसरे पृष्ठ से संबंधित बिंदु के संबंध में, अदालत ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः

" 25.03.2008

***

***

***

बिंदु संख्या 2: बिन्दु संख्या 2 से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी संख्या। 2 अब तीसरे के बारे में एक पूरी तरह से अलग और नया रुख उठा रहा है

वसीयत का पृष्ठ। उन्होंने कविता कंवर बनाम की मूल या प्रति प्रस्तुत नहीं की है।

एमआरएस। पामेला मेहता और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

इस आवेदन के साथ कथित तीसरा पृष्ठ। इस तीसरे पृष्ठ की कहानी इस आवेदन के माध्यम से पहली बार दर्ज की गई है, जिस पर तब विश्वास नहीं किया जा सकता जब पीडब्लू-1 की प्रतिपरीक्षा में इस संबंध में कुछ भी नहीं पूछा गया था। अवसर लेने के बावजूद इस वसीयत के खिलाफ कोई आपत्ति दर्ज न करने से प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने वसीयत को सही माना है। उसे वसीयत के तहत संपत्ति में कुछ हिस्सा भी दिया गया था और इस तरह वसीयत पर विवाद किए बिना उसे सुरक्षित रखा गया था और अब वह वसीयत की वास्तविकता को अचानक इस आधार पर चुनौती दे रही है कि याचिकाकर्ता ने अनन्य होने का दावा करते हुए निषेधाज्ञा के लिए दीवानी मुकदमा दायर किया है।

संपत्ति का स्वामित्व। प्रोबेट कार्यवाही में, स्वामित्व या स्वामित्व का सवाल तय नहीं किया जाता है और अदालत केवल इस तथ्य से संबंधित होती है

वसीयत वास्तविक है या नहीं। याचिकाकर्ता के वकील ने दलीलों के दौरान कहा कि वसीयत के तहत प्रतिवादी संख्या 2 को दिए गए अधिकारों की रक्षा की जाएगी। इन उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरा विचार है कि प्रतिवादी संख्या 2 को बिंदु संख्या 2 पर आगे प्रतिपरीक्षा करने की कोई अनुमति नहीं दी जा सकती है।

आवेदन के पैरा सं. 4 में उल्लिखित है।

13.2 . 24.03.2008 पर, कार्यवाही का एक और हिस्सा यह था कि न्यायालय ने कुछ की प्रतिपरीक्षा के अवसर को बंद कर दिया था।

प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा अपीलार्थी के गवाह। उपरोक्त कार्यवाही के बाद, आदेश IX नियम 7 सी. पी. सी. के तहत एक आवेदन दायर किया गया था।

प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से। दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से लिखित बयान दाखिल करने और देरी को माफ करने की अनुमति के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। उस आवेदन में, वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 1 ने फिर से वसीयत के कथित तीसरे पृष्ठ का उल्लेख किया; और इस तरह के दावे को अपीलार्थी द्वारा फिर से जोरदार ढंग से अस्वीकार कर दिया गया था, जबकि यह कहते हुए कि विचाराधीन वसीयत केवल दो पृष्ठों में थी और वसीयत का कोई तीसरा पृष्ठ नहीं था जैसा कि आरोप लगाया गया था।

13.2. 1 . उपरोक्त दो आवेदनों को निचली अदालत ने अपने दिनांक 03.07.2008 के आदेश में निपटाया था। जबकि आवेदन पत्र

प्रत्यर्थी संख्या 2 को लागत पर मंजूरी दी गई थी लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर आवेदन को लागत के साथ खारिज कर दिया गया था। वसीयत के कथित तीसरे पृष्ठ से संबंधित पहलुओं के संबंध में, निचली अदालत ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" इस आवेदन में सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत, प्रतिवादी सं। 2 वसीयत के कथित तीसरे पृष्ठ पर भरोसा किया है जबकि याचिकाकर्ता ने कहा है [2020] 6 एस. सी. आर.

कि वसीयत में केवल 2 पृष्ठ थे और इसका कोई तीसरा पृष्ठ नहीं है।

प्रत्यर्थी संख्या 2 ने उस कथित तीसरे पृष्ठ की फोटोकॉपी रिकॉर्ड पर रखी है, लेकिन भले ही इस फोटोकॉपी को देखा जाए और मूल वसीयत के साथ तुलना की जाए, तो प्रथम दृष्टया यह कहा जा सकता है कि यह मूल वसीयत का हिस्सा नहीं था, कथित तीसरा पृष्ठ कुछ अन्य दस्तावेज प्रतीत होता है और प्रथम दृष्टया यह निश्चित रूप से वसीयत का तीसरा पृष्ठ नहीं है। अन्यथा वसीयत के कथित तीसरे पृष्ठ पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। क्योंकि पीडब्लू-1 प्रत्यर्थी की प्रतिपरीक्षा में नहीं। 2 इसके बारे में कहीं भी उल्लेख नहीं किया है या उसका सामना नहीं किया है, हालांकि यह स्वीकार किया जाता है कि यह शुरू से ही उसके कब्जे में था।

13.3 . प्रत्यर्थी अभी भी विचाराधीन वसीयत के तीसरे पृष्ठ के अस्तित्व के बारे में अपने दावे पर कायम रहे और अब, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने आदेश 11 नियम 12 और 14 सी. पी. सी. के तहत एक आवेदन दायर किया जिसमें उसी को पेश करने की मांग की गई। इस आवेदन का भी अपीलार्थी द्वारा विरोध किया गया था, जबकि इस तरह के किसी भी तीसरे पृष्ठ के अस्तित्व से इनकार किया गया था और यहां तक कि इस आरोप के साथ कि इस तीसरे पृष्ठ को उत्तरदाताओं द्वारा एक-दूसरे की मिलीभगत से गढ़ा गया था। ट्रायल कोर्ट ने आवेदन पर विचार किया और उसे खारिज कर दिया प्रत्यर्थी सं. 2 (जो विचारण न्यायालय में प्रत्यर्थी सं. 3 था) द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ अपने दिनांकित आदेश के माध्यम से इस प्रकार प्रस्तुत किया गयाः

" उत्तरदाता के लिए वकील सं। 3 तर्क के दौरान याचिकाकर्ता की प्रतिपरीक्षा के साथ-साथ विषय-वस्तु को भी पढ़ें।

वसीयत के कथित तीसरे पृष्ठ पर यह दिखाने के लिए कि वसीयत के तीसरे पृष्ठ की सामग्री के अनुसार मृतक द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान चल संपत्तियों का वितरण किया गया था, ताकि यह कहा जा सके कि वसीयत में वास्तव में तीन पृष्ठ थे, न कि दो पृष्ठ, जैसा कि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था, हालांकि, मैं आश्वस्त नहीं हूं

इस प्रस्तुति के साथ।

याचिकाकर्ता की प्रतिपरीक्षा में कथित तीसरा

वसीयत का पृष्ठ कभी भी उसका सामना करने के लिए नहीं रखा गया था ताकि इस दलील की पुष्टि करें कि वसीयत में तीन पृष्ठ हैं। यहां तक कि वसीयत के गवाह को प्रमाणित करने वाले पीडब्लू-2 की प्रतिपरीक्षा में भी कोई सुझाव नहीं दिया गया था कि वसीयत तीन पृष्ठों की थी न कि दो पृष्ठों की। द विल एक्स। पीडब्लू-1/एच दो पृष्ठों का होता है और इसके अंत में हस्तलिखित समर्थन भी बताता है कि इसमें केवल दो पृष्ठ होते हैं। वसीयत का कथित तीसरा पृष्ठ, जिसकी फोटोकॉपी प्रत्यर्थी नं. 2 किसी भी प्रमाणक गवाह की कोई तारीख या हस्ताक्षर नहीं है।

कथित कविता कंवर बनाम। एमआरएस। पामेला मेहता और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

तीसरा पृष्ठ पहले से ही वसीयत का हिस्सा नहीं पाया गया है

दिनांकित आदेश 3-7-2008। प्रत्यर्थी नं. 3 अपनी आपत्ति में है पूरी वसीयत को जाली और मनगढ़ंत बताया लेकिन अब नहीं कर सकते

एक विरोधाभासी रुख लेने की अनुमति दी जाए कि तीसरा पृष्ठ है

मान लीजिए कि चल संपत्ति को उसी के अनुसार वितरित किया गया था। कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच कथित तीसरे पृष्ठ के साथ।

इस मामले में याचिकाकर्ता द्वारा दावा किया जाता है।

एक अचल संपत्ति और एक बैंक खाते का और कोई दावा नहीं

किसी चल संपत्ति के संबंध में किया गया। भले ही यह माना जाता है

कि मृतक ने अपने जीवनकाल के दौरान अपना व्यक्तिगत वितरित किया

तीसरे के अनुसार सामान, नकदी और आभूषण

पृष्ठ

चल परिसंपत्तियों का वितरण जीवनकाल के दौरान हुआ जबकि वसीयत को मृत्यु के बाद प्रभावी होना होता है

टेस्टैट्रिक्स से। तदनुसार, इस मामले में केवल विषय वस्तु बनी रहती है। अचल संपत्ति और बैंक खाता है।

याचिकाकर्ता ने इस कथित तीसरे पृष्ठ के अस्तित्व से इनकार किया है

याचिका की सेवा के समय। जवाब एक द्वारा समर्थित है याचिकाकर्ता का शपथ पत्र, इसलिए ऐसी स्थिति में भी कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है

याचिकाकर्ता को कथित तीसरे का मूल प्रस्तुत करने के लिए दिया जाए

वसीयत का पृष्ठ जिस पर प्रत्यर्थी नं.

3 अब। याचिकाकर्ता वास्तव में कह रहा है कि यह तीसरा पृष्ठ है

उत्तरदाताओं द्वारा एक-दूसरे की मिलीभगत से गढ़ा गया।

तदनुसार, मुझे प्रतिवादी के आवेदन में कोई योग्यता नहीं मिलती है।

नहीं। 3 विशेष रूप से जब पीडब्लू-1 और पीडब्लू की प्रतिपरीक्षा में

2 टकराव और उस पर भरोसा करने के लिए ऐसा कोई तीसरा पृष्ठ नहीं रखा गया था

यह कथित तीसरा पृष्ठ अब की सामग्री से विरोधाभासी है

याचिका पर दायर आपत्तियाँ। इस प्रकार आवेदन खारिज कर दिया जाता है।

रुपये की लागत के साथ। 1000 / - याचिकाकर्ता को भुगतान किया जाए।

14. इसके ऊपर, हमने विस्तार से भाग का वर्णन किया है

के कथित तीसरे पृष्ठ से संबंधित विचारण न्यायालय में संपादन

जैसा कि आसानी से देखा जा सकता है, जबकि प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं, एक

या दूसरा, इस बात पर जोर देता रहा कि इसका तीसरा पृष्ठ था

लेकिन, इसके विपरीत, [2020] 6 एस. सी. आर. में वसीयत के ऐसे किसी तीसरे पृष्ठ का अस्तित्व।

प्रश्न को अपीलार्थी द्वारा स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया था; बल्कि अपीलार्थी ने आरोप लगाया कि उक्त तीसरे पृष्ठ को उत्तरदाताओं द्वारा एक-दूसरे की मिलीभगत से गढ़ा गया था। निचली अदालत ने भी स्वीकार किया कि अपीलार्थी का प्रस्तुत करना कि ऐसा कोई तीसरा पृष्ठ मौजूद नहीं है, विशेष रूप से

यह देखने के बाद कि अपीलार्थी को कभी भी वसीयत के ऐसे किसी तीसरे पृष्ठ का सामना नहीं करना पड़ा। ट्रायल कोर्ट ने यह भी कहा कि वसीयतनामा की चल संपत्ति का वितरण उनके जीवनकाल के दौरान पूरा हो गया था और एकमात्र विषय-वस्तु अचल संपत्ति और बैंक खाता शेष था। इन पहलुओं की प्रासंगिकता इस निर्णय के बाद के भाग में दिखाई देगी, जब हम उच्च न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा लिए गए एक अलग रुख के प्रभाव पर विचार करेंगे।

परीक्षण न्यायालय के निष्कर्ष

15. पक्षकारों की दलीलों और साक्ष्यों पर नज़र डालते हुए, विचाराधीन वसीयत की सामग्री और ढांचे पर ध्यान देते हुए, और पहले की कार्यवाही के प्रासंगिक हिस्सों पर भी ध्यान देते हुए

विचारण न्यायालय, हम अपने दिनांकित 23.11.2009 के निर्णय में विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को देख सकते हैं, विशेष रूप से उन कारणों को जो विचाराधीन वसीयत की जांच के लिए अनुरोध को अस्वीकार करते समय इसके साथ वजन करते हैं।

15.1 . जहां तक प्रत्यर्थी संख्या 2 की आपत्ति का संबंध है कि विचाराधीन संपत्ति एक पैतृक संपत्ति थी, ट्रायल कोर्ट ने

चिरंजीलाल श्रीलाल गोआंका बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। जसजीत सिंहः (1993) 2 एस. सी. सी. 507 और अभिनिर्धारित किया कि उक्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा क्योंकि 'अधिकार, स्वामित्व, हिस्सेदारी और स्वामित्व का प्रश्न प्रोबेट कार्यवाही में तय नहीं किया जाना है'। ट्रायल कोर्ट ने यह भी पाया कि वसीयत के निष्पादन के समय वसीयतनामा स्वस्थ दिमाग का था, विशेष रूप से जब वह बैंक खाते और संपत्ति सहित अपने मामलों को संभाल रही थी; अपनी मृत्यु तक बहुत सक्रिय जीवन जी रही थी; और क्लब में भाग ले रही थी और अपनी कार भी चला रही थी।

15.2 . हालाँकि, उसके बाद, निचली अदालत ने विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखा जो संदिग्ध प्रतीत होती थीं। सर्वप्रथम, विचारण न्यायालय ने एच. वेंकटचाला अयंगर बनाम के निर्णयों का उल्लेख किया। बी. एन. थिम्माजम्माः ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 443, इंदु बाला बोस बनाम। मनिंद्र चंद्र बोसः (1982) 1 एस. सी. सी. 20 और सुरेंद्र पाल बनाम। डॉ. सरस्वती अरोड़ाः (1974) 2 एस. सी. सी. 600 ने कहा कि यदि वसीयत का प्रस्तावक वसीयत के निष्पादन में सक्रिय भाग लेता है और इसके तहत पर्याप्त लाभ प्राप्त करता है, तो ऐसी परिस्थिति को आम तौर पर संदिग्ध माना जाता है। जहां तक मामले के तथ्यों का संबंध है, मुकदमा कविता कंवर बनाम।

एमआरएस। पामेला मेहता और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

अदालत ने पाया कि अपीलार्थी ने विचाराधीन वसीयत के निष्पादन में सक्रिय भूमिका निभाई और साथ ही, वह इसके तहत प्रमुख लाभार्थी थी जहां उसे न केवल पहली मंजिल दी गई थी, बल्कि छत के अधिकार और संपत्ति के अन्य सभी हिस्से भी दिए गए थे। 15.3 . दूसरा, निचली अदालत का विचार था कि अचल संपत्ति से इकलौते बेटे का बहिष्कार भी संदिग्ध था

परिस्थिति. न्यायालय ने जन्मदिन कार्ड एक्स को ध्यान में रखा। वसीयतनामा द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 को भेजे गए आर. डब्ल्यू. 3/1 का विचार था कि उक्त कार्ड में प्रशंसा के शब्द इस सुझाव को गलत साबित करते हैं कि उनके बीच संबंध तनावपूर्ण थे। ट्रायल कोर्ट ने भी लिया

उन पारिवारिक तस्वीरों पर विचार करें जो यह दर्शाती हैं कि वसीयतनामा प्रतिवादी संख्या 2 के दूसरे विवाह में मौजूद था और देखा कि उक्त तस्वीरों को अपीलार्थी द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी या उनसे पूछताछ नहीं की गई थी। ट्रायल कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर उनके संबंधों में तनाव होता तो वसीयतनामा उसे बैंक खाते में राशि नहीं देता। 15.4 . तीसरा, ट्रायल कोर्ट ने यह भी पाया कि वसीयतनामा की दूसरी बेटी (प्रतिवादी संख्या 1) को वस्तुतः कोई अधिकार नहीं मिला।

बड़ा हिस्सा। ट्रायल कोर्ट का विचार था कि वसीयत से प्रतिवादी संख्या 1 का बहिष्कार, जब उसके साथ वसीयतनामा के तनावपूर्ण संबंध का कोई सबूत नहीं था, तो वसीयत को अप्राकृतिक और अनुचित बना दिया; और वसीयत को अस्वीकार करने के लिए यह एक और मजबूत संदिग्ध परिस्थिति थी।

15.5 . चौथा, विचारण न्यायालय वसीयत लिखने और उसके निष्पादन के तरीके के बारे में संतुष्ट महसूस नहीं करता था और यह मत व्यक्त करता था कि वसीयतनामा

अपनी शिक्षा पूरी नहीं की और कंप्यूटर साक्षर नहीं थी; कि वसीयत के कुछ हिस्से हस्तलिखित थे और पेंसिल के निशान थे

हस्तलिखित भागों के नीचे की पंक्तियाँ, यह दर्शाती हैं कि वसीयतनामा को विशेष भाग पर निर्देश के अनुसार लिखने के लिए कहा गया था; और वसीयत के कुछ हिस्सों में तकनीकी और कानूनी शब्द थे जो आम आदमी को नहीं पता थे। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि वसीयत कैसे टाइप की गई थी और वसीयत में विशेष खंड को उसकी अपनी लिखावट में लिखने के लिए वसीयत कैसे बनाई गई थी, इस बारे में प्रासंगिक तथ्यों को स्पष्ट नहीं किया गया था और वसीयत के निष्पादन का तरीका एक और संदिग्ध परिस्थिति थी।

15.6 . पाँचवाँ, विचारण न्यायालय का विचार था कि सत्यापित करने वाले गवाह अविश्वसनीय थे और पीडब्लू-3 को रिश्वत दिए जाने की संभावना थी

खारिज नहीं किया गया क्योंकि अपीलार्थी ने रुपये की राशि दी थी। 25,000 / - अपनी बेटी के लिए। दूसरी ओर, पीडब्लू-2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि वह शायद ही वसीयतनामा को जानता था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15.7 . छठा, निचली अदालत ने गवाहों के बयानों में विरोधाभासों को भी ध्यान में रखा, जिससे संदेह पैदा हुआ

अपीलार्थी की कहानी की वास्तविकता के बारे में। ट्रायल कोर्ट ने बताया कि अपीलार्थी के अनुसार, उसे 20.05.2003 से पहले वसीयत के निष्पादन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन पीडब्लू-2 की गवाही के अनुसार, यह अपीलार्थी ही था जिसने वसीयत के सत्यापन के उद्देश्य से उसे 18.05.2003 पर बुलाया था।

15.8 . सातवीं बात, विचारण न्यायालय ने यह भी कहा कि वसीयत में अस्पष्ट पाठ थे जैसे कि 'भवन के अन्य भाग'। जब उक्त संपत्ति में केवल भूतल और पहली मंजिल शामिल थी।

16. अपीलार्थी के नेतृत्व में वसीयत और साक्ष्य की अविश्वसनीयता से संबंधित सभी संदिग्ध परिस्थितियों पर विस्तार से विचार करते हुए, निचली अदालत ने पाया कि अपीलार्थी संदेह को दूर करने में सक्षम नहीं था और इसलिए, याचिका को खारिज कर दिया।

उच्च न्यायालय की सहमति

17. विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने 2010 के एफ. ए. ओ. सं. 36 में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसमें कहा गया है -

दिनांकित आक्षेपित निर्णय द्वारा विचार किया गया और खारिज कर दिया गया 27.06.2014 . संबंधित प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, हम उन कारणों पर ध्यान दे सकते हैं जो उच्च न्यायालय द्वारा आवश्यक विवरणों में विचारण न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखने में प्रचलित थे।

17.1 . दिनांक 27.06.2014 के विवादित फैसले में, उच्च न्यायालय ने पहले स्थान पर अभिलेख पर प्रासंगिक सामग्री पर ध्यान दिया; विचाराधीन वसीयत के आसपास की संदिग्ध परिस्थितियों पर, जैसा कि मुकदमे द्वारा संकेत दिया गया है।

न्यायालय; और संबंधित पक्षों की दलीलें। इसके बाद, उच्च न्यायालय ने उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 18726 की धारा 68 के अनुसार वसीयत के उचित निष्पादन के लिए बुनियादी अवयवों और एच. वेंकटचाला अयंगर बनाम के मामलों में इस न्यायालय द्वारा उजागर किए गए सिद्धांतों का उल्लेख किया। बी. एन. थिम्माजम्मा (ऊपर); रानी पूर्णिमा देवी बनाम। कुमार खागेंद्र नारायण देबः (1962) 3 एस. सी. आर. 195, श्रीमती जसवंत कौर बनाम। श्रीमती. अमृत कौर और ओआरएस। : (1977) 1 एससीसी 369; बाबू सिंह और अन्य। वी. राम सहाय @राम सिंहः ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 2485; गुरदियाल कौर और अन्य। वी. कर्तार कौर और ओआरएस। : 1998 एससीआर (2) 486; पी. पी. के. गोपालन नांबियार बनाम पी. पी. के. बालकृष्णन नाम्बियार और अन्य। : ए. आई. आर. 1995 एस. सी. 1852, बेंगा बेहरा और अन्र। वी. ब्रज किशोर नंदा और अन्य। : (2007) 9 एससीसी 728 और बी।

' इसके बाद इसे 'साक्ष्य अधिनियम' भी कहा जाता है।

कविटा कंवर बनाम। एमआरएस। पामेला मेहता और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

वेंकटमुनि बनाम। सी. जे. अयोध्या राम सिंह और अन्य। : (2006) 13 एस. सी. सी. 449 और जे. मैथ्यू और अन्य मामलों में मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के फैसले में भी। वी. लीला जोसेफः (2007) 5 एम. एल. जे. 740 ने कहा कि स्थापित कानून के अनुसार, वसीयत पर केवल हस्ताक्षर का प्रमाण उसके उचित निष्पादन को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं था और जांच की मांग करने वाले पक्ष का यह कर्तव्य था कि वह वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत के उचित निष्पादन के संबंध में न्यायालय की अंतरात्मा को संतुष्ट करे और उस मामले के लिए, न्यायालय अपनी अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए मामले की गहराई से जांच कर सकता है कि वसीयतकर्ता/वसीयतकर्ता ने वसीयत की सामग्री को समझने के बाद वसीयत को विधिवत निष्पादित किया था।

उच्च न्यायालय ने इस प्रकार विचार के लिए निम्न बिन्दु तैयार कियाः

" 28. विचार के लिए प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी यानी प्रस्तावक के नेतृत्व में साक्ष्य अदालत की अंतरात्मा को संतुष्ट करता है कि विचाराधीन वसीयत को विधिवत निष्पादित किया गया था।

17.2 . इसके बाद, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर विचार किया कि अभिलेख पर साक्ष्य यह स्थापित नहीं करता है कि

पूर्व वसीयत पर हस्ताक्षर करें। पी. डब्ल्यू. 1/एच, टेस्टैट्रिक्स ने इसकी सामग्री को समझा।

17.2. 1 . इस मौलिक पहलू के संबंध में कि क्या वसीयतनामा दस्तावेज़ एक्स की सामग्री को समझता है। पी. डब्ल्यू. 1/एच., उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच की और कहा कि अपीलार्थी ने अपने साक्ष्य में यह उल्लेख नहीं किया कि वसीयतनामा वसीयत की सामग्री से अवगत था। उच्च न्यायालय ने आगे अपीलार्थी की गवाही का इस आशय से उल्लेख किया कि उसे वसीयतनामा द्वारा इस बारे में अवगत नहीं कराया गया था कि प्रश्नगत वसीयत किसने खींची और टाइप की थी; कि उसे वसीयत के बारे में केवल उसके निष्पादन के दिन ही अवगत कराया गया था; कि उसे पता नहीं था कि क्या वसीयतनामा ने प्रतिवादी संख्या के साथ वसीयत पर चर्चा की थी। 1 और 2; कि उसे वसीयतनामा द्वारा प्रतिवादी संख्या को बुलाने का निर्देश नहीं दिया गया था। 1 और 2 वसीयत के निष्पादन के दिन; और वह हालांकि वह

टेस्टैट्रिक्स को कुछ लिखना याद था, लेकिन वह निश्चित नहीं थी कि यह वसीयत के दस्तावेज़ पर था या नहीं। उच्च न्यायालय ने सत्यापित करने वाले गवाहों के संबंध में अपने बयान में एक बड़ी विसंगति देखी, जिसमें अपीलार्थी ने कहा कि वसीयतनामा ने पी. डब्ल्यू.-2 और पी. डब्ल्यू.-3 के साथ वसीयत की सामग्री पर चर्चा की थी, जबकि उन गवाहों ने अपने साक्ष्य में इसका खंडन किया था। इस प्रकार, अपीलार्थी की गवाही की पूरी तरह से जांच करने के बाद, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं लाया गया था कि वसीयतनामा वसीयत की सामग्री से अवगत था। उच्च न्यायालय ने कहा,

" 30. इस संबंध में अभिलेख पर साक्ष्य की जांच की जाती है। अपीलार्थी ने अपने साक्ष्य में कहीं भी शपथ पत्र [2020] 6 एस. सी. आर. के माध्यम से नहीं कहा है।

Ex.P1 कि टेस्टैट्रिक्स विल एक्स की सामग्री से अवगत था। पीडब्लू1/एच। अपनी प्रतिपरीक्षा में, उन्होंने कहा है कि उनकी माँ यानी टेस्टैट्रिक्स ने वसीयत Ex.PW1/H की सामग्री पर चर्चा नहीं की थी।

न ही उसकी माँ ने उसे बताया कि उक्त वसीयत को किसने खींचा और टाइप किया था। अपीलार्थी ने प्रतिपरीक्षा में आगे कहा है कि उसे नहीं पता कि विल Ex.PW1/एच कब टाइप किया गया था। उन्होंने आगे कहा है कि उन्हें पता चला था

उक्त वसीयत Ex.PW1/H के बारे में केवल 20-21 मई, 2003 को। अपीलार्थी ने यह भी बयान दिया है कि वह नहीं जानती कि क्या वह

माता अर्थात, टेस्टैट्रिक्स ने वसीयत Ex.PW 1/H पर उत्तरदाता संख्या के साथ चर्चा की थी। 2 या उत्तरदाता नहीं। 3 . उसकी माँ ने उसे उत्तरदाता को फोन करने के लिए नहीं कहा। 2 और उस दिन 3। जिरह में, उसने आगे कहा है कि उसकी माँ ने गवाहों यानी पीडब्लू 2 और पीडब्लू 3 के साथ वसीयत की सामग्री पर चर्चा की थी, जबकि पीडब्लू 2 और पीडब्लू 3 ने अपने साक्ष्य में इसका खंडन किया है। अपीलार्थी ने आगे बयान दिया है कि वह नहीं जानती कि क्या कोई पेशेवर या कोई भी विलेख लेखक वसीयत Ex.PW 1/H का मसौदा तैयार करने/टाइप करने में लगा हुआ था। अपीलार्थी ने यह भी बयान दिया है कि उस दिन उसकी माँ ने कुछ लिखा था, लेकिन उसे नहीं पता कि वह वसीयत पर था या कुछ और। उसके साक्ष्य से, यह नहीं कहा जा सकता है कि टेस्टैट्रिक्स को वसीयत की सामग्री के बारे में पता था Ex.PW1 /

एच "।

17.2. 2 . उच्च न्यायालय ने गवाहों पी. डब्ल्यू.-2 श्री अरविंदर एस. कोहली और पी. डब्ल्यू.-3 मेजर जनरल मंजीत अहलूवालिया के साक्ष्य की भी जांच की, जिन्होंने बयान दिया कि वसीयतकर्ता ने उनके साथ वसीयत की सामग्री पर चर्चा नहीं की और न ही उन्होंने उससे इस बारे में सवाल किया; और जब वे वसीयतकर्ता के आवास पर पहुंचे, तो उन्होंने वसीयत पर हस्ताक्षर करने से पहले उस पर कुछ और लिखने के लिए आगे बढ़े। उच्च न्यायालय ने

यह देखा गया कि उनकी गवाही से भी कुछ भी साबित नहीं हुआ यदि वसीयतनामा प्रश्नगत दस्तावेज़ की सामग्री को समझता है और कहा,

" 33. गवाहों यानी पीडब्लू2 और पीडब्लू3 को प्रमाणित करने के साक्ष्य से भी यह नहीं कहा जा सकता है कि टेस्टैट्रिक्स ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए थे।

विल एक्स। पी. डब्ल्यू. 1/एच. इसकी सामग्री को समझने के बाद या कि हस्ताक्षर करते समय वह इसकी सामग्री से अवगत थी।

17.2. 3 . आगे बढ़ते हुए, उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के इस कथन पर भी ध्यान दिया कि वसीयतनामा 10 वां भी नहीं था

पास; और अपीलार्थी के बयान का भी उल्लेख किया कि वह अपनी माँ की शैक्षिक योग्यता के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन उसकी माँ कविता कंवर बनाम।

एमआरएस। पामेला मेहता और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

अंग्रेजी भाषा में पढ़ और लिख सकते थे। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य का उल्लेख किया कि वसीयतकर्ता कंप्यूटर साक्षर नहीं था और उसे कोई कानूनी ज्ञान नहीं था; और वसीयत में उपयोग की गई भाषा से पता चलता है कि इसका मसौदा एक वकील द्वारा तैयार किया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि इस बारे में कोई सबूत नहीं दिया गया कि वसीयत का मसौदा किसने तैयार किया और टाइप किया। पीडब्लू1/एच और के निर्णय के संदर्भ में इसे एक संदिग्ध परिस्थिति माना जाता है

इस न्यायालय ने श्रीमती. जसवंत कौर (ऊपर)। उच्च न्यायालय ने इस विशेषता को भी ध्यान में रखा कि विचाराधीन दस्तावेज़ आंशिक रूप से टाइप किया गया था और आंशिक रूप से हस्तलिखित था, जिसके लिए कोई प्रशंसनीय स्पष्टीकरण नहीं था और पाया कि दस्तावेज़ एक बैठक में तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार, गहन विश्लेषण के बाद, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी के नेतृत्व में साक्ष्य से, यह नहीं कहा जा सकता है कि वसीयतनामा ने टाइप किए गए हिस्से को समझ लिया था या वसीयत पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे पढ़ा गया था। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और निष्कर्ष निकालते हुए ऐसी संदिग्ध परिस्थिति के संबंध में निचली अदालत के निष्कर्षों की पुष्टि कीः -

" 35. ..... द विल एक्स। पीडब्लू1/एच आंशिक रूप से टाइप किया जाता है और आंशिक रूप से हाथ से लिखा जाता है यानी विल एक्स का उद्घाटन और समापन पैरा। पीडब्लू1/एच। साक्ष्य से पता चलता है कि विल एक्स। पीडब्लू1/एच भी एक में तैयार नहीं किया गया था। बैठा हुआ है। विल एक्स का पहला और अंतिम पैरा। पी. डब्ल्यू. 1/एच. टेस्टैट्रिक्स की लिखावट में है। बाकी विल एक्स। पीडब्लू1/एच टाइप किया गया है। वसीयत आंशिक रूप से हस्तलिखित और आंशिक रूप से टाइप क्यों की गई है, इसके सबूत में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। दलीलों के दौरान, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि पहला और अंतिम पैरा हस्तलिखित हैं ताकि विचाराधीन वसीयत को अधिक महत्व दिया जा सके। हालाँकि, दिया गया तर्क समझ में नहीं आता है। इसके अलावा, अपीलार्थी द्वारा यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया है कि विचाराधीन वसीयत कहाँ से टाइप की गई थी। विचाराधीन वसीयत का पहला पैरा वसीयतनामा का नाम और अन्य विवरण देता है और अंतिम पैरा विचाराधीन वसीयत का अंतिम पैरा है। टाइप किया गया भाग विल एक्स में कथित वसीयत का विवरण देता है। पीडब्लू1/एच जिसके तहत अपीलार्थी को बड़ा हिस्सा दिया गया है और अपीलार्थी की पसंद के अनुसार एक मंजिल कथित तौर पर इसके पक्ष में वसीयत की गई है -

प्रतिवादी संख्या 2. अपीलार्थी के नेतृत्व में साक्ष्य को पढ़कर यह नहीं कहा जा सकता है कि वसीयतनामा टाइप किए गए हिस्से को समझ गया था या

विल एक्स पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे पढ़ा दिया गया था। पीडब्लू1/एच। विद्वान ए. डी. जे. ने उपरोक्त को सही माना है।

संदिग्ध परिस्थिति के रूप में। "[2020] 6 एस. सी. आर.

17.3 . इसके बाद उच्च न्यायालय ने विचाराधीन वसीयत की वसीयत सामग्री की जांच की और कहा कि याचिका या अपीलार्थी के साक्ष्य में कुछ भी उपलब्ध नहीं है कि अचल संपत्ति का बड़ा हिस्सा उसे क्यों दिया गया था, हालांकि वह लगभग 20-22 वर्षों से वसीयतनामा के साथ नहीं रह रही थी और यह उसका मामला नहीं था कि वह वसीयतनामा की देखभाल कर रही थी जो एक कैंसर रोगी थी। तस्वीर के दूसरी तरफ, उच्च न्यायालय ने देखा कि वसीयतनामा की विधवा बेटी (प्रतिवादी संख्या 1 यहाँ), प्रासंगिक समय पर, उस घर की पहली मंजिल पर रह रही थी जहाँ वसीयतनामा रह रहा था; और, के अनुसार

अभिलेख पर साक्ष्य, प्रतिवादी संख्या 1 उसकी माँ की देखभाल कर रहा था और उसे सेना अस्पताल ले जा रहा था। इस प्रकार समग्र परिदृश्य और व्यवस्था पर ध्यान देने के बाद, उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट नहीं पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 को अपीलार्थी की दया पर छोड़ दिया गया था। कि विचाराधीन वसीयत में, इस बारे में कोई समय सीमा नहीं दी गई थी कि अपीलार्थी कब फर्श का निर्माण करेगा और निर्माण की प्रकृति और गुणवत्ता के बारे में; और उस प्रतिवादी संख्या 1 को इस उद्देश्य के लिए बेदखल करना होगा।

अपेक्षित निर्माण।

17.4 . उच्च न्यायालय ने इस मामले से संबंधित एक अन्य प्रमुख कारक पर भी विचार किया कि अपीलार्थी, प्रमुख लाभार्थी, ने वास्तव में विचाराधीन वसीयत के निष्पादन में सक्रिय भूमिका निभाई; और अपीलार्थी और उसके गवाह की गवाही में भौतिक विरोधाभासों को देखा।

पीडब्लू-2. उच्च न्यायालय ने पाया कि अपीलार्थी निम्नलिखित परिच्छेदों में ऐसी संदिग्ध परिस्थिति के संबंध में न्यायालय की अंतरात्मा को संतुष्ट करने में असमर्थ थाः

" 40. विचाराधीन वसीयत को पढ़कर, यह अपीलार्थी है जो वसीयत का प्रमुख लाभार्थी है। अभिलेख पर साक्ष्य से पता चलता है कि उसने कथित वसीयत तैयार करने में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। वह उस समय मौजूद थी जब कथित रूप से वसीयत को निष्पादित किया गया था। सत्यापनक गवाह अरविंदर एस कोहली, पीडब्लू-2 अपीलार्थीकिँ विगत 30 बरखसँ ओकर मित्र होयबाक कारणेँ बहुत नीक जकाँ जानल जाइत अछि। उसने अपदस्थ किया है कि वह अपीलार्थी के माध्यम से मृतक को जानता था और बाद में अपीलार्थी के चचेरे भाई के बेटे ने वर्ष 1994 में अपनी बेटी से शादी की और 1994 के बाद से वह सामाजिक अवसरों पर केवल दो या तीन बार टेस्टैट्रिक्स गया था। उसके साक्ष्य को पढ़कर यह नहीं कहा जा सकता है कि वह वसीयतनामा के करीब था। इन परिस्थितियों में, वसीयतनामा वसीयत Ex.PW1/H को प्रमाणित करने के लिए उसे अपना नहीं कह सकता था। हालांकि साक्ष्य में, अपीलार्थी ने गवाही दी है कि उसकी माँ यानी वसीयतनामा ने उक्त गवाहों को बुलाया था, जबकि कविता कंवर बनाम।

एमआरएस। पामेला मेहता और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

गवाह पीडब्लू2 ने गवाही दी है कि 18.5.2003 पर, उसे अपीलार्थी द्वारा बुलाया गया था जिसने उसे अपनी माँ के घर आने के लिए कहा था।

20.5.2003 क्योंकि उसकी माँ वसीयत को निष्पादित करना चाहती थी।

उसे करोड़ों रुपये का पर्याप्त लाभ हुआ। यह अपने आप में एक बड़ी संदिग्ध परिस्थिति है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने निरंजन उमेश चंद्र जोशी बनाम मृदुला ज्योति राव मामले में कहा हैः 2007 (1) एडी एससी 477। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरिंदर पाल बनाम सरस्वती अरोड़ा मामले में भी यह निर्णय दिया गया हैः (1974) 2 एस. सी. सी. 600 जहाँ प्रोपाउंडर वसीयत के निष्पादन में प्रमुख भूमिका निभाता है जो प्रदान करता है उसे एक
महत्वपूर्ण लाभ जो अपने आप में एक संदिग्ध है

ऐसी परिस्थिति जिसे उसे स्पष्ट साक्ष्य द्वारा हटा देना चाहिए। में

वर्तमान मामले में अपीलार्थी द्वारा संतुष्ट करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है

उपरोक्त संदिग्ध को साफ करने के लिए अदालत की अंतरात्मा

वसीयत Ex.PW1/H बनाने के समय मौजूद परिस्थिति। प्रस्तावक को स्पष्ट और संतोषजनक साक्ष्य द्वारा संदेह को दूर करने की आवश्यकता थी। "

17.5 . प्रत्यर्थी संख्या 2 (वसीयतनामा के पुत्र) की ओर मुड़ते हुए, उच्च न्यायालय ने पाया कि वसीयत में इसके लिए कोई कारण नहीं दिया गया था।

उसे उक्त अचल संपत्ति से बाहर करने और वसीयत के तहत उसके लाभ को वसीयतनामा के बचत बैंक खाते में शेष राशि तक सीमित करने के लिए। उच्च न्यायालय ने कहा कि हालांकि अपीलार्थी ने बयान दिया था कि वसीयतनामा और प्रतिवादी संख्या 2 के बीच तनावपूर्ण संबंध थे, लेकिन इसके विपरीत, गवाह पी. डब्ल्यू.-3 मेजर जनरल मंजीत अहलूवालिया, वसीयतनामा की बहन के बेटे और प्रतिवादी संख्या 1 ने भी बयान दिया था कि उनके संबंध वास्तव में संतोषजनक थे। उच्च न्यायालय ने फिर से वसीयतनामा और उसके बेटे के बीच अच्छे संबंधों को नियमित रूप से बनाए रखने के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य का उल्लेख किया, जैसे कि जन्मदिन का कार्ड और परिवार की तस्वीरें, और कहा कि अगर तनावपूर्ण संबंध होते, तो वसीयतनामा ने किसी भी प्रकार की वसीयत भी नहीं की होती।

उसके बेटे के लिए राशि। फिर से, अभिलेख पर साक्ष्य के गहन विश्लेषण के बाद, उच्च न्यायालय ने पाया कि वसीयतनामा और उसके बेटे के बीच तनावपूर्ण संबंधों का इतना पर्याप्त सबूत नहीं था कि वह उसे अपनी अचल संपत्ति से बाहर कर देती। इसलिए,

वसीयत से प्रत्यर्थी संख्या 2 का बहिष्कार भी एक गंभीर संदिग्ध परिस्थिति के रूप में लिया गया था जो विचाराधीन वसीयत की वास्तविकता पर संदेह पैदा करती है। उच्च न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ, टिप्पणी की, [2020] 6 एस. सी. आर.

" 46. संदिग्ध को समझाने के लिए कोई सबूत सामने नहीं आ रहा है।

प्रत्यर्थी सं. को अपवर्जित करने की परिस्थिति। 3 अचल संपत्ति की वसीयत से। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मृतक ने वसीयत Ex.PW1/H पर हस्ताक्षर करने से पहले इसकी सामग्री को समझा था। इस पृष्ठभूमि में, प्रत्यर्थी सं. 3 यह भी एक गंभीर संदिग्ध परिस्थिति है जो अस्पष्ट बनी हुई है। वही विल Ex.PW1/H "की वास्तविकता पर संदेह करते हैं।

17.6 . इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने यह भी देखा कि हालांकि प्रतिवादी संख्या 1 वसीयतनामा के ऊपर केवल एक मंजिल पर रहता था और उसके साथ अच्छे संबंध भी बनाए हुए था, लेकिन वसीयत के निष्पादन के समय केवल अपीलार्थी को बुलाया गया था और ऐसा न करने का कोई कारण नहीं बताया गया था प्रत्यर्थी नंबर 1 को कॉल करें। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि प्रतिवादी संख्या 1 को वसीयत के निष्पादन के बारे में उसके निष्पादन की तारीख से तीन साल बाद ही सूचित किया गया था। अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों को सूचित किए बिना, और इस तरह के कार्य के लिए स्पष्टीकरण दिए बिना, गुप्त रूप से वसीयत का निष्पादन भी एक और अस्पष्टीकृत संदिग्ध परिस्थिति के रूप में माना जाता था।

17.7 . उच्च न्यायालय ने वसीयतनामा द्वारा वसीयत के निष्पादन से संबंधित भौतिक पहलुओं पर अपीलार्थी और कथित दो गवाहों की गवाही में विभिन्न विरोधाभासों का भी उल्लेख किया, विशेष रूप से कि दस्तावेज़ पर हस्तलिखित भाग कैसे लिखा गया था और दस्तावेज़ की सामग्री से संबंधित चर्चा के संबंध में।

दस्तावेज़; और इस तरह के विरोधाभासों को प्रकृति में गंभीर पाया, जिससे विल एक्स के निष्पादन के बारे में संदेह पैदा हुआ। कानून के अनुसार पीडब्लू1/एच। साक्ष्य के प्रासंगिक भागों की जांच करने के बाद, उच्च न्यायालय ने कहा और पाया कि निम्नानुसार हैः

" 48. इसके अलावा, वसीयत के निष्पादन से संबंधित भौतिक पहलुओं पर गवाहों यानी पीडब्लू 2 और पीडब्लू 3 और अपीलार्थी की गवाही को प्रमाणित करने में गंभीर विरोधाभास हैं। शपथ पत्र में एक्स। पी1 अपीलार्थी ने कहा है कि वसीयतनामा ने आंशिक रूप से टाइप की गई वसीयत लाई थी और आगे अपने हाथ में वसीयत के शुरुआती और अंतिम पैराग्राफ लिखे थे। पीडब्लू1/एच। क्रॉस में जाँच में, उसने कहा है कि उसे नहीं पता कि उसने वसीयत पर लिखा था या कुछ और। एस. उर्विंदर एस. कोहली पीडब्लू2 ने कहा है कि विल एक्स पर हस्तलिखित भाग है। पीडब्लू1/एच को उनके अपने टेस्टैट्रिक्स द्वारा लिखा गया था। एस. मंजीत अहलूवालिया पीडब्लू3 ने प्रतिपरीक्षा में कहा है कि वसीयतनामा में कविता कंवर बनाम था।

एमआरएस। पामेला मेहता और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

एक मसौदा जिसमें से उन्होंने विल एक्स पर अपनी लिखावट में कुछ नकल की। पीडब्लू1/एच। तीनों गवाहों ने गवाही दी है। विल एक्स पर हस्तलिखित भाग कैसे लिखा गया था, यह अलग है।

पीडब्लू1/एच। विल एक्स की सामग्री के बारे में चर्चा के संबंध में भी विरोधाभास है। सत्यापित करने वाले गवाहों के साथ वसीयतनामा द्वारा पीडब्लू1/एच। अपीलार्थी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि उसकी माँ ने गवाहों के साथ वसीयत की सामग्री पर चर्चा की थी, जबकि दोनों प्रमाणक गवाहों ने इस बात से इनकार किया है कि वसीयत की सामग्री पर वसीयतकर्ता द्वारा चर्चा की गई थी। पीडब्लू2 ने प्रतिपरीक्षा में यह भी कहा है कि उन्होंने उस पर वसीयतनामा पर सवाल भी नहीं उठाया था। गवाहों के वसीयतनामा के घर पहुंचने के समय वसीयत से बाहर निकलने के तरीके के बारे में भी विरोधाभास है। सत्यापित करने वाले गवाह पीडब्लू2 ने बयान दिया है कि वसीयत उनके सामने तब पेश नहीं की गई थी जब वह वसीयतनामा और अपीलार्थी के साथ मौजूद थे। उनके अनुसार, जब पीडब्लू 3 आया था, तभी वसीयत तैयार की गई थी। दूसरी ओर, एस। मंजीत अहलूवालिया पीडब्लू 3 ने यह बयान दिया है कि जब वह वसीयतनामा विल एक्स के घर पहुंचे थे। पी. डब्ल्यू. 1/एच. को वसीयतनामा द्वारा उसके घर पहुंचने से पहले ही बाहर निकाल लिया गया था। उपरोक्त विरोधाभास गंभीर प्रकृति के हैं और इसके निष्पादन के बारे में संदेह पैदा करते हैं

विल एक्स। कानून के अनुसार पीडब्लू1/एच। "

17.8 . उपरोक्त टिप्पणियों को समझ में लाना और

निष्कर्ष, यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय, अभिलेख पर साक्ष्य के एक स्वतंत्र विश्लेषण के बाद, विभिन्न संदिग्ध परिस्थितियों के संबंध में निचली अदालत के प्रमुख निष्कर्षों से सहमत था जो शेष रह गए थे। अस्पष्टीकृत और जो दस्तावेज़ की वास्तविकता के खिलाफ काम करता है

पक्षकारों की माता की वसीयत के रूप में प्रस्तावित। हालाँकि, यह मामला समाप्त नहीं हुआ था क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा रुपये की राशि के भुगतान के संबंध में एक अन्य संदिग्ध कारक का भी विश्लेषण किया गया था। 25,000 / - अपीलार्थी द्वारा सत्यापित करने वाले गवाह पी. डब्ल्यू.-3 मेजर जनरल मंजीत अहलूवालिया की बेटी को, वसीयतनामा और अपीलार्थी के नाम पर संयुक्त रूप से रखे गए खाते से चेक के माध्यम से, लेकिन वसीयतनामा की मृत्यु के बाद। प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं ने दावा किया कि उपरोक्त भुगतान था सत्यापित करने वाले गवाह पीडब्लू-3 से अनुग्रह प्राप्त करने के लिए किया गया। इस संबंध में, अपीलार्थी का रुख यह था कि ऐसी राशि का भुगतान न केवल पीडब्लू-3 की बेटी को किया गया था, बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 की बेटी और अपीलार्थी के बेटों को भी किया गया था क्योंकि वसीयतनामा उन्हें उक्त राशि उपहार में देना चाहता था। दिलचस्प बात यह है कि अपीलार्थी के इस रुख को मजबूत करने के लिए कि राशि का भुगतान पीडब्लू-3 की बेटी को [2020] 6 एस. सी. आर. के रूप में किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वसीयतनामा की इच्छा के अनुसार, उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी के विद्वान वकील ने वसीयत के कथित तीसरे पृष्ठ का उल्लेख किया। वसीयत के कथित तीसरे पृष्ठ पर भरोसा करते हुए अपीलार्थी की ओर से की गई इस तरह की प्रस्तुति पर ध्यान देने के बाद, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत की उन्हीं कार्यवाहियों को संदर्भित किया जिनका हमने विस्तार से उल्लेख किया है।

इससे पहले, जहां उत्तरदाता वसीयत के कथित तीसरे पृष्ठ को प्रस्तुत करना चाहते थे, लेकिन अपीलार्थी ने विचाराधीन वसीयत के ऐसे किसी भी तीसरे पृष्ठ के अस्तित्व से इनकार किया। उच्च न्यायालय ने पाया कि वसीयत का उक्त तीसरा पृष्ठ कभी भी विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था और कहा कि वसीयत का कथित तीसरा पृष्ठ मौजूद होने पर भी संदिग्ध परिस्थितियों को दूर नहीं करता है। चर्चा का यह भाग और

विवादित निर्णय के पैराग्राफ 49 में उच्च न्यायालय की टिप्पणियों को उपयोगी रूप से निम्नानुसार निकाला जा सकता है:

" 49. यह भी सबूत में आया है कि रु। 25000 / - अपीलार्थी द्वारा प्रमाणित करने वाले गवाह मेजर जनरल मंजीत अहलूवालिया पी. डब्ल्यू. 3 की बेटी को चेक एक्स के माध्यम से भुगतान किया गया था। आर 3 डब्ल्यू1-सी वसीयतनामा और वसीयतनामा की मृत्यु के बाद अपीलार्थी के नाम पर संयुक्त रूप से खाते से। प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 का रुख यह है कि उपरोक्त भुगतान पक्ष लेने के लिए किया गया था

गवाह पी. डब्ल्यू. 3 को इस तरह से प्रमाणित करना कि उसका साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। दूसरी ओर, अपीलार्थी का रुख यह है कि उक्त राशि का भुगतान न केवल पीडब्लू 3 की बेटी को किया गया था, बल्कि प्रतिवादी संख्या 2 की बेटी और अपीलार्थी के बेटे को भी किया गया था क्योंकि मृतक/वसीयतनामा उन्हें उक्त राशि उपहार में देना चाहता था। पक्ष के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने विचाराधीन वसीयत के कथित तीसरे चरण का उल्लेख किया है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि वसीयत Ex.PW1/H का कथित तीसरा पृष्ठ अपीलार्थी द्वारा कभी भी प्रस्तुत नहीं किया जाता है। बल्कि, जब प्रत्यर्थी संख्या 3 ने वसीयत के कथित तीसरे पृष्ठ को प्रस्तुत करने के लिए एक आवेदन दायर किया था, तो अपीलार्थी ने उक्त पृष्ठ के अस्तित्व से इनकार किया था। वसीयत का तीसरा पृष्ठ विद्वान एडीजे के सामने कभी साबित नहीं होता है। यहाँ तक कि अनुमान भी लगाएँ कथित तीसरा पृष्ठ मौजूद है, वही संदिग्ध परिस्थितियों को दूर नहीं करता है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। इन परिस्थितियों में, अपीलार्थी का यह तर्क कि वसीयत का कथित तीसरा पृष्ठ

Ex. पीडब्लू1/एच साबित करता है कि इसकी वैधता का कोई बल नहीं है।

17.9 . उपरोक्त अकथनीय विशेषताओं, असामान्य परिस्थितियों और गवाहों की अविश्वसनीयता पर ध्यान देने के बाद, और प्रतिवादी संख्या 1 में कोई गलती या दुर्भावना नहीं पाए जाने के बाद, जो कविटा कंवर बनाम में मामले का विरोध कर रहा है।

एमआरएस। पामेला मेहता और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

बाद के चरण में, उच्च न्यायालय ने अपने विवादित निर्णय दिनांक आई. डी. 1 में, निचली अदालत के निष्कर्षों के साथ सहमति जताते हुए, अपील को खारिज कर दिया और कहा कि वसीयत पर वसीयत पर केवल हस्ताक्षर करना यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं था कि उक्त वसीयत को उसकी सामग्री को समझने के बाद विधिवत निष्पादित किया गया था। उच्च न्यायालय ने इस मामले पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकालाः

" 51. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, विद्वान एडीजे के निष्कर्षों की पुष्टि की जाती है कि विल Ex.PW1/एच विभिन्न संदिग्ध परिस्थितियों से घिरा हुआ है जो अस्पष्ट बनी हुई है और उपरोक्त की संभावना मृतक द्वारा इसकी सामग्री को समझने के बाद विधिवत निष्पादित नहीं की जाएगी। विद्वान एडीजे द्वारा दिए गए निष्कर्षों में कोई अवैधता या विकृति नहीं देखी गई है। विवादित फैसले में हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है।

झगड़ालू सामग्री

अपीलार्थी

18. उच्च न्यायालय द्वारा उसकी अपील को खारिज करने और अनुदान के लिए उसकी प्रार्थना को अस्वीकार करने के फैसले से व्यथित होना

परिवीक्षाधीन, याचिकाकर्ता-अपीलार्थी ने विशेष अनुमति द्वारा इस अपील को प्राथमिकता दी है। आक्षेपित निर्णयों पर जोर देते हुए, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने दृढ़ता से तर्क दिया है कि वसीयत का उचित निष्पादन उत्तराधिकार अधिनियम की आवश्यकताओं को साक्ष्य अधिनियम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार साबित किया गया है और उनके खिलाफ रिकॉर्ड पर कोई ठोस कारण या परिस्थिति स्थापित नहीं की गई है।

विवादित वसीयत की वास्तविकता, प्रोबेट देने के लिए एक स्पष्ट मामला बनाया गया है, लेकिन निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय भी पूरी तरह से आधारहीन विचारों पर अपीलार्थी की प्रार्थना को अस्वीकार करने के लिए आगे बढ़े हैं। तथाकथित संदिग्ध परिस्थितियों पर वसीयत पर संदेह करते हुए, हालांकि कोई नहीं है।

18.1 . उसकी प्रस्तुतियों के बारे में विस्तार से बताते हुए, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि एक वसीयत को किसी भी अन्य वसीयत की तरह साबित करना होगा

दस्तावेज़ लेकिन, इसे उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 की आवश्यकताओं को इस तरह से पूरा करना होगा कि उचित निष्पादन के लिए, वसीयतकर्ता को वसीयत पर अपने निशान पर हस्ताक्षर करना या चिपकाना होगा या वसीयतकर्ता की उपस्थिति में और उसके निर्देश के तहत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर करना होगा; और वसीयत

दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए, जिनमें से प्रत्येक ने वसीयतकर्ता द्वारा या अन्य व्यक्ति द्वारा इस तरह के हस्ताक्षर या संलिप्तता को देखा है। वसीयतकर्ता के निर्देश। इसके अलावा, साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुसार, कम से कम एक प्रमाणक गवाह से वसीयत के प्रमाण में पूछताछ की जानी चाहिए।

20] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विद्वान वकील प्रस्तुत करेगा कि वर्तमान मामले में, उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 की सभी आवश्यकताओं को विधिवत रूप से पूरा किया जाता है विचाराधीन वसीयत का निष्पादन; और यह न्यायालय के समक्ष दोनों प्रमाणक गवाहों की परीक्षा के साथ विधिवत साबित हो गया है

पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3। विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि अपीलार्थी

अपने बोझ को विधिवत निर्वहन करने के बाद और रिकॉर्ड पर कुछ भी ठोस नहीं लाया गया है ताकि कोई वैध संदेह पैदा किया जा सके, प्रोबेट को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है जैसा कि अनुरोध किया गया है।

18.2 . प्रोबेट के अनुदान के लिए अपीलार्थी के मामले पर जोर देते हुए

विचाराधीन वसीयत के संबंध में, विद्वान वकील ने, सबसे पहले, विचाराधीन वसीयत के बारे में कुछ मुद्दों को उठाने के प्रयास में उत्तरदाताओं की स्थिति और रुख पर सवाल उठाया है।

18.2. 1 . प्रत्यर्थी संख्या 1 के संबंध में, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि उसके पास साक्ष्य का नेतृत्व करने या वसीयत की वैधता और वास्तविकता पर संदेह करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उसने निचली अदालत के समक्ष कोई आपत्ति दर्ज नहीं की थी और इस तरह, अनिवार्य रूप से, विचाराधीन वसीयत के निष्पादन को अंतिम होने के रूप में स्वीकार किया था।

उसकी माँ का वसीयतनामा। विद्वान वकील प्रस्तुत करेगा कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर आवेदन, आगे प्रतिपरीक्षा के उद्देश्य से और लिखित रूप से दाखिल करने की अनुमति के लिए अपीलार्थी को वापस बुलाने के लिए

बयान को निचली अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया था और उसने अपने खिलाफ पारित आदेशों को चुनौती नहीं दी और इस तरह, इस तरह के आदेशों को अंतिम रूप मिल गया है। विद्वान वकील ने सी. पी. सी. के आदेश VIII नियम 10 के साथ उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 268 और आदेश XV नियम 2 सी. पी. सी. के साथ पठित आदेश XIV नियम 1 (6) के संदर्भ में प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 की स्थिति एक प्रतिवादी की बनी हुई है जो वादी के साथ विवाद में नहीं है। और दी गई परिस्थितियों में, उनकी ओर से दिए जाने वाले सभी सुझाव विचार के योग्य नहीं हैं। बछाज नाहर बनाम में निर्णय के संदर्भ में। नीलिमा मंडल और अन्र। : (2008) 17 एस. सी. सी. 491, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अभिवचन के बिना प्रस्तुत साक्ष्य अस्वीकार्य है। विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया है कि इस न्यायालय के समक्ष यह पहली बार है कि प्रतिवादी संख्या 1 और उसकी माँ के बीच संबंधों की स्थिति के संबंध में लिखित प्रस्तुतियों में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा तथ्य की एक नई याचिका पेश की गई थी; और यह कि सी. पी. सी. के आदेश VI नियम 7 के तहत प्रावधान संशोधन के अलावा दावे के नए आधारों को पेश करने से रोकते हैं। विद्वान वकील ने जोर देकर तर्क दिया है कि शुरुआत से ही, कविता कंवर बनाम का आधार।

एमआरएस। पामेला मेहता और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

प्रत्यर्थी संख्या 1 ने कहा था कि उसने वसीयत की वास्तविकता को स्वीकार किया था और इसलिए, उसके विपरीत एक रुख अब उसके द्वारा इस न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया जा सकता है।

18.2. 2 . जहां तक प्रत्यर्थी संख्या 2 का संबंध है, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने उसके द्वारा दायर आपत्तियों का उल्लेख किया है और प्रस्तुत किया है कि अधिकांश आपत्तियां पूरी तरह से आधारहीन और असमर्थनीय होने के कारण, निचली अदालत द्वारा स्पष्ट रूप से खारिज कर दी गई थीं, जैसे कि वे सुझाव दिए गए थे जैसे कि विचाराधीन वसीयत जाली और मनगढ़ंत थी या वे जो वसीयतकर्ता की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाना चाहते थे। विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने विचाराधीन संपत्ति के पैतृक चरित्र का सुझाव दिया और निचली अदालत ने चिरंजीलाल (ऊपर) में निर्णय के संदर्भ में ऐसी आपत्तियों को भी सही ढंग से खारिज कर दिया है क्योंकि संपत्ति के स्वामित्व का निर्णय प्रोबेट कार्यवाही में नहीं किया जाना है। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि इसके द्वारा सुझाव

उत्तरदाता ने वसीयतनामा के साथ अपने सौहार्दपूर्ण संबंधों के बारे में रिकॉर्ड पर स्थापित नहीं किया है और उसके द्वारा प्रस्तुत कुछ तस्वीरें और पत्र यह स्थापित नहीं करते हैं कि वह वसीयतनामा के साथ गहरे संबंध में था; बल्कि, रिकॉर्ड पर साक्ष्य के अनुसार, वह परिवार से दूर और अलग रहा और उसे वसीयतनामा की बीमारी के बारे में पता भी नहीं था।

टेस्टैट्रिक्स। इस प्रकार, विद्वान वकील के अनुसार, यहां तक कि प्रतिवादी की आपत्तियां भी ऐसी किसी संदिग्ध परिस्थिति का मामला नहीं बनाती हैं जिसके लिए विचाराधीन वसीयत की वास्तविकता पर संदेह किया जा सकता है।

18.3 . जहां तक दो साक्षियों की गवाही के संबंध में, विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि उन्होंने स्पष्ट रूप से साबित कर दिया है

वसीयत के उचित निष्पादन और उनके द्वारा प्रमाणन से संबंधित भौतिक तथ्य; और कुछ मामूली और स्वाभाविक विसंगतियों के संदर्भ में उन पर लगाए जाने वाले संदेह, या अपीलार्थी के साथ उनके परिचय का कोई परिणाम नहीं है। विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि वसीयत वर्ष 2003 में निष्पादित किया गया था जबकि गवाहों की गवाही केवल वर्ष 2008 में दर्ज की गई थी और इसलिए, कौन पहले आया या वसीयत आदि पर कौन सा हिस्सा लिखा गया था, इस बारे में विवरणों में मामूली बदलाव उनके साक्ष्य के सार को प्रभावित नहीं करते हैं।

18.4 . विद्वान वकील ने विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया है जैसे कि एच. वेंकटचाला अयंगर (ऊपर), मधुखर डी. शेंडे बनाम।

ताराबाई अबा शेडगेः (2002) 2 एस. सी. सी. 85; और जॉयस प्रिमरोज़ प्रेस्टर बनाम। वेरा मैरी वासः (1996) 9 एस. सी. सी. 324 यह प्रस्तुत करने के लिए कि यद्यपि वसीयत को साबित करने की प्रारंभिक जिम्मेदारी प्रस्तावक पर है, लेकिन एक बार जब वह बोझ हटा दिया जाता है, तो कोई भी संदेह अकेले न्यायिक [2020] 6 एस. सी. आर. की नींव नहीं बना सकता है।

निर्णय; और संदेह के बारे में किसी भी सुझाव की अदालत द्वारा अनुमानों और केवल संदेह करने वाले मन की कल्पना से बचाव करते हुए जांच की जानी चाहिए। विद्वान वकील ने उपरोक्त निर्णयों में उन सिद्धांतों को दोहराया है जो वास्तविक, स्पष्ट और वैध संदिग्ध होने चाहिए। जिन विशेषताओं के लिए प्रस्तावित वसीयत पर सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन वर्तमान मामले में ऐसी कोई विशेषता या परिस्थिति नहीं थी।

18.5 . विचाराधीन वसीयत के निष्पादन के तरीके के संबंध में, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि जॉयस प्रिमरोज़ प्रेस्टर का अनुपात

(उपरि), कि अनुमान की अधिक डिग्री एक के मामले में उत्पन्न होती है

" होलोग्राफ "वसीयत, वर्तमान मामले में भी लागू होती है, जहां वसीयतनामा और उसके विवरण से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री होती है।

प्रारंभिक और समापन अंशों में असंदिग्ध वसीयत, वसीयतनामा द्वारा विधिवत रूप से उनके अपने हाथ में लिखी गई थी।

18.6 . निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान में रखी गई संदिग्ध परिस्थितियों पर विचार करते हुए, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि कथित परिस्थितियाँ या तो अस्तित्व में नहीं थीं, या उनका अनुरोध नहीं किया गया था, या उनमें कोई संदेह नहीं था।

विचाराधीन वसीयत की वास्तविकता। इसके अलावा, विद्वान वकील के अनुसार, वसीयत के निष्पादन की गैर-जानकारी जैसी परिस्थितियाँ कानूनी उत्तराधिकारी; वसीयत की अस्पष्ट सामग्री; और गवाहों के बयानों में विरोधाभास, इसके बावजूद, काल्पनिक और अनुमानात्मक हैं और इन्हें केवल नजरअंदाज किया जा सकता है।

18.6. 2 . विद्वान वकील ने लीला राजगोपाल और अन्य मामलों में निर्णयों के संदर्भ में तर्क दिया है। वी. कमला मेनन कोचरान

और ओआरएस। : (2014) 15 एस. सी. सी. 570, वेद मित्र वर्मा बनाम। धरम देव वर्माः (2014) 15 एस. सी. सी. 578; महेश कुमार बनाम विनोद कुमार और अन्य। : (2012) 4 एस. सी. सी. 387; सावित्री और अन्य। वी. कार्त्यायनी अम्मा और अन्य। : (2007) 11 एस. सी. सी. 621; पेंटाकोटा सत्यनारायणा और अन्य। वी. पेंटाकोटा सीतारत्नम और ओआरएस। : (2005) 8 एस. सी. सी. 67; उमा देवी नाम्बियार और Ors.v। टी. सी. सिधनः (2004) 2 एस. सी. सी. 321; रमाबाई पद्माकर पाटिल और अन्य। वी. रुक्मिणीबाई विष्णु वेखंडे और ओआरएस। : (2003) 8 एस. सी. सी. 537 और रवीन्द्र नाथ मुखर्जी और अन्र। वी. पंचानन बनर्जी और अन्य। : (1995) 4 एस. सी. सी. 459, कि केवल कविता कंवर बनाम।

एमआरएस। पामेला मेहता और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

18.6. 3 . जहां तक सत्यापित करने वाले गवाहों को मौद्रिक लाभों के सवाल का संबंध है, अपीलार्थी की ओर से यह कहा गया है कि पीडब्लू-2 को कोई मौद्रिक लाभ हुआ; और पीडब्लू-3 की बेटी को मौद्रिक लाभ इस पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए कि उक्त गवाह एक मेजर जनरल है और वसीयतनामा से निकटता से संबंधित था; उक्त गवाह की विश्वसनीयता के बारे में कोई आरोप नहीं है; और तुच्छ संदेह है।

उनकी विश्वसनीयता को केवल रुपये की राशि पर उठाया जा रहा है। 25,000 / ' 'प्यार और स्नेह के लिए' वर्ष 2006 में दिया गया है।

18.7 . इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि विचाराधीन वसीयत पक्षकारों की माँ की वास्तविक अंतिम वसीयत है; और अपीलार्थी निष्पादक होने के नाते,

प्रार्थना के अनुसार प्रोबेट दिया जा सकता है।

प्रत्यर्थी संख्या 2

19. अपीलार्थी की ओर से की गई दलीलों का विरोध करते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान वकील, जिन्होंने आपत्तियां दायर की थीं और लगातार मामले का विरोध किया है, ने निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान में रखी गई संदिग्ध परिस्थितियों का वर्णन किया है और तर्क दिया है कि अपीलार्थी उनमें से किसी को भी समझाने में पूरी तरह से विफल रहा है और इसलिए, विचाराधीन वसीयत को वसीयतकर्ता द्वारा इसकी सामग्री के अर्थ और उद्देश्य को समझने के बाद नहीं कहा जा सकता है। 19.1 . तर्कों में सबसे आगे, प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी, जो स्वीकार्य रूप से विवादित वसीयत का प्रमुख लाभार्थी है, ने वास्तव में विचाराधीन वसीयत के निष्पादन में एक प्रमुख भूमिका निभाई और फिर जानबूझकर प्रयास किया

दस्तावेज़ बनाने में उसकी सक्रिय भूमिका के इस तथ्य को छिपाएँ। विद्वान वकील ने कार्यवाही के विभिन्न चरणों में अपीलार्थी के अभिवचनों और अभिकथनों के संदर्भ में इन प्रस्तुतियों के बारे में विस्तार से बताया है, जहां उन्होंने लगातार कहा है कि इसमें उनकी भूमिका थी

विचाराधीन वसीयत का निर्माण और निष्पादन। विद्वान सलाहकार जिरह में अपीलार्थी के बयान का भी उल्लेख किया गया है कि वसीयत ने उसे वसीयत के गवाह खोजने के लिए नहीं कहा था और हो सकता है कि उसने खुद गवाहों को वसीयत के लिए बुलाया हो।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विद्वान वकील के अनुसार, अपीलार्थी के इन दावों का पीडब्लू-2 अरविंदर एस कोहली द्वारा प्रभावी रूप से खंडन किया गया है, जिन्होंने कहा कि यह अपीलार्थी ही था जिसने 18.05.2003 पर उसे वसीयतनामा के घर आने के लिए कहा और उसके बाद वह 20.05.2003 पर आने के लिए सहमत हो गया। एच में निर्णय के संदर्भ में। विद्वान वकील वेंतकचला अयंगर (ऊपर) ने तर्क दिया है कि जब प्रोपाउंडर वसीयत के निष्पादन में सक्रिय भूमिका निभाता है और उसके तहत प्रमुख लाभ प्राप्त करता है, तो यह अपने आप में एक संदिग्ध परिस्थिति है और प्रोपाउंडर को स्पष्ट और संतोषजनक साक्ष्य द्वारा संदेह को दूर करना चाहिए, जिसे अपीलकर्ता प्रस्तुत करने में विफल रहा है।

19.2 . इसके अलावा, प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान वकील ने पीडब्लू-2 अरविंदर एस कोहली की गवाही के अन्य हिस्सों का उल्लेख करते हुए कहा है कि यह गवाह वसीयतनामा को मुश्किल से पता था, जबकि वह लगभग 30 वर्षों से अपीलार्थी के करीब था। रामचंद्र रामबक्स बनाम में इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में। चम्पाबाई और ओआरएस। : ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 354 और दिल्ली उच्च न्यायालय का राजेश चंद और अन्य मामलों में। वी. दयावती और ओआरएस। : आई. एल. आर. (1981) 2 दिल्ली 477, विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि प्रोपाउंडर के साथ वसीयत के गवाह को प्रमाणित करने की निकटता अपने आप में एक संदिग्ध परिस्थिति है; और अपीलार्थी भी इस परिस्थिति को समझाने में विफल रहा है।

19.3 . प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने वसीयत के संबंध में तीखी टिप्पणी की है जैसा कि वसीयत में प्रस्तावित है।

और प्रस्तुत किया है कि बिना किसी तुकबंदी या कारण के, वसीयतनामा की संपत्ति का ऐसा अन्यायपूर्ण और अनुचित वितरण प्रस्तावित किया गया है जो पक्षों की माँ द्वारा किए जाने की संभावना नहीं थी, विशेष रूप से जब उसके पास अपने बेटे के खिलाफ और दूसरी बेटी के खिलाफ कुछ भी नहीं था।

19.3. 1 . विद्वान वकील प्रस्तुत करेगा कि वास्तव में, वसीयतनामा की दूसरी बेटी (प्रतिवादी संख्या 1) एक विधवा थी जिसके पास एक था

अविवाहित बेटी; और उसे घर की पहली मंजिल (जो टेस्टैट्रिक्स की संपत्ति थी) निवास के लिए दी गई थी; और वह टेस्टैट्रिक्स की देखभाल कर रही थी, जो कैंसर से पीड़ित थी। दिए गए में

परिस्थितियों में, ऐसा कोई कारण नहीं था कि वसीयतनामा ने अपनी विधवा और जरूरतमंद बेटी को अपीलार्थी की दया पर ऊपरी मंजिल के निर्माण को ऊपर उठाने की अस्पष्ट और अनिश्चित शर्तों के साथ छोड़ दिया होगा। अपीलार्थी, जैसा कि विचाराधीन वसीयत में पाया गया है। विद्वान वकील यह भी प्रस्तुत करेगा कि वसीयतनामा द्वारा की गई वसीयत केवल उसकी संपत्ति तक ही सीमित हो सकती है और इसमें किसी अन्य कविटा कंवर बनाम द्वारा निर्मित संपत्ति शामिल नहीं हो सकती है।

एमआरएस। पामेला मेहता और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

व्यक्ति; कि अपने स्वयं के धन का उपयोग करके निर्मित संपत्ति उस व्यक्ति की अनन्य संपत्ति होगी और इस तरह, सशर्त वसीयत वर्तमान मामले में ऐसा प्रतीत करना कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को कुछ संपत्ति मिलने की संभावना थी, वास्तव में बनावटी और भ्रामक था। विद्वान वकील के अनुसार, वसीयत में इस तरह के शब्दों के साथ-साथ प्रत्यर्थी संख्या 1 की बेटी को भुगतान और कार सौंपने से वह पहले मामले को लड़ने से वंचित हो गई है, लेकिन यह विचाराधीन वसीयत को कोई महत्व या समर्थन नहीं देता है।

संपत्ति। 19.3. 3 . विद्वान वकील ने रानी पूर्णिमा देवी (ऊपर) के निर्णय पर भरोसा किया है और राम में भी निर्णय का उल्लेख किया है।

पियारी वी। भगवंत और ओआरएस। : ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 1742 बिना किसी कारण के समान डिग्री के उत्तराधिकारियों के बीच उस उत्तराधिकार को प्रस्तुत करने के लिए

19.4 . विद्वान वकील ने विचाराधीन दस्तावेज़ को लिखने और निष्पादित करने के तरीके पर भी सवाल उठाया है। विद्वान सलाहकार उन्होंने प्रश्नों के संबंध में गवाहों के बयानों में विसंगतियों का उल्लेख किया है कि क्या विचाराधीन वसीयत की सामग्री को वसीयतकर्ता को बताया गया था और क्या गवाहों के साथ इन पर चर्चा की गई थी। विद्वान वकील ने कहा कि वसीयतनामा मुश्किल से 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण था और स्पष्ट रूप से इसके साथ परिचित नहीं था

ऐसा कानूनी शब्दजाल जो विचाराधीन वसीयत के मुख्य भाग में दिखाई देगा। अपीलार्थी ने यह कहने का प्रयास किया है कि दस्तावेज़ को टाइप करने/लिखने में उसकी कोई भूमिका नहीं थी और गवाहों के अनुसार, उनके साथ सामग्री पर चर्चा नहीं की गई थी। ऐसे परिदृश्य में, एक और अस्पष्टीकृत संदिग्ध परिस्थिति बनी हुई है, कि प्रश्नगत वसीयत का मसौदा किसने तैयार किया था और वसीयतनामा के लिए कथित नोट किसने तैयार किया था, जहाँ से उसे वसीयत के उद्घाटन और समापन भागों में लिखना था। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि जब वसीयत का मुख्य भाग टाइप किया गया था, तो यह है अप्रासंगिक भाग को हाथ से क्यों लिखा गया था, इस पर संदेह है और अपीलार्थी के साक्ष्य में ये खामियां इस संभावना को बढ़ाती हैं कि वसीयत न तो वसीयत द्वारा तैयार की गई थी और न ही समझी गई थी। विद्वान वकील [2020] 6 एस. सी. आर.

कृष्ण दास गुप्ता बनाम में निर्णय का उल्लेख किया गया है। राज्य और अन्यः 2012 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 977

19.5 . प्रतिवादी नंबर 2 के विद्वान वकील द्वारा तर्कों का एक और लंबा सौदा कथित तीसरे पृष्ठ के संदर्भ में किया गया है।

इच्छा से। विद्वान वकील ने उसी का उल्लेख किया है

विचारण न्यायालय में कार्यवाही जिसका हमने पहले वर्णन किया है; और प्रस्तुत किया है कि विचारण न्यायालय में, अपीलार्थी ने लगातार कहा है कि वसीयत का कोई तीसरा पृष्ठ नहीं था, लेकिन जब रुपये की राशि का भुगतान जारी किया गया था। 25,000 / - उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किए गए प्रमाणक गवाह पीडब्लू-3 की बेटी को, इस तरह के भुगतान को विचाराधीन वसीयत के उसी तीसरे पृष्ठ के संदर्भ में उचित ठहराने की मांग की गई थी। विद्वान वकील के अनुसार, अपीलार्थी के इस तरह के परिवर्तनकारी रुख से और अधिक संदेह पैदा होते हैं और यह गंभीर रूप से संदिग्ध प्रतीत होता है कि क्या विचाराधीन वसीयत वास्तव में वसीयतनामा की अंतिम वसीयत थी और उसे उसके द्वारा वांछित सामग्री के साथ निष्पादित किया गया था।

प्रत्यर्थी संख्या 1

20. विपक्ष के दूसरे पक्ष पर, प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान वकील ने कहा है कि इस प्रत्यर्थी ने पूरे विवाद के माध्यम से

उसकी माँ द्वारा वसीयत का निष्पादन; और संदिग्ध परिस्थितियों को नहीं हटाए जाने के कारण, प्रोबेट देने की प्रार्थना को सही ढंग से अस्वीकार कर दिया गया है।

20.1 . सबसे पहले, प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान वकील ने उन प्रस्तुतियों का जोरदार विरोध किया है जिन्हें इस प्रतिवादी ने स्वीकार किया था।

पूर्णिमा देवी और श्रीमती. जसवंत कौर प्रस्तुत करेंगी कि परिवीक्षाधीन न्यायालय विवेक का न्यायालय है और जहां प्रस्तावक को संदिग्ध परिस्थितियों को हटाकर न्यायालय की अंतरात्मा को संतुष्ट करना है, प्रत्यर्थी संख्या 1, वसीयतनामा की बड़ी और विधवा बेटी को ऐसी जांच में न्यायालय की सहायता के लिए प्रस्तुतियाँ करने का पूरा अधिकार है। पूर्वाग्रह के बिना, विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि एक दीवानी मामले में भी जहां लिखित बयान दाखिल करने का अधिकार बंद है, प्रतिवादी कविता कंवर बनाम है।

एमआरएस। पामेला मेहता और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

यह प्रदर्शित करने से वर्जित नहीं है कि वादी के नेतृत्व में साक्ष्य राहत देने के लिए एक मामला बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है, जैसा कि अनुरोध किया गया था। विद्वान वकील ने, अन्य बातों के साथ-साथ, साक्ष्य अधिनियम की धारा 58; आदेश VIII नियम 5 (2) और आदेश VIII नियम 10 सी. पी. सी. का उल्लेख किया है और बलराज तनेजा और अन्न के निर्णय पर भरोसा किया है। वी. सुनील मदन और अन्न। : (1999) 8 एससीसी 396। विद्वान वकील ने यह भी बताया है कि अपीलार्थी ने कभी भी प्रतिवादी संख्या 1 के साक्ष्य पर आपत्ति नहीं की और मोडुला इंडिया बनाम में निर्णय पर भरोसा करते हुए। कामाक्ष्या सिंह देवः (1988) 4 एस. सी. सी. 619 ने तर्क दिया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 की प्रस्तुतियों को खारिज नहीं किया जा सकता है।

20.2 . विद्वान वकील ने स्थिति का उल्लेख किया है

प्रत्यर्थी संख्या 1 और वसीयतनामा के साथ उसका संबंध इस निवेदन के साथ कि प्रत्यर्थी संख्या 1 वसीयतनामा की सबसे बड़ी बेटी है, जो अपीलार्थी से 10 साल बड़ी और उससे तीन साल बड़ी है।

उत्तरदाता नं. 2. कि वसीयतनामा उसकी प्रतिकूल परिस्थितियों से अवगत होने के कारण, उसे संपत्ति की पहली मंजिल (जो वर्तमान कार्यवाही का विषय है) दी गई थी; कि वसीयतनामा और प्रतिवादी के बीच संबंध नं। 1 हमेशा बहुत अच्छा रहा था; वह टेस्टैट्रिक्स एक कैंसर रोगी होने के कारण, उत्तरदाता नं। 1 उसे इलाज के लिए सेना के अस्पताल ले जा रहा था; कि शारीरिक निकटता के कारण जबकि

एक ही इमारत में रहने वाले, वसीयतनामा और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच विशेष संबंध थे। दी गई व्यवस्था में, विद्वान वकील के अनुसार, यह काफी अप्राकृतिक लगता है कि वसीयतनामा छोड़ देगा प्रत्यर्थी सं. 1 अपीलार्थी की दया पर ऐसी अनिश्चित शर्तों के साथ जो विवादित वसीयत में निहित हैं।

तर्क दिया कि विचाराधीन वसीयत द्वारा जो बनाया गया है वह प्रतिवादी संख्या 1 के संबंध में केवल एक भ्रामक और अस्पष्ट वसीयत हैः क) प्रत्यर्थी संख्या 1 को वसीयत पहली मंजिल के ऊपर एक मंजिल की है, जो अस्तित्व में नहीं है; ख) कोई समय सीमा प्रदान नहीं की गई है जिसके भीतर अपीलार्थी दोनों विकल्पों में से किसी एक को निष्पादित करने का विकल्प चुन सकता है और कोई संबंधित विकल्प नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 1 को प्रदान किया जाता है जिसका अर्थ है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में वसीयत के आधार पर की गई वसीयत को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है; ग) वसीयतकर्ता की मृत्यु के तुरंत बाद, जिसमें प्रत्यर्थी [2020] 6 एस. सी. आर. को की गई वसीयत भी शामिल है, पूरी संपत्ति अपीलार्थी में निहित है।

नंबर 1; और घ) अपेक्षित निर्माण की प्रकृति और गुणवत्ता निर्दिष्ट नहीं की गई है। विद्वान वकील के अनुसार, व्यावहारिक रूप से प्रतिवादी संख्या 1 के संबंध में कोई प्रभावी वसीयत नहीं है और वसीयतनामा के लिए सुझाए गए पाठ्यक्रम को अपनाने का कोई कारण नहीं है।

20.4 . विद्वान वकील ने बी. वेंकटमुनी बनाम में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है। सी. जे. अयोध्या राम सिंह और अन्य। : (2006) 13 एस. सी. सी. 449; एच. वेंकटाचल अयंगर; और रानी पूर्णिमा देवी (ऊपर) अन्य लोगों के बीच, यह प्रस्तुत करने के लिए कि परिवीक्षाधीन न्यायालय मामले की जांच कर सकता है।

वसीयत का मामला इस तथ्य के बावजूद कि उस पर पाए गए हस्ताक्षर साबित हो गए हैं या साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के तत्वों का पालन किया गया है। विद्वान वकील ने पी. रामनाथ अय्यर के उन्नत कानून में "संदेह" अभिव्यक्ति की परिभाषा का उल्लेख किया है। लेक्सिकन ने यह प्रस्तुत करने के लिए इंदु बाला (ऊपर) के निर्णय पर भी भरोसा किया है कि संदेह न्यायालय को किसी मामले के किसी भी संदिग्ध या अविश्वासपूर्ण पहलू की यथार्थवादी रूप से कल्पना करने की अनुमति देता है और वसीयती अधिकार क्षेत्र में, न्यायालयों को संदिग्ध परिस्थितियों को दूर करने की अनुमति है, जिन्हें अनुमान या अनुमान के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है।

20.5 . विद्वान वकील ने फिर से विभिन्न बातों का वर्णन किया है

वसीयत बनाने के तरीके और गवाहों के बयानों में विरोधाभास/विसंगतियों सहित परिस्थितियाँ

अपीलार्थी, जिसे आक्षेपित निर्णयों में ध्यान में रखा गया है और जिसे प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील द्वारा भी संदर्भित किया गया है

नंबर 2; जिसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। विद्वान वकील ने हमारे सामने निष्कर्षों के तेरह पहलुओं को दर्शाने वाला एक प्रवाह चार्ट भी रखा है, जिसमें संदिग्ध परिस्थितियाँ भी शामिल हैं, जिन्हें अपीलार्थी के खिलाफ समवर्ती रूप से वापस किया गया है और तर्क दिया है कि ऐसे समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनाया गया है। वकील ने अतिरिक्त रूप से अपोलिन डिसूजा बनाम में निर्णय पर भरोसा किया है। जॉन डिसूज़ाः आकाशवाणी 2007 एससी 2219।

20.6 . तर्कों की एक अन्य पंक्ति में, प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि विचाराधीन वसीयत की अधिक पवित्रता केवल इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उद्घाटन और समापन भाग हैं

हस्तलिखित; बल्कि यह अजीब है कि वसीयतनामा ने मुख्य वसीयत को हाथ से और फिर वसीयत के हस्तलिखित हिस्से को हाथ से नहीं लिखने का फैसला किया। प्रश्न को निचोड़कर रखा जाता है और किसी भी गवाह द्वारा सत्यापित नहीं किया जाता है। विद्वान वकील यह प्रस्तुत करेगा कि इस तरह की अंतःरेखाएँ केवल

यह दर्शाता है कि वसीयत में इसके निष्पादन के बाद परिवर्धन किए गए हैं और इस तरह के पाठ्यक्रम के पीछे का कारण निर्धारित करने में विफलता कविता कंवर बनाम मामले के लिए घातक है।

एमआरएस। पामेला मेहता और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

प्रोपाउंडर द्वारा लगाया गया। विद्वान वकील ने निर्णय पर भरोसा किया है

दयानन्दी बनाम। रुक्मा डी. सुवर्णा और अन्य। : (2012) 1 इन विवादों के समर्थन में एस. सी. सी. 510।

21. हमने लागू कानून के संदर्भ में प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर चिंता से विचार किया है और ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड सहित इस मामले से संबंधित सभी रिकॉर्डों को भी स्कैन किया है।

न्यायालय की पुष्टि और संतुष्टि करेंगे

22. जैसा कि देखा गया है, इस अपील में निर्धारण के लिए मूल बिंदु यह है कि क्या निचली अदालत और उच्च न्यायालय को अस्वीकार करने में उचित ठहराया गया था

दिनांकित 20.05.2003 के संबंध में प्रोबेट प्रदान करने के लिए, जैसा कि अनुरोध किया गया था। जाहिर है, इस बिंदु का एक न्यायसंगत और उचित निर्धारण लागू कानूनी सिद्धांतों के साथ-साथ मामले के प्रासंगिक तथ्यात्मक पहलुओं के इर्द-गिर्द घूमता है। तथ्यात्मक पहलुओं और विवादग्रस्त प्रश्नों में प्रवेश करने से पहले, वसीयत के निष्पादन, उसके प्रमाण और न्यायालय द्वारा इसकी स्वीकृति से संबंधित लागू कानूनी प्रावधानों और सिद्धांतों पर ध्यान देना उचित होगा।

23. यह सामान्य बात है कि वसीयत एक वसीयतनामा दस्तावेज है जो वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद अमल में आता है। इस तरह के दस्तावेज़ की विशिष्ट प्रकृति ने बनाने के लिए कानूनों में गंभीर प्रावधान किए हैं।

वसीयत और न्यायालय में उसके प्रमाण के लिए। उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 59 में प्रावधान है कि स्वस्थ दिमाग वाला प्रत्येक व्यक्ति, जो नाबालिग नहीं है, वसीयत द्वारा अपनी संपत्ति का निपटान कर सकता है। वसीयत या उसका कोई भी हिस्सा, जिसका निर्माण धोखाधड़ी या जबरदस्ती या किसी ऐसी अनिवार्यता के कारण हुआ है, जिसने वसीयतकर्ता की स्वतंत्र एजेंसी को छीन लिया है, उसे उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 61 के तहत अमान्य घोषित किया जाता है; और इसके अलावा, उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 62 वसीयत बनाने वाले को किसी भी समय इसे बनाने या बदलने में सक्षम बनाती है जब वह वसीयत द्वारा अपनी संपत्ति का निपटान करने में सक्षम होता है। उत्तराधिकार अधिनियम के भाग IV के अध्याय III में विशेषाधिकार प्राप्त वसीयतों (अध्याय IV में प्रदान की गई विशेषाधिकार प्राप्त वसीयतों से अलग) के निष्पादन का प्रावधान किया गया है, जिनसे हम संबंधित नहीं हैं।

मामला। 23.1 . वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 61 और 63 को निम्नलिखित रूप में उपयोगी रूप से निकाला जा सकता हैः

" 61. धोखाधड़ी, जबरदस्ती या अनिवार्यता से प्राप्त होगा। - वसीयत या वसीयत का कोई हिस्सा, जिसका निर्माण [2020] 6 एस. सी. आर. के कारण हुआ हो।

धोखाधड़ी या जबरदस्ती, या इस तरह की अनिवार्यता से जो मुक्त को छीन लेती है वसीयतकर्ता की एजेंसी, शून्य है।

***

***

***

63. विशेषाधिकार प्राप्त वसीयतों का निष्पादन। - प्रत्येक परीक्षणकर्ता, नहीं किया जा रहा है

एक अभियान में नियोजित या वास्तविक युद्ध में लगे हुए सैनिक,

या इस प्रकार से नियोजित या नियोजित एक वायुसैनिक, या समुद्र में एक नाविक, निम्नलिखित नियमों के अनुसार अपनी वसीयत का निष्पादन करें:

(क) वसीयतकर्ता वसीयत पर हस्ताक्षर करेगा या अपना निशान लगाएगा, या

उसकी उपस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा और उसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। दिशा।

(ख) वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर या चिह्न, या वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर

उसके लिए हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को इस तरह रखा जाएगा कि ऐसा प्रतीत हो कि

इसका उद्देश्य वसीयत के रूप में लेखन को प्रभावी बनाना था।

उनके हस्ताक्षर या चिह्न, या हस्ताक्षर की व्यक्तिगत स्वीकृति ऐसे अन्य व्यक्ति का; और प्रत्येक गवाह वसीयत पर हस्ताक्षर करेगा

वसीयतकर्ता की उपस्थिति में, लेकिन यह आवश्यक नहीं होगा कि एक से अधिक गवाह एक ही समय में उपस्थित हों, और नहीं

प्रमाणीकरण का विशेष रूप आवश्यक होगा।

23.2 . के अध्याय VI में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं

वसीयत के निर्माण के लिए उत्तराधिकार अधिनियम (धारा 74 से 111), जो अपने योग और सार में, विधायिका के इरादे को स्पष्ट करता है कि कोई भी अप्रासंगिक गलत विवरण या त्रुटि वसीयत के खिलाफ काम नहीं करना है; और एक बार वसीयतकर्ता द्वारा अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करते हुए मन की स्वस्थ स्थिति में निष्पादित किए जाने के बाद वसीयत को प्रभावी बनाने का दृष्टिकोण होना चाहिए। हालांकि, उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 81 के अनुसार, वसीयत में पेटेंट अस्पष्टता या कमी के मामले में बाहरी साक्ष्य

अस्वीकार्य है और इसकी धारा 89 के अनुसार, किसी भी निश्चित इरादे को व्यक्त नहीं करने वाली वसीयत या वसीयत को अनिश्चितता के लिए शून्य घोषित किया जाता है। धारा 81 और 89 निम्नानुसार हैं:

" 81. पेटेंट के मामले में बाहरी साक्ष्य अस्वीकार्य है।

वसीयत के सामने कमी, कोई बाहरी सबूत नहीं वसीयतकर्ता के इरादों को स्वीकार किया जाएगा।

***

***

*** कविटा कंवर बनाम। एमआरएस। पामेला मेहता और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

89. अनिश्चितता के लिए वसीयत या वसीयत शून्य है। - वसीयत या वसीयत किसी भी निश्चित इरादे को व्यक्त नहीं करना अनिश्चितता के लिए शून्य है।

इसके अलावा, अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि जब वसीयत संदिग्ध परिस्थितियों से घिरी होगी, तो अदालत उम्मीद करेगी कि

विचाराधीन दस्तावेज़ को वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत के रूप में स्वीकार करने से पहले संदेह को हटा दिया जाना चाहिए।

23.3 . जैसा कि देखा गया है, उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के अनुसार, वसीयत को दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। अतः, कोई भी दस्तावेज़

वसीयत के रूप में प्रस्तावित साक्ष्य का उपयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि कम से कम एक प्रमाणित करने वाले गवाह की जाँच इसे साबित करने के उद्देश्य से नहीं की गई हो। निष्पादन, यदि ऐसा गवाह उपलब्ध है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 की आवश्यकताओं के अनुसार साक्ष्य देने में सक्षम है, जो इस प्रकार हैः

इसके अंतर्गतः -

" 68. कानून द्वारा आवश्यक दस्तावेज़ के निष्पादन का प्रमाण प्रमाणित किया। - यदि कानून द्वारा किसी दस्तावेज़ को सत्यापित करने की आवश्यकता है, तो इसका उपयोग तब तक सबूत के रूप में नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम एक प्रमाणित करने वाले गवाह को उसके निष्पादन को साबित करने के उद्देश्य से नहीं बुलाया जाता है, यदि कोई प्रमाणित करने वाला गवाह जीवित है, और अदालत की प्रक्रिया के अधीन है और सबूत देने में सक्षम हैः

बशर्ते कि सत्यापन बुलाना आवश्यक नहीं होगा

भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत किसी भी दस्तावेज के निष्पादन के प्रमाण में गवाह, जो एक वसीयत नहीं है, जब तक कि उस व्यक्ति द्वारा इसका निष्पादन नहीं किया जाता है जिसके द्वारा इसे निष्पादित किया गया था।

विशेष रूप से अस्वीकार किया जाता है। "

24. अब हम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर वसीयत की जांच की प्रक्रिया के संबंध में सुसंगत निर्णयों द्वारा तय किए गए प्रासंगिक सिद्धांतों पर ध्यान दे सकते हैं।

24.1 . एच. वेंकटचाला अयंगर (ऊपर) के मामले में, एक 3-न्यायाधीश

इस न्यायालय की पीठ ने निष्पादन और वसीयत के प्रमाण से संबंधित मुद्दों के परिदृश्य को देखा और कुछ मौलिक मार्गदर्शक सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जिनका लगातार पालन किया गया है और ऐसे मुद्दों से जुड़े लगभग सभी मामलों में लागू किया गया है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 18 से 22 में इस न्यायालय द्वारा संश्लेषण और व्याख्या को उपयोगी रूप से निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता हैः

" 18. वसीयत के प्रमाण के मामले में वास्तविक कानूनी स्थिति क्या है? यह सर्वविदित है कि वसीयत का प्रमाण एक आवर्ती विषय [2020] 6 एस. सी. आर. प्रस्तुत करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्वस्थ मन, जो नाबालिग नहीं है, वसीयत द्वारा अपनी संपत्ति का निपटान कर सकता है और इस खंड के तीन चित्र इंगित करते हैं कि संदर्भ में "स्वस्थ मन का व्यक्ति" अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है। धारा 63 में यह अपेक्षा की गई है कि वसीयतकर्ता वसीयत पर अपने चिह्न पर हस्ताक्षर करेगा या चिपकाएगा या उस पर उसकी उपस्थिति में और उसके निर्देश से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और हस्ताक्षर या चिह्न इस तरह से किया जाएगा कि यह प्रतीत हो कि इसका उद्देश्य वसीयत को प्रभावी बनाना था। वसीयत के रूप में लिखना। इस धारा में यह भी अपेक्षा की गई है कि वसीयत को दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया गया है। इस प्रकार यह प्रश्न कि क्या प्रोपाउंडर द्वारा स्थापित वसीयत वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत साबित होती है, इन प्रावधानों के आलोक में तय किया जाना चाहिए। क्या वसीयतकर्ता ने वसीयत पर हस्ताक्षर किए हैं? क्या उन्होंने इसकी प्रकृति और प्रभाव को समझा?

इच्छा में प्रवृत्तियाँ? क्या उन्होंने वसीयत पर यह जानते हुए हस्ताक्षर किए थे कि उसमें क्या है? मोटे तौर पर कहा गया है कि इन प्रश्नों का निर्णय ही इसकी प्रकृति को निर्धारित करता है। वसीयत के प्रमाण के सवाल पर खोज करना। यह सबसे पहले होगा

यह कहना प्रत्यक्षतः सत्य होगा कि वसीयत को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 द्वारा निर्धारित सत्यापन की विशेष आवश्यकताओं को छोड़कर किसी भी अन्य दस्तावेज की तरह साबित करना होगा।

जैसा कि कविता कंवर बनाम के मामले में है। एमआरएस। पामेला मेहता और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

19. हालांकि, एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो वसीयत को अन्य दस्तावेजों से अलग करती है। अन्य दस्तावेजों के विपरीत वसीयत वसीयतकर्ता की मृत्यु से बोलती है, और इसलिए, जब इसे किसी न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है, तो वसीयतकर्ता जो पहले ही दुनिया छोड़ चुका है, यह नहीं कह सकता है कि यह उसकी वसीयत है या नहीं; और यह पहलू स्वाभाविक रूप से प्रश्न के निर्णय में गंभीरता के एक तत्व का परिचय देता है कि क्या प्रस्तावित दस्तावेज़ दिवंगत वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत और वसीयतनामा साबित हुआ है। फिर भी, वसीयत के प्रमाण से निपटने में न्यायालय उसी जांच पर शुरू करेगा जो दस्तावेजों के प्रमाण के मामले में होती है। प्रस्तावक से संतोषजनक साक्ष्य द्वारा यह दिखाने के लिए कहा जाएगा कि वसीयत पर वसीयतकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, कि संबंधित समय पर वसीयतकर्ता एक स्वस्थ और व्यवहार करने वाली मानसिक स्थिति में था, कि वह स्वभाव की प्रकृति और प्रभाव को समझता था और अपने हस्ताक्षर करता था। अपनी खुद की स्वतंत्र इच्छा का दस्तावेज़। आम तौर पर जब वसीयत के समर्थन में प्रस्तुत किया गया साक्ष्य निष्पक्ष, संतोषजनक और वसीयतकर्ता के दिमाग की ध्वनि और निपटान स्थिति और कानून द्वारा आवश्यक उसके हस्ताक्षर को साबित करने के लिए पर्याप्त हो, तो अदालतें प्रस्तावक के पक्ष में निष्कर्ष निकालने में उचित होंगी। दूसरे शब्दों में, प्रोपाउंडर पर लगी जिम्मेदारी को निर्वहन के लिए लिया जा सकता है

अभी बताए गए आवश्यक तथ्यों के प्रमाण पर।

20. हालाँकि, ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें वसीयत का निष्पादन संदिग्ध परिस्थितियों से घिरा हो सकता है। वसीयतकर्ता का कथित हस्ताक्षर बहुत अस्थिर और संदिग्ध हो सकता है और प्रोपाउंडर के मामले के समर्थन में सबूत हो सकता है कि

विचाराधीन हस्ताक्षर यह है कि वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर से हस्ताक्षर की उपस्थिति से पैदा हुए संदेह को दूर नहीं किया जा सकता है; वसीयतकर्ता के दिमाग की स्थिति बहुत कमजोर प्रतीत हो सकती है और

दुर्बल; और प्रस्तुत साक्ष्य वसीयतकर्ता की मानसिक क्षमता के बारे में वैध संदेह को दूर करने में सफल नहीं हो सकता है; वसीयत में किया गया स्वभाव प्रासंगिक परिस्थितियों के आलोक में अप्राकृतिक, असंभव या अनुचित प्रतीत हो सकता है; या, वसीयत अन्यथा इंगित कर सकती है कि उक्त स्वभाव परिणाम नहीं हो सकता है।

वसीयतकर्ता की स्वतंत्र इच्छा और मन। ऐसे मामलों में न्यायालय [2020] 6 एस. सी. आर.

स्वाभाविक रूप से उम्मीद करेंगे कि दस्तावेज़ को वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत के रूप में स्वीकार करने से पहले सभी वैध संदेहों को पूरी तरह से हटा दिया जाना चाहिए। इस तरह की संदिग्ध परिस्थितियों की उपस्थिति स्वाभाविक रूप से प्रारंभिक जिम्मेदारी को बहुत भारी बना देती है; और, जब तक कि इसे संतोषजनक रूप से निर्वहन नहीं किया जाता है, अदालतें दस्तावेज़ को वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत के रूप में मानने के लिए अनिच्छुक होंगी। यह सच है कि, यदि अनुचित प्रभाव, धोखाधड़ी या जबरदस्ती के प्रयोग का आरोप लगाते हुए एक चेतावनी दायर की जाती है

कैविएटर्स द्वारा; लेकिन, ऐसी दलीलों के बिना भी परिस्थितियाँ इस बात पर संदेह पैदा कर सकती हैं कि क्या वसीयतकर्ता अपना काम खुद कर रहा था वसीयत के निष्पादन में स्वतंत्र इच्छा, और ऐसी परिस्थितियों में, मामले में इस तरह के किसी भी वैध संदेह को दूर करना प्रारंभिक जिम्मेदारी का एक हिस्सा होगा।

21. उन संदिग्ध परिस्थितियों के अलावा जिनका हमने अभी-अभी कुछ मामलों में उल्लेख किया है, प्रस्तावित वसीयत एक और दुर्बलता का खुलासा करती है। प्रस्तावक स्वयं वसीयतों के निष्पादन में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं जो उन्हें पर्याप्त लाभ प्रदान करते हैं। यदि यह दिखाया जाता है कि प्रोपाउंडर ने वसीयत के निष्पादन में एक प्रमुख भूमिका निभाई है और उसे इसके तहत पर्याप्त लाभ मिला है, तो इसे आम तौर पर वसीयत के निष्पादन में एक संदिग्ध परिस्थिति के रूप में माना जाता है और प्रोपाउंडर को उक्त वसीयत को हटाने की आवश्यकता होती है।

स्पष्ट और संतोषजनक साक्ष्य द्वारा संदेह। यह संबंध में है

वसीयतों के साथ जो ऐसी संदिग्ध परिस्थितियों को प्रस्तुत करती हैं कि अंग्रेजी न्यायालयों के निर्णय अक्सर न्यायिक विवेक की संतुष्टि की परीक्षा का उल्लेख करते हैं। यह हो सकता है कि इस संबंध में न्यायिक विवेक का संदर्भ इंग्लैंड में चर्च न्यायालयों द्वारा की गई समान टिप्पणियों से एक विरासत है जब उन्होंने वसीयत के संदर्भ में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया था; लेकिन इस संदर्भ में 'विवेक' शब्द के उपयोग पर कोई भी आपत्ति, हमारी राय में, होगी

विशुद्ध रूप से तकनीकी और अकादमिक, यदि पांडित्यपूर्ण नहीं। परीक्षण केवल इस बात पर जोर देता है कि इस प्रश्न का निर्धारण करने में कि क्या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया एक दस्तावेज वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत है, न्यायालय एक गंभीर प्रश्न का निर्णय ले रहा है और यह पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए कि इसे वसीयतकर्ता द्वारा वैध रूप से निष्पादित किया गया था जो अब जीवित नहीं है।

22. यह स्पष्ट है कि तथ्य के भौतिक प्रश्नों को तय करने के लिए जो प्रोबेट के लिए आवेदनों में या वसीयत पर कार्रवाई में उत्पन्न होते हैं, कोई कठिन और कविता कंवर बनाम।

एमआरएस। पामेला मेहता और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

प्रशंसा के लिए तेज़ या लचीले नियम निर्धारित किए जा सकते हैं

सबूत। तथापि, सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि

वसीयत के प्रस्तावक को देय और वैध साबित करना होता है

वसीयत का निष्पादन और यदि कोई संदिग्ध है

वसीयत के निष्पादन के आसपास की परिस्थितियाँ

प्रोपाउंडर को मन से उक्त संदेहों को दूर करना चाहिए।

ठोस और संतोषजनक साक्ष्य द्वारा न्यायालय का। यह शायद ही है यह जोड़ना आवश्यक है कि इन दोनों के अनुप्रयोग का परिणाम

सामान्य और व्यापक सिद्धांत हमेशा तथ्यों पर निर्भर करते हैं।

और प्रत्येक मामले की परिस्थितियाँ और इसकी प्रकृति और गुणवत्ता पर

पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य। यह सच है कि जैसे-जैसे

हार्मेस वी में लॉर्ड डू पार्क द्वारा मनाया गया। हिंक्सन, 50 कैल डब्ल्यू एन

895 : (ए. आई. आर. 1946 पी. सी. 156) ", जहाँ एक वसीयत पर संदेह का आरोप लगाया जाता है,

नियम एक उचित संदेह का आदेश देते हैं, न कि एक अस्पष्ट दृढ़ता का

अविश्वास में। वे न्यायाधीश से मांग नहीं करते हैं, यहां तक कि

गंभीर संदेह की परिस्थितियाँ, एक दृढ़ और अभेद्य

ऐसे मामलों में भी सच्चाई का पता लगाने के लिए न्यायिक दिमाग को सतर्क, सतर्क और चौकस रहते हुए भी हमेशा खुले रहें।

(जोर दिया गया)

24.2 . रानी पूर्णिमा देवी (ऊपर) में, इस न्यायालय ने संदर्भित किया

एच. वेंकटचाला अयंगर में उल्लिखित निर्णय और आगे उन सिद्धांतों को शामिल किया जो एक वसीयत की पुष्टि को नियंत्रित करते हैं:

" 5. इससे पहले कि हम इस मामले के तथ्यों पर विचार करें, यह तय करना अच्छा होगा।

वे सिद्धांत जो इच्छा की पुष्टि को नियंत्रित करते हैं। यह था।

थिम्माजम्मा, (1959) सप्लीमेंट (1) एससीआर 426: ए. आई. आर 1959 एस. सी. 443। यह. उस मामले में देखा गया था कि वसीयत साबित करने का तरीका नहीं था

मामले में निर्धारित सत्यापन की विशेष आवश्यकता के बारे में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 द्वारा एक वसीयत। की जिम्मेदारी

वसीयत साबित करना प्रोपाउंडर पर था और इसके अभाव में

वसीयत के निष्पादन के आसपास की संदिग्ध परिस्थितियाँ

वसीयती क्षमता का प्रमाण और वसीयती के हस्ताक्षर के रूप में

हालाँकि, वहाँ संदिग्ध परिस्थितियाँ थीं, जिम्मेदारी होगी [2020] 6 एस. सी. आर. की संतुष्टि के लिए उन्हें समझाने के लिए प्रस्तावक पर रहें।

हस्ताक्षर करें। वसीयतकर्ता के मस्तिष्क की स्थिति बहुत कमजोर और कमजोर प्रतीत हो सकती है और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं। वसीयतकर्ता की मानसिक क्षमता के बारे में वैध संदेह को दूर करने में सफल; वसीयत में किए गए स्वभाव प्रकट हो सकते हैं

प्रासंगिक परिस्थितियों के आलोक में अप्राकृतिक, असंभव या अनुचित होना; या वसीयत अन्यथा इंगित कर सकती है कि उक्त स्वभाव वसीयतकर्ता की स्वतंत्र इच्छा और दिमाग का परिणाम नहीं हो सकता है। ऐसे मामलों में, न्यायालय स्वाभाविक रूप से उम्मीद करेगा कि दस्तावेज़ को वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत के रूप में स्वीकार करने से पहले सभी वैध संदेहों को पूरी तरह से हटा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, एक प्रोपाउंडर स्वयं एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है।

वसीयत और प्रस्तावक को स्पष्ट और संतोषजनक साक्ष्य द्वारा संदेह को दूर करने की आवश्यकता थी। लेकिन तब भी जब वहाँ संदिग्ध परिस्थितियाँ थीं और प्रोपाउंडर सफल हुआ उन्हें हटाकर, न्यायालय प्रोबेट प्रदान करेगा, हालांकि वसीयत अप्राकृतिक हो सकती है और पूरी तरह से या आंशिक रूप से निकट संबंधों को काट सकती है।

(जोर दिया गया)

24.3 . इंदु बाला बोस (ऊपर) के मामले में, यह न्यायालय फिर से " 7. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि वसीयत साबित करने का तरीका उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 द्वारा वसीयत के मामले में निर्धारित प्रमाणन की विशेष आवश्यकता को छोड़कर किसी अन्य दस्तावेज को साबित करने के तरीके से अलग नहीं है। वसीयत साबित करने की जिम्मेदारी प्रोपाउंडर पर है और संदिग्ध कविता कंवर बनाम की अनुपस्थिति में।

एमआरएस। पामेला मेहता और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

वसीयत के निष्पादन के आसपास की परिस्थितियाँ, का प्रमाण

वसीयती क्षमता और आवश्यकतानुसार वसीयती के हस्ताक्षर कानून द्वारा दायित्व का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन वहाँ कहाँ

संदिग्ध परिस्थितियाँ हैं, जिम्मेदारी प्रोपाउंडर पर है

अदालत की संतुष्टि के लिए उन्हें समझाने के लिए

अदालत वसीयत को वास्तविक मानती है। जहाँ भी परिस्थितियाँ हों

संदेह को जन्म दें, विवेक को संतुष्ट करना प्रस्तावक का काम है

अदालत से। संदिग्ध परिस्थितियाँ इस प्रकार हो सकती हैं -

वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर की वास्तविकता, शर्त

दिखाएँ कि वसीयतकर्ता का मन मुक्त नहीं था। ऐसे मामले में अदालत स्वाभाविक रूप से उम्मीद करेगी कि सभी वैध संदेह होने चाहिए।

दस्तावेज़ को स्वीकार करने से पहले पूरी तरह से हटा दिया जाए वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत। यदि प्रोपाउंडर स्वयं एक प्रमुख लेता है

वसीयत के निष्पादन में हिस्सा जो एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है

उस पर, वह भी एक ऐसी परिस्थिति है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए, और

प्रोपाउंडर को स्पष्ट और स्पष्ट रूप से संदेह को दूर करने की आवश्यकता होती है

संतोषजनक प्रमाण। यदि प्रोपाउंडर हटाने में सफल हो जाता है

संदिग्ध परिस्थितियों में अदालत प्रोबेट देगी, यहां तक कि

यदि वसीयत अप्राकृतिक हो सकती है और पूरी तरह से या आंशिक रूप से काट दी जा सकती है

निकट संबंध।

8. कहने की जरूरत नहीं है कि कोई भी और हर परिस्थिति एक नहीं है

" संदिग्ध "जब यह सामान्य नहीं है या सामान्य नहीं है सामान्य स्थिति में अपेक्षित है या सामान्य से अपेक्षित नहीं है

व्यक्ति "।

(जोर दिया गया)

24.4 . हम उपयोगी रूप से इन सिद्धांतों का भी उल्लेख कर सकते हैं -

जसवंत कौर (ऊपर) की वसीयत, जिसमें एक वसीयत लिखी हुई है,

सायन, इस प्रकार हैः –

" 9. ऐसे मामलों में जहां वसीयत का निष्पादन किया जाता है

संदेह, इसका प्रमाण के बीच एक साधारण लीज़ होना बंद कर देता है

वादी और प्रतिवादी। आम तौर पर, एक विरोधी क्या है

ऐसे मामलों में कार्यवाही अदालत का मामला बन जाता है।

विवेक और फिर वास्तविक प्रश्न जो उत्पन्न होता है

विचार यह है कि क्या प्रोपाउंडर [2020] 6 एस. सी. आर. के नेतृत्व में साक्ष्य है।

इस तरह की संतुष्टि तक पहुंचने के लिए जब तक कि वह पक्ष जो वसीयत निर्धारित करता है संदिग्ध की एक ठोस और विश्वसनीय व्याख्या प्रदान करता है

वसीयत बनाने के आसपास की परिस्थितियाँ। ”

(जोर दिया गया)

24.5 . उमा देवी नाम्बियार (ऊपर) के मामले में, यह न्यायालय

वसीयत सहित एक वसीयत से निपटने वाले मामले के कानून की गहन समीक्षा की

शशि कुमार के मामले में इस न्यायालय का शीर्षक पीठ का निर्णय

आरजी और ओआरएस। वी. सुबोध कुमार बनर्जी और अन्य। : ए. आई. आर 1964

29 , और कहा कि केवल प्राकृतिक उत्तराधिकारियों का बहिष्कार या उन्हें अपना हिस्सा देना, अपने आप में, एक संदिग्ध उदाहरण नहीं माना जाएगा। इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित टिप्पणी की:

" 15. अधिनियम की धारा 63 विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के निष्पादन से संबंधित है। विल्स। यह निर्धारित करता है कि वसीयतकर्ता हस्ताक्षर करेगा या अपना हस्ताक्षर लगाएगा।

वसीयत पर निशान लगाएं या उस पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

उपस्थिति और उसके निर्देश से। यह आगे बताता है कि वसीयत

किसी अन्य व्यक्ति को वसीयत पर हस्ताक्षर करते देखा, उपस्थिति में और द्वारा वसीयतकर्ता और प्रत्येक गवाह के निर्देश पर हस्ताक्षर करेंगे

वसीयतकर्ता की उपस्थिति में। भारतीय संविधान की धारा 68

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में "साक्ष्य अधिनियम") आदेश

वसीयत के प्रमाण में एक प्रमाणित करने वाले गवाह की परीक्षा, क्या पंजीकृत है या नहीं। के तरीके और दायित्व से संबंधित कानून

एक के साथ व्यवहार करते समय अदालत पर सबूत और कर्तव्य भी डाला गया

वसीयत पर आधारित मामले की काफी विस्तार से जांच की गई है।

शशि कुमार बनर्जी के मामले में इस अदालत ने संक्षिप्त रूप से संकेत दिया कानून में केंद्र की स्थिति इस प्रकार है: (एयर पी। 531, पैरा 4)

" वसीयत साबित करने का तरीका आम तौर पर अलग नहीं होता है।

विशेष दस्तावेज़ को छोड़कर किसी अन्य दस्तावेज़ को साबित करने का वसीयत के मामले में निर्धारित प्रमाणन की आवश्यकता

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63। साबित करने की जिम्मेदारी

वसीयत प्रोपाउंडर पर है और संदिग्ध की अनुपस्थिति में

वसीयत के निष्पादन के आसपास की परिस्थितियाँ, का प्रमाण

वसीयती क्षमता और वसीयती के हस्ताक्षर के रूप में कानून द्वारा आवश्यक दायित्व का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त है।

जहाँ कविता कंवर बनाम। एमआरएस। पामेला मेहता और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

कैविएटर अनुचित प्रभाव, धोखाधड़ी और जबरदस्ती का आरोप लगाता है, इसे साबित करने की जिम्मेदारी उस पर है। यहां तक कि जहां ऐसी कोई याचिकाएं नहीं हैं, लेकिन परिस्थितियां संदेह पैदा करती हैं, यह प्रस्तावक के लिए है कि वह अदालत की अंतरात्मा को संतुष्ट करे। संदिग्ध परिस्थितियां वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर की वास्तविकता, वसीयतकर्ता के दिमाग की स्थिति, वसीयत में किए गए स्वभाव अप्राकृतिक, असंभव या प्रासंगिक परिस्थितियों के आलोक में अनुचित होने के बारे में हो सकती हैं या वसीयत में अन्य संकेत हो सकते हैं जो यह दर्शाते हैं कि वसीयतकर्ता का दिमाग स्वतंत्र नहीं था। ऐसे मामले में अदालत स्वाभाविक रूप से उम्मीद करेगी कि दस्तावेज़ को वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत के रूप में स्वीकार करने से पहले सभी वैध संदेह को पूरी तरह से हटा दिया जाना चाहिए। यदि प्रस्तावक स्वयं वसीयत के निष्पादन में भाग लेता है जो उसे पर्याप्त लाभ प्रदान करता है, तो वह भी एक ऐसी परिस्थिति है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए, और प्रस्तावक को स्पष्ट और संतोषजनक साक्ष्य द्वारा संदेह को दूर करने की आवश्यकता होती है। यदि प्रोपाउंडर संदिग्ध परिस्थितियों को दूर करने में सफल हो जाता है अदालत प्रोबेट देगी, भले ही वसीयत अप्राकृतिक हो

और निकट संबंधों को पूरी तरह से या आंशिक रूप से काट सकता है।

16. वसीयत को उत्तराधिकार के सामान्य तरीके को बदलने के लिए निष्पादित किया जाता है और चीजों की प्रकृति के अनुसार इसका परिणाम पहले आना तय है।

प्राकृतिक उत्तराधिकारियों के हिस्से को कम करना या उनसे वंचित करना। यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को अपने प्राकृतिक उत्तराधिकारियों को सौंपना चाहता है, तो वसीयत को निष्पादित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सच है कि वसीयत के प्रस्तावक को सभी संदिग्ध परिस्थितियों को दूर करना पड़ता है। संदेह का अर्थ है संदेह, अनुमान या अविश्वास। लेकिन यह तथ्य कि प्राकृतिक उत्तराधिकारियों को या तो बाहर कर दिया गया है या उन्हें कम हिस्सा दिया गया है, बिना कुछ और के, इसे संदिग्ध नहीं माना जा सकता है। विशेष रूप से ऐसे मामले में जहां वसीयत संतान के पक्ष में की गई हो। जैसा कि पी. पी. के. गोपालन नाम्बियार बनाम में माना गया है। पी. पी. के. बालकृष्णन नाम्बियार और अन्य। : [1995] 2 एस. सी. आर. 585, वसीयत के प्रस्तावक का कर्तव्य है कि वह सभी संदिग्ध विशेषताओं को हटा दे, लेकिन इसमें वास्तविक, सटीक और वैध संदिग्ध विशेषताएं होनी चाहिए, न कि संदेह करने वाले मन की कल्पना। यह माना गया है कि यदि प्रोपाउंडर संदिग्ध को हटाने में सफल हो जाता है

परिस्थितियों में, अदालत को वसीयत को लागू करना पड़ता है, भले ही [2020] 6 एस. सी. आर.

विल इस मायने में अप्राकृतिक हो सकता है कि इसने पूरी तरह से या आंशिक रूप से निकट संबंधों को काट दिया है। ..... रवीन्द्र नाथ मुखर्जी और अन्र। बनाम एल. आर. द्वारा पंचानन बनर्जी (मृत)। और ओआरएस। : ए. आई. आर. 1995 एस. सी. 1684 में यह कहा गया था कि प्राकृतिक उत्तराधिकारियों के वंचित होने की परिस्थिति में कोई संदेह नहीं होना चाहिए क्योंकि वसीयत के निष्पादन के पीछे का पूरा विचार उत्तराधिकार की सामान्य रेखा में हस्तक्षेप करना है और इसलिए, प्राकृतिक उत्तराधिकारियों को वसीयत के हर मामले में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। बेशक, यह हो सकता है कि कुछ मामलों में वे पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं और कुछ मामलों में आंशिक रूप से।

24.6 . महेश कुमार (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने वसीयत से संबंधित साक्ष्य की सराहना करते हुए उच्च न्यायालय की ओर से दृष्टिकोण का संकेत दिया:

" 44. जिस मुद्दे की जांच की जानी बाकी है वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने में उचित था कि निष्पादन

दिनांकित वसीयत 10-2-1992 को संदेह से ढक दिया गया था और अपीलार्थी संदेह को दूर करने में विफल रहा? शुरुआत में, हम यह अवलोकन करना आवश्यक समझते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने गलत पढ़ा

सोभाग चंद (डी. डब्ल्यू. 3) का बयान और कुछ ऐसा दर्ज किया जो उनके बयान में नहीं आता है। जबकि शोभाग चंद ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने श्री हरिशंकर के वसीयत पर हस्ताक्षर करने के बाद गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए थे, विवादित फैसले में निकाले गए उनके बयान के हिस्से से यह आभास होता है कि गवाहों ने वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे।

निष्पादक द्वारा वसीयत पर हस्ताक्षर करने से पहले ही हस्ताक्षर किए गए।

45. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई एक और पेटेंट त्रुटि यह है कि उन्होंने वसीयत की वैधता से संबंधित मुद्दे का फैसला यह मानते हुए किया कि

कि दोनों प्रमाणक गवाहों को एक साथ अपने हस्ताक्षर जोड़ने की आवश्यकता थी। 1925 के अधिनियम की धारा 63 (सी) में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है और यह तय किया गया कानून है कि जांच की जाए।

प्रमाणित करने वाले गवाहों में से एक पर्याप्त है। इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर एक प्रतिकूल निष्कर्ष दर्ज करते समय, विद्वान एकल न्यायाधीश ने डी. डब्ल्यू. 3 और डी. डब्ल्यू. 4 द्वारा दिए गए स्पष्ट बयानों पर विचार करना छोड़ दिया कि वसीयतकर्ता ने उनकी उपस्थिति में वसीयत को पढ़ा और हस्ताक्षर किए थे और उसके बाद उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए थे। 46. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा यह अभिनिर्धारित करने के लिए गिने गए अन्य कारण कि वसीयत का निष्पादन अत्यधिक संदिग्ध था, केवल अनुमानों/अनुमानों पर आधारित हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश का अवलोकन कि कविता कंवर बनाम के हस्ताक्षर प्राप्त करने की संभावना।

एमआरएस। पामेला मेहता और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

श्री हरिशंकर और खाली कागज पर गवाहों को प्रमाणित करना और

श्री एस. के. अग्रवाल, अधिवक्ता द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित दस्तावेजों पर मसौदा तैयार करने में पक्षकारों की दलीलों और साक्ष्यों से समर्थन की झलक भी नहीं मिलती है। यदि प्रत्यर्थी 1 यह दिखाना चाहता था कि वसीयत का मसौदा श्री के बाद अधिवक्ता द्वारा तैयार किया गया था

हरिशंकर और गवाहों ने खाली कागजों पर हस्ताक्षर किए थे, वे पूछताछ कर सकते थे या कम से कम श्री एस. के. अग्रवाल, अधिवक्ता को तलब कर सकते थे, जिन्होंने राजस्व बोर्ड के समक्ष उनका प्रतिनिधित्व किया था।

24.7 . लीला राजगोपाल के मामले में अपीलार्थी की ओर से उद्धृत एक अन्य निर्णय को भी संदर्भित किया जा सकता है जहां इस न्यायालय ने सारांश दिया था।

सिद्धांत कि अंततः, वसीयत और संदिग्ध परिस्थितियों के संबंध में न्यायिक निर्णय सभी असामान्य विशेषताओं और संदिग्ध पर विचार करने के साथ मामले के समग्र दृष्टिकोण के आधार पर होगा।

परिस्थितियों को एक साथ रखा जाता है और किसी एक विशेषता के प्रभाव पर नहीं। इस अदालत ने कहा,

" 13. एक वसीयत की कुछ विशेषताएं हो सकती हैं और कुछ परिस्थितियों में निष्पादित की गई हो सकती हैं जो कुछ हद तक प्रतीत हो सकती हैं

अप्राकृतिक। वसीयत में दिखाई देने वाली ऐसी असामान्य विशेषताएँ या उसके निष्पादन के आसपास की अप्राकृतिक परिस्थितियाँ निश्चित रूप से उसे स्वीकार करने से पहले एक करीबी जांच को उचित ठहराएंगी। यह इस तरह की जांच के आधार पर अदालत का समग्र मूल्यांकन है; असामान्य विशेषताओं और परिस्थितियों का संचयी प्रभाव जो उसके द्वारा किए जाने वाले आवश्यक निर्धारण में अदालत के साथ वजन करेगा। न्यायिक निर्णय, अंतिम उपाय में, सभी असामान्य विशेषताओं और संदिग्ध परिस्थितियों को एक साथ विचार करने के आधार पर होगा, न कि किसी एक विशेषता के प्रभाव पर जो किसी वसीयत या एकल परिस्थिति में पाया जा सकता है जो इसके निष्पादन की प्रक्रिया से प्रकट हो सकता है या

पंजीकरण। यह इस विषय पर इस न्यायालय द्वारा बार-बार की गई घोषणाओं का सार है, जिसमें हमारे समक्ष निर्दिष्ट और उन पर भरोसा किए गए निर्णय भी शामिल हैं।

24.8 . हमें बार में उद्धृत सभी और अन्य निर्णयों के संदर्भों को गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, जो अनिवार्य रूप से उपरोक्त सिद्धांतों पर आगे बढ़ते हैं और इसे तथ्यों के दिए गए सेट में लागू करते हैं और

परिस्थितियाँ। यह इंगित करना पर्याप्त होगा कि 2009 की सिविल अपील संख्या 6076 में हाल के एक निर्णय में: शिवकुमार और ओआरएस। वी.

शरणबसप्पा और अन्य। , इस न्यायालय ने [2020] 6 एस. सी. आर. के बाद 24.04.2020 पर निर्णय लिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रासंगिक निर्णयों के माध्यम से गाना, एक वसीयत के प्रमाण से संबंधित न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत किया हैः

" 1. आम तौर पर, एक वसीयत को किसी भी अन्य दस्तावेज की तरह साबित करना पड़ता है; जिस परीक्षण को लागू किया जाना है वह विवेकपूर्ण मन की संतुष्टि की सामान्य परीक्षा है। अन्य दस्तावेजों के प्रमाण को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की तरह, वसीयत के मामले में भी, गणितीय के साथ प्रमाण

सटीकता पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए।

2. चूंकि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के अनुसार, एक वसीयत को सत्यापित करने की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका उपयोग तब तक सबूत के रूप में नहीं किया जा सकता है जब तक कि कम से कम एक प्रमाणक गवाह को इसके निष्पादन को साबित करने के उद्देश्य से नहीं बुलाया जाता है, यदि कोई जीवित और सक्षम प्रमाणक गवाह है।

सबूत देना। 3. वसीयत की अनूठी विशेषता यह है कि यह वसीयतकर्ता की मृत्यु के बारे में बताती है और इसलिए, इसका निर्माता उन परिस्थितियों के बारे में गवाही देने के लिए उपलब्ध नहीं है जिनमें इसे निष्पादित किया गया था। यह निर्णय में गंभीरता के एक तत्व का परिचय देता है

4. जिस मामले में वसीयत का निष्पादन संदिग्ध परिस्थितियों से घिरा हुआ है, वह एक अलग आधार पर खड़ा है। संदिग्ध परिस्थितियों की उपस्थिति जिम्मेदारी को भारी बना देती है। प्रस्तावक और इसलिए, ऐसे मामलों में जहां दस्तावेज़ के निष्पादन पर परिवेदक परिस्थितियों से संदेह पैदा होता है, प्रस्तावक को दस्तावेज़ को वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत के रूप में स्वीकार करने से पहले सभी वैध संदेहों को दूर करना चाहिए।

5. यदि वसीयत को चुनौती देने वाला व्यक्ति मनगढ़ंत आरोप लगाता है या धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती आदि का आरोप लगाता है।

वसीयत का निष्पादन, ऐसी दलीलों को उसके द्वारा साबित किया जाना है, लेकिन ऐसी दलीलों के अभाव में भी, बहुत परिस्थितियाँ

वसीयत के निष्पादन के आसपास इस संदेह को जन्म दे सकता है या कि क्या वसीयत वास्तव में वसीयतकर्ता द्वारा निष्पादित की गई थी और/या कि क्या वसीयतकर्ता अपनी स्वतंत्र इच्छा से काम कर रहा था। ऐसी स्थिति में, यह फिर से प्रोपाउंडर की प्रारंभिक जिम्मेदारी का एक हिस्सा है कि वह मामले में सभी उचित संदेहों को दूर करे।

कविटा कंवर बनाम। एमआरएस। पामेला मेहता और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

6. एक परिस्थिति "संदिग्ध" होती है जब यह सामान्य नहीं होती है या 'सामान्य स्थिति में सामान्य रूप से अपेक्षित नहीं होती है या किसी परिस्थिति से अपेक्षित नहीं होती है। सामान्य व्यक्ति '। जैसा कि इस न्यायालय ने कहा है, संदिग्ध विशेषताएँ 'वास्तविक, स्पष्ट और वैध' होनी चाहिए, न कि केवल 'लोगों की कल्पना'।

मन पर संदेह करना। '

7. क्या कोई विशेष विशेषता या विशेषताओं का एक समूह "संदिग्ध" के रूप में योग्य है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। अस्थिर या संदिग्ध हस्ताक्षर; वसीयतकर्ता का कमजोर या अनिश्चित दिमाग; संपत्ति का अनुचित व्यवहार; कानूनी उत्तराधिकारियों और विशेष रूप से आश्रितों का अन्यायपूर्ण बहिष्कार; इसके तहत लाभार्थी द्वारा वसीयत बनाने में एक सक्रिय या प्रमुख भाग आदि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो संदेह को जन्म दे सकती हैं। ऊपर उल्लिखित परिस्थितियाँ केवल उदाहरणात्मक हैं और किसी भी तरह से संपूर्ण नहीं हैं क्योंकि ऐसी कोई भी परिस्थिति या परिस्थितियाँ हो सकती हैं जो वसीयत के निष्पादन के बारे में वैध संदेह को जन्म दे सकती हैं। दूसरी तरफ

हाथ, संदिग्ध होने के रूप में अर्हता प्राप्त करने वाली किसी भी परिस्थिति को प्रोपाउंडर द्वारा वैध रूप से समझाया जा सकता है। हालांकि, इस तरह के संदेह या संदेह को केवल ध्वनि के प्रमाण और वसीयतकर्ता की मानसिक स्थिति और उसके हस्ताक्षर के साथ निपटाने से दूर नहीं किया जा सकता है।

प्रमाण के प्रमाण के साथ।

8. न्यायिक विवेक की संतुष्टि की कसौटी तब लागू होती है जब वसीयतकर्ता की वसीयत के रूप में प्रस्तावित दस्तावेज़ संदिग्ध परिस्थितियों से घिरा होता है। इस तरह के परीक्षण को लागू करते समय, न्यायालय स्वयं को इन गंभीर प्रश्नों के लिए संबोधित करेगा -

क्या वसीयतकर्ता ने वसीयत की विषय-वस्तु से अवगत रहते हुए और वसीयत की प्रकृति और प्रभाव को समझने के बाद उस पर हस्ताक्षर किए थे।

वसीयत में प्रवृत्तियाँ?

9. अंतिम विश्लेषण में, जहां वसीयत का निष्पादन संदेह में डूबा हुआ है, यह अनिवार्य रूप से न्यायालय की न्यायिक अंतरात्मा का मामला है और वसीयत स्थापित करने वाले पक्ष को ठोस पेशकश करनी होती है।

और संदिग्ध परिस्थितियों की विश्वसनीय व्याख्या

वसीयत के आसपास "। जवाब संख्या 1 द्वारा मामले का विवरण

25. उन सिद्धांतों पर ध्यान देने के बाद जो इस मामले में उठाए गए मुख्य प्रश्नों से निपटने में मार्गदर्शक होंगे, हम प्रतिद्वंद्वी विवादों में शामिल हों। विवाद में प्रवेश करने से पहले [2020] 6 एस. सी. आर.

विचाराधीन वसीयत से संबंधित संदिग्ध परिस्थितियों के संबंध में, प्रारंभिक आपत्ति से निपटना और उसका निपटान करना उचित होगा।

प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा मामले के विरोध के संबंध में अपीलार्थी के विद्वान वकील का। जैसा कि देखा गया है, उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 268, आदेश VIII नियम 10, आदेश XIV नियम 1 (6) और आदेश XV नियम 2 सी. पी. सी. और बछाज नाहर (ऊपर) के मामले के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 की स्थिति एक प्रतिवादी की बनी हुई है जिसने लिखित बयान दायर नहीं किया है और जो मुद्दे पर नहीं है; और इसलिए, उसकी ओर से आग्रह किए गए तर्कों पर कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है और उसके नेतृत्व में साक्ष्य अस्वीकार्य है। एच. वेंकटचाला अयंगर और रानी के सिद्धांतों के संदर्भ में प्रस्तुतियों का विरोध किया गया है।

पूर्णिमा देवी (ऊपर) और आदेश VIII नियम 5 (2), आदेश VIII नियम 10 सी. पी. सी. और बलराज तनेजा (ऊपर) में निर्णय के संदर्भ में भी। यह.

यह प्रस्तुत किया जाता है कि अंततः, परिवीक्षाधीन न्यायालय विवेक का न्यायालय है और प्रत्यर्थी संख्या 1, जो वसीयतनामा की बड़ी बेटी है, को विचाराधीन वसीयत के संबंध में प्रस्तुतियाँ करने का पूरा अधिकार है। हमारे विचार में, प्रत्यर्थी संख्या 1 के अपवर्जन की मांग करने वाली अपीलार्थी की ओर से की गई प्रस्तुति पूरी तरह से आधारहीन है और इसे केवल खारिज किया जा सकता है।

25.1 . अपीलार्थी की ओर से आपत्ति इसमें नहीं आती है।

एच. वेंकटाचल अयंगर और रानी पूर्णिमा देवी (उपरोक्त) में घोषित कानून और कई अन्य फैसलों के अनुरूप जहां इस न्यायालय ने लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रोबेट कार्यवाही अंततः न्यायालय की अंतरात्मा का विषय है और चाहे विपक्ष में कोई याचिका ली जाए या नहीं, वसीयत के प्रस्तावक की आवश्यकता होती है ताकि सभी संदिग्ध याचिकाओं को हटाकर न्यायालय की अंतरात्मा को संतुष्ट किया जा सके।

परिस्थितियाँ। इस कार्यवाही की प्रकृति और परिणाम के अनुसार, किसी भी पक्ष द्वारा लिखित बयान या आपत्तियों को दाखिल करना या न करना महत्वहीन हो जाता है और इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। प्रोबेट कार्यवाही केवल अंतर-पक्षीय कार्यवाही नहीं है, बल्कि रेम में निर्णय की ओर ले जाती है और इसलिए, जब कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं करता है, तब भी यह वास्तव में प्रोबेट के अनुदान की ओर नहीं ले जाता है। प्रोबेट केवल वसीयत के प्रमाण पर दिया जाता है और उस पर भी। न्यायालय की अंतरात्मा की अंतिम संतुष्टि के लिए संदिग्ध परिस्थितियों को हटाना, यदि कोई हो।

7 सी. पी. सी. के निर्दिष्ट प्रावधान निम्नानुसार हैं: आदेश VIII नियम 10:

" 10.प्रक्रिया जब पक्ष अदालत द्वारा बुलाए गए लिखित बयान को प्रस्तुत करने में विफल रहता है। जहां कोई भी पक्ष जिससे नियम 1 या नियम 9 के तहत लिखित बयान की आवश्यकता होती है, वह न्यायालय द्वारा अनुमत या निर्धारित समय के भीतर, जैसा भी मामला हो, उसे प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो न्यायालय उसके खिलाफ निर्णय सुनाएगा, या ऐसा आदेश देगा।

एमआरएस। पामेला मेहता और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

25.2 . उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आदेश के प्रावधानों के संदर्भ में

हमेशा मूल के प्रमाण के बिना वादी के पक्ष में पालन करेंगे तथ्य और राहत के अधिकार का एक स्पष्ट मामला बनाए बिना। इसी तरह, बछ्रज नाहर (ऊपर) के मामले में निर्णय कि राहत नहीं दी जा सकती है

आवश्यक अभिवचनों के बिना किसी भी न्यायालय में दिए गए प्रश्न के लिए शायद ही कोई आवेदन हो।

25.3 . बलराज तनेजा (ऊपर) के मामले में, इस न्यायालय ने जाँच की

सी. पी. सी. 8 के आदेश XVIII के नियम 5 के उप-नियम (2) में निहित प्रावधानों में कहा गया है कि,

" 11. उप-नियम (2) में प्रावधान है कि यदि प्रतिवादी ने अपनी याचिका दायर नहीं की है

लिखित बयान, अदालत के लिए फैसला सुनाना वैध होगा

वाद में निहित तथ्यों के आधार पर निर्णय। नियम है।

आगे यह कहना जारी रखता है कि तथ्यों के बावजूद कहा गया है

वादमे न्यायालयकेँ स्वीकार कयल गेल मानल जाइत अछि, यद्यपि ओ कानूनी रूपसँ स्वीकार कऽ सकैत अछि।

निर्णय पारित करना, निर्णय पारित करने से पहले इस तरह की आवश्यकता हो सकती है

साबित करने के लिए तथ्य "।

मुकदमा जैसा वह उचित समझे और ऐसे निर्णय की घोषणा पर एक डिक्री तैयार की जाएगी।

आदेश XIV नियम 1 (6):

" 1. मुद्दों को तैयार करना।

***

***

***

(6) इस नियम में कुछ भी अदालत से उन मुद्दों को तैयार करने और दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है जहां प्रतिवादी मुकदमे की पहली सुनवाई में कोई बचाव नहीं करता है। आदेश XV नियम 2 (1):

" 2. कई प्रतिवादियों में से एक जो मुद्दे पर नहीं है। - (1) जहां एक से अधिक प्रतिवादी हैं, और प्रतिवादियों में से कोई भी कानून या तथ्य के किसी भी प्रश्न पर वादी के साथ विवाद में नहीं है, न्यायालय तुरंत ऐसे प्रतिवादियों के पक्ष या उनके खिलाफ निर्णय सुना सकता है और मुकदमा केवल अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ आगे बढ़ेगा।

*

** "

***

***

8 सी. पी. सी. के निर्दिष्ट प्रावधान निम्नानुसार हैंः आदेश VIII नियम 5 (2) " 5. विशिष्ट इनकार।

***

***

***

(2) जहाँ प्रतिवादी ने अभिवचन दायर नहीं किया है, वहाँ न्यायालय के लिए वाद में निहित तथ्यों के आधार पर निर्णय सुनाना विधिसम्मत होगा, सिवाय किसी विकलांग व्यक्ति के, लेकिन न्यायालय अपने विवेकाधिकार में, ऐसे किसी भी तथ्य को साबित करने की अपेक्षा कर सकता है।

***

***

उपरोक्त के अलावा, आदेश XVIII के नियम 10 के संबंध में भी, इस न्यायालय ने कहा,

ऐसी स्थिति में निर्णय का उच्चारण करें जहाँ कोई लिखित कथन नहीं है प्रतिवादी द्वारा दायर, अदालत को ऐसा आदेश पारित करने का विवेकाधिकार भी दिया गया है जो वह एक विकल्प के रूप में उचित समझे। यह आदेश 8 नियम 10 सी. पी. सी. के तहत भी स्थिति है जहां अदालत कर सकती है।

या तो प्रतिवादी के खिलाफ निर्णय सुनाएँ या ऐसा आदेश पारित करें जो वह उचित समझे।

25.4 . हमें इस संबंध में अधिकारियों को गुणा करने और चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि एक नियमित दीवानी मुकदमे में भी, प्रतिवादी द्वारा केवल लिखित बयान दाखिल न करने से हमेशा वादी के पक्ष में निर्णय नहीं होता है। यह ध्यान देने योग्य है कि नियमित दीवानी मुकदमा आमतौर पर एक पक्ष के बीच निर्णय की ओर ले जाता है, न कि संदर्भ में। फिर भी, प्रमाण की आवश्यकता को समाप्त नहीं किया जाता है। जब कार्यवाही गंभीर प्रकृति की होती है जैसे प्रोबेट के लिए, जो रेम में निर्णय की ओर ले जाती है, तो यह परे है।

केवल चेतावनी या विरोध दाखिल न करना इस मामले में निर्णायक नहीं है। प्रोबेट के अनुदान के लिए प्रत्येक मामले में प्रस्तावक से, चाहे कोई भी विरोध हो या किसी भी पक्ष द्वारा स्वीकार किया गया हो, संदिग्ध परिस्थितियों को हटाने के साथ न्यायालय की अंतरात्मा को संतुष्ट करने की आवश्यकता होती है, यदि -

कोई भी। 25.5 . उपर्युक्त सामान्य सिद्धांतों के अलावा, वर्तमान मामले में यह ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है कि प्रतिवादी संख्या 1 कोई और नहीं बल्कि वसीयतनामा की बड़ी विधवा बेटी है, जिसके बारे में, कुछ

उसे ऐसी असुरक्षित स्थिति में रखें जो वसीयत का परिणाम हो। एक आवश्यक परिणाम के रूप में, संदिग्ध प्रदर्शन करने का उसका अधिकार परिवीक्षाधीन न्यायालय के लिए परिकल्पित प्रक्रिया में परिस्थितियाँ अंतर्निहित हैं। यह इस तथ्य के अलावा है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने वास्तव में अपीलार्थी द्वारा आपत्ति किए बिना एक गवाह के रूप में खुद की जाँच की है।

25.6 . इस प्रकार, प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रतिस्पर्धा के खिलाफ आपत्ति, जैसा कि अपीलार्थी की ओर से उठाई गई है, होनी चाहिए और इसके द्वारा है।

अस्वीकार कर दिया।

कविटा कंवर बनाम। एमआरएस। पामेला मेहता और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

चिंता पैदा करने वाली परिस्थितियाँ

प्रश्न में होगा

26. प्रासंगिक तथ्यात्मक पहलुओं की जांच करते हुए और

इस मामले की परिस्थितियों में, उपरोक्त सिद्धांतों के आधार पर, हम उपयोगी रूप से देख सकते हैं कि लीला राजगोपाल (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने वसीयत के उचित निष्पादन पर समवर्ती निष्कर्षों को उचित पाया।

और, तथ्यों के संदर्भ में, वसीयत के निष्पादन में लाभार्थी की भागीदारी और प्रमाणक गवाहों में से एक के साथ उसका परिचय उचित रूप से समझाया गया था। हालांकि, उल्लेखनीय रूप से, उक्त मामले में, इस न्यायालय ने साक्ष्य की बार-बार पुनर्मूल्यांकन के खिलाफ भी आगाह किया, विशेष रूप से केवल विशेष अनुमति के माध्यम से दायर अपील में, निम्नलिखित शब्दों में:

" 17. अलग होने से पहले हम यह देखना चाहेंगे कि

कि इस न्यायालय में अपील केवल अनुदान पर ही दायर की जा सकती है

इस न्यायालय की अधिकारिता की प्रकृति। एक वैधानिक के विपरीत अपील, एक के अनुसार विशेष छुट्टी के अनुदान पर दायर एक अपील

संविधान के प्रावधान के लिए अत्यधिक आर्थिक आवश्यकता होगी

उस शक्ति का प्रयोग जो यद्यपि अन्याय पर प्रहार करने के लिए व्यापक है

जहाँ कहीं भी ऐसा होता है, वहाँ इसका अत्यधिक विवेकपूर्ण अनुप्रयोग प्रदर्शित होना चाहिए।

उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तथ्यों का निर्धारण

पहला अपीलीय न्यायालय या दूसरे के रूप में सहमति जताते हुए भी

अपीलीय अदालत को तब तक फिर से नहीं खोला जाएगा जब तक कि कानून के ऐसे प्रश्नों को जन्म देता है जिन पर गंभीर बहस की आवश्यकता होती है

न्यायिक कार्यवाही और संवैधानिक रूप से लागू नहीं हो सकती है अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाला न्यायालय।

(जोर दिया गया)

26.1 . वर्तमान मामले में भी, निचली अदालत ने वापस कर दिया है

उच्च न्यायालय ने साक्ष्य की स्वतंत्र और गहन जांच के बाद ऐसे निष्कर्षों की पुष्टि की है। परेशान करने की शायद ही कोई गुंजाइश है प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतिकरणों को ध्यान में रखते हुए और न्याय के हित

में, अब तक के पूरे साक्ष्य की पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्रवेश करके इस तरह के समवर्ती निष्कर्ष, हमने यह पता लगाने के लिए रिकॉर्ड पर सामग्री का अध्ययन किया है कि क्या [2020] 6 एस. सी. आर. है।

ऐसी कोई विकृति हो जिसके परिणामस्वरूप न्याय की गंभीर विफलता हो सकती है। हमें कोई नहीं मिलता।

27. जैसा कि देखा गया है, वसीयतनामा की वसीयतनामा क्षमता और मन की मजबूती पर कोई सवाल नहीं उठा है; और उसकी लिखावट के रूप में

प्रस्तावित वसीयत की वैधता के खिलाफ काम करें। कहने का मतलब यह है कि, विचाराधीन वसीयत को केवल इसलिए संदेह के साथ नहीं देखा जा सकता है क्योंकि अपीलार्थी ने इसके निष्पादन में सक्रिय भूमिका निभाई थी, हालांकि वह प्रमुख लाभार्थी है; या केवल इसलिए कि उत्तरदाताओं को इसमें शामिल नहीं किया गया था। वसीयत के निष्पादन की प्रक्रिया; या केवल परिसंपत्तियों के असमान वितरण के कारण; या केवल इसलिए कि अपीलार्थी द्वारा किए जाने वाले निर्माण के बारे में स्पष्टता की कमी है; या केवल इसलिए कि सत्यापन करने वाले गवाहों में से एक अपीलार्थी का परिचित है; या केवल इसलिए कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वसीयत के मुद्रित भाग का मसौदा किसने तैयार किया और वसीयतनामा द्वारा अपने हाथ में उद्घाटन और समापन अंश लिखने के लिए नोट; या केवल इसलिए कि अपीलार्थी के नेतृत्व में मौखिक साक्ष्य में कुछ विसंगति है; या केवल अदालतों द्वारा ध्यान में रखे गए किसी अन्य कारक के कारण या उत्तरदाताओं द्वारा भरोसा किया गया है। प्रासंगिक विचार इन कारकों में से प्रत्येक की गुणवत्ता और प्रकृति के बारे में होगा और फिर, कविता कंवर बनाम।

एमआरएस। पामेला मेहता और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

वसीयतनामा की स्वतंत्र एजेंसी के साथ वसीयत बनाने पर उन सभी का संचयी प्रभाव और प्रभाव। दूसरे शब्दों में, एक व्यक्तिगत कारक निर्णायक नहीं हो सकता है, लेकिन यदि सभी कारकों को एक साथ लेने के बाद, न्यायालय की अंतरात्मा इस बात से संतुष्ट नहीं है कि विचाराधीन वसीयत वास्तव में

वसीयतकर्ता की अंतिम इच्छा और प्रस्ताव, वसीयत को अदालत की मंजूरी नहीं मिल सकती है; और, दूसरी तरह से, यदि मामले के समग्र दृष्टिकोण पर, अदालत संतुष्ट महसूस करती है कि वसीयत के रूप में प्रस्तावित दस्तावेज़ वास्तव में वसीयतकर्ता की अंतिम स्वतंत्र इच्छा और इच्छा को दर्शाता है और कानून के अनुसार विधिवत निष्पादित किया जाता है, तो वसीयत को केवल एक के लिए अस्वीकार नहीं किया जाएगा।

यहाँ संदिग्ध परिस्थिति या वहाँ कोई अन्य कारक।

29. लागू होने वाले सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हम उन कारकों और परिस्थितियों की जांच कर सकते हैं जो संदिग्ध हैं और विचाराधीन दस्तावेज़ पर उनका समग्र प्रभाव।

29.1 . वसीयत से संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों में प्रवेश करते समय, उस पृष्ठभूमि और व्यवस्था को दोहराना लाभदायक होगा जिसमें विवादित वसीयत को निष्पादित किया गया था। द.

विचाराधीन अचल संपत्ति सं। डी-17 9, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली मूल रूप से चुनाव लड़ने वाले दलों के पिता, टेस्टैट्रिक्स के पति का स्वामित्व था। इस संपत्ति की निचली मंजिल उपहार में दी गई थी।

अपीलार्थी को 25.01.2001 पर, जबकि पहली मंजिल और दूसरा हिस्सा उसके पति की तारीख वाली वसीयत के माध्यम से वसीयतनामा में आया था।

14.02.2001 . टेस्टैट्रिक्स के पति की मृत्यु 20.10.2002 पर हो गई। अपीलार्थी, वसीयतनामा की विवाहित बेटी, स्वीकार्य रूप से एक अलग घर में रह रही थी।

इलाका, यानी पंचशिला पार्क में वर्षों तक, जबकि वसीयतनामा का बेटा, जो सेना में सेवारत था, बाहर तैनात रहा और अंत में शिमला में रह रहा था। टेस्टैट्रिक्स एक कैंसर रोगी था और दिल्ली के एक सैन्य अस्पताल में उसका नियमित इलाज चल रहा था। महत्वपूर्ण रूप से, वसीयतनामा विचाराधीन इमारत के उक्त भूतल भाग में रह रहा था (जो पहले से ही उसके पिता द्वारा उपहार के आधार पर अपीलार्थी की संपत्ति बन गई थी)। उत्तरदाता नंबर 1, वसीयतनामा की विधवा बेटी, अपनी बेटी के साथ उसी इमारत की पहली मंजिल पर रह रही थी। मान लीजिए, घर की उक्त पहली मंजिल उसके पति की वसीयत के आधार पर वसीयतनामा की संपत्ति थी। यह बहुत विवाद का विषय नहीं है कि प्रतिवादी नंबर 1, एक ही इमारत में रहते हुए, वृषण की देखभाल कर रहा था और उसे इलाज के लिए सेना के अस्पताल भी ले जा रहा था।

29.2 . दी गई व्यवस्था में, एक बुनियादी सवाल तुरंत सामने आता है

इस बारे में कि वसीयतनामा के [2020] 6 एस. सी. आर. प्रदान करने के इच्छुक होने का क्या कारण हो सकता है।

अपीलार्थी को उसके अन्य दो बच्चों की वरीयता में बड़ा हिस्सा देकर उसकी संपत्ति का असमान वितरण। अपीलार्थी ने सुझाव दिया है कि माता-पिता को उसके प्रति विशेष स्नेह था। भले ही इस सुझाव को इसके अंकित मूल्य पर लिया जाए, यह मान लेना मुश्किल है कि एक बच्चे के प्रति कथित विशेष स्नेह अनिवार्य रूप से तिरस्कार के अनुरूप होना चाहिए।

उसी माँ द्वारा अन्य बच्चों की ओर। भले ही माता-पिता को अपीलार्थी के प्रति विशेष पसंद और स्नेह हो, जैसा कि पिता द्वारा संपत्ति के भूतल के पक्ष में दिए गए उपहार के संदर्भ में तर्क दिया जा सकता है, यह बहुत दूर तक फैला हुआ और अप्राकृतिक होगा।

यह मानने के लिए कि अपीलार्थी के प्रति इस तरह के विशेष स्नेह के कारण, माँ अन्य बच्चों से बहुत दूर चली गई, जिसमें शामिल हैं

विधवा बेटी जो उसी की ऊपरी मंजिल पर रह रही थी घर और उसकी देखभाल कौन कर रहा था। सामान्य और प्राकृतिक पाठ्यक्रम में, एक व्यक्ति से बच्चे को लेने के प्रति अधिक झुकाव की उम्मीद की जा सकती है।

संपत्ति के निपटान या कानूनी उत्तराधिकारियों, विशेष रूप से आश्रितों के अन्यायपूर्ण बहिष्कार को एक संदिग्ध परिस्थिति माना जाता है। अपीलार्थी एक छोटा सा कारण भी बताने में विफल रहा है जिसके लिए वसीयतनामा ने अपनी विधवा बेटी को ऐसे ढेर में छोड़ना उचित समझा होगा। विचाराधीन वसीयत से उत्पन्न होने वाली अनिश्चितता। समान रूप से, वसीयतनामा और उसके बेटे (प्रतिवादी संख्या 2) के बीच संबंधों की मोटाई की कमी के बारे में सुझाव रिकॉर्ड पर साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। तथ्य.

अपने बेटे को जन्मदिन की बधाई भेजने और उसके साथ पारिवारिक समारोहों में शामिल होने के बारे में, भले ही माँ और उसके बेटे के बीच एक बहुत बड़ा बंधन स्थापित न हो, वे कम से कम अपने संबंधों में किसी भी तनाव के बारे में सुझाव को मानते हैं। जो भी हो, भले ही वसीयतनामा के पुत्र से संबंधित मामले का आगे विस्तार नहीं किया गया हो, यह समझ में नहीं आता है कि क्यों वसीयतनामा पर्याप्त बनाने में रुचि नहीं रखता था।

और उसकी विधवा बेटी (प्रतिवादी संख्या 1) के उद्देश्य के लिए ठोस प्रावधान।

29.3 . संपत्ति के अस्पष्टीकृत असमान वितरण का उपरोक्त कारक निर्माण से संबंधित दो प्रमुख कारकों से भ्रमित है - विचाराधीन इच्छाः एक, प्रक्रिया में अपीलार्थी द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका; और दूसरा, प्रक्रिया में वसीयतनामा के अन्य बच्चों का आभासी बहिष्कार। जैसा कि देखा गया है, इसके तहत लाभार्थी द्वारा वसीयत बनाने में एक सक्रिय या अग्रणी भाग को हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका माना गया है।

संदेह को जन्म देने वाली परिस्थिति लेकिन, किसी भी अन्य परिस्थिति की तरह, यह कविता कंवर बनाम।

एमआरएस। पामेला मेहता और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

20.05.2003 पर प्रश्न। जैसा कि देखा गया है, प्रासंगिक समय पर, अपीलार्थी लगभग 20-22 वर्षों से दूर और एक अलग इलाके में रह रहा था, जबकि वसीयतनामा कर्ता इमारत के भूतल पर रह रहा था और प्रतिवादी संख्या 1 पहली मंजिल पर था। अगर हम प्रतिवादी संख्या 2, जो शिमला में रह रही थी, के मामले को एक तरफ छोड़ दें, तो भी इसका कोई कारण नहीं था कि सामान्य और सामान्य रूप से, वसीयतकर्ता ने विचाराधीन वसीयत के निष्पादन में प्रतिवादी संख्या 1 को शामिल नहीं किया होगा, विशेष रूप से जब वह कथित रूप से पर्याप्त व्यवस्था कर रही थी। प्रत्यर्थी संख्या 1 के कल्याण के लिए। दूसरे शब्दों में, यदि विचाराधीन वसीयत प्रत्यर्थी संख्या 1 को कोई पूर्वाग्रह पैदा किए बिना बनाई जा रही थी, तो उसे इस प्रक्रिया से दूर रखने का कोई कारण नहीं था।

मान लीजिए, विचाराधीन वसीयत का खुलासा लगभग तीन वर्षों तक नहीं किया गया था। इसलिए, वसीयत के निष्पादन के आसपास की अतिरिक्त विशेषता प्रक्रिया से प्रतिवादी संख्या 1 का अस्पष्टीकृत बहिष्कार था।

29.4 . उपरोक्त के अलावा, विचाराधीन वसीयत बनाने में अपीलार्थी की सक्रिय भागीदारी को इस कारण से मामूली कारकों में से एक के रूप में अलग नहीं रखा जा सकता है कि अपीलार्थी ने वास्तव में

बेगुनाही का चेहरा यह सुझाव देकर कि वसीयतनामा ने उसके साथ वसीयत पर चर्चा नहीं की; कि उसे पता नहीं था कि वसीयत का मसौदा किसने तैयार किया और यह कहाँ टाइप किया गया था; और कि उसे वसीयत के बारे में केवल 20/21.05.2003 पर पता चला। अपीलार्थी ने यह भी कहा कि उसने गवाहों को नहीं बुलाया और हो सकता है कि वसीयतकर्ता ने खुद उन्हें बुलाया हो। गवाह पीडब्लू

2 अपीलार्थी ने यह बयान देकर स्पष्ट रूप से विरोध किया है कि 18.05.2003 पर, यह अपीलार्थी ही था जिसने उसे अपनी माँ के घर पर आमंत्रित किया था। इस प्रकार, अपीलार्थी ने इस तथ्य से बचने के प्रयास के अपने आचरण से कि वह वसीयत के निष्पादन से कम से कम दो दिन पहले वसीयत बनाने के बारे में जानती थी, वसीयत के निष्पादन में अपनी सक्रिय भागीदारी के कारण उत्पन्न होने वाले संदेह को केवल मजबूत किया है, जबकि वसीयतनामा के अन्य बच्चों को प्रक्रिया से बाहर रखा है।

29.5 . इसके अलावा, जब हम विचाराधीन वसीयत को देखते हैं और उसके निष्पादन के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य की जांच करते हैं, तो कुछ और। अभिलेख के सामने संदेह के कारक उभरते हैं।

29.5. 1 . विचाराधीन दस्तावेज़ की सामग्री और ढांचे के संबंध में, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि अधिक

अनुमान की डिग्री जो "होलोग्राफ" वसीयत के मामले में उत्पन्न होती है, [2020] 6 एस. सी. आर. के रूप में।

जॉयस प्रिमरोज़ प्रेस्टर (ऊपर) के मामले में उल्लिखित, लागू होता है

वर्तमान मामले में भी, जहां व्यक्ति और वसीयत के विवरण से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री, उद्घाटन और समापन मार्गों में, वसीयतनामा द्वारा विधिवत अपने हाथ में लिखी जाती है। अपीलार्थी की ओर से इस प्रकार की गई प्रस्तुतियाँ अपनी-अपनी हैं। इस कारण से कमियां और कमियां हैं कि विचाराधीन वसीयत "होलोग्राफ" वसीयत के विवरण का सीधे जवाब नहीं देती है क्योंकि, उद्घाटन और समापन अंशों को छोड़कर, पूरी वसीयत इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट में है। वसीयत करने वाले हिस्से का मूल भी प्रिंट में होता है न कि लिखावट में। जॉयस प्रिमरोज़ प्रेस्टर के मामले में, पूरी वसीयत हाथ से लिखी गई थी, जो यहाँ नहीं है। इसके साथ यह स्वीकार किया गया तथ्य बना हुआ है कि हस्तलिखित भाग भी स्वयं वसीयतनामा की बोलचाल के नहीं हैं। उन्होंने उन्हें केवल अपने पास उपलब्ध एक नोट से कॉपी किया था; और दस्तावेज़ से यह स्पष्ट है कि ऐसे हस्तलिखित भाग कागज पर खींची गई आधार रेखाओं पर लिखे गए हैं।

एक स्वतंत्र हाथ और एक स्वतंत्र दिमाग का समन्वित कार्य, यानी हाथ वही लिखता है जो दिमाग से निकलता है और दिमाग द्वारा दिया जाता है। वर्तमान मामले में, यह इस बात से संतुष्ट होना मुश्किल है कि वसीयतनामा द्वारा हाथ में जो लिखा हुआ पाया गया है, वह उसके अपने दिमाग द्वारा निर्धारित किया गया था ताकि उसे उसकी अपनी स्वतंत्र इच्छा की अभिव्यक्ति बनाया जा सके।

29.5. 3 . इसके अलावा, हस्तलिखित भागों में "वसीयतनामा" और "सेट एंड सब्स्क्राइब्ड माई हैंड" जैसी औपचारिक और कानूनी अभिव्यक्तियाँ होती हैं, जो एक व्यक्ति द्वारा नियोजित भाषा के उपकरण हैं जो है

कानूनी प्रारूप और इस तरह के एक के निष्पादन के लिए आवश्यकताओं के साथ बातचीत दस्तावेज़; और, आम तौर पर, वसीयतनामा जैसे आम व्यक्ति से उनके साथ बातचीत करने की उम्मीद नहीं की जाती है। मुद्रित भाग में यह भी होता है

"कोडिसिल", "देना, योजना बनाना और वसीयत" जैसी अभिव्यक्तियाँ, जो आम आदमी की अभिव्यक्तियाँ नहीं हैं। दी गई परिस्थितियों में, इस बारे में साक्ष्य की कमी कि मुद्रित भाग का मसौदा किसने तैयार किया और उक्त नोट (बिंदीदार रेखाओं पर प्रतिलिपि बनाने के लिए) संदेह की ओर एक अतिरिक्त कारक बन जाता है कि क्या विचाराधीन दस्तावेज़ की सामग्री, वास्तव में, उत्तराधिकार के प्रति वसीयतनामा की वास्तविक इच्छा को व्यक्त करती है।

उसकी संपत्ति।

29.5. 4 . विचाराधीन दस्तावेज़ के निष्पादन की प्रक्रिया से संबंधित संदिग्ध परिस्थितियों का यह समूह अभेद्य कविता कंवर बनाम तक पहुँचता है।

एमआरएस। पामेला मेहता और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

मौखिक साक्ष्य में विरोधाभासों के एक अन्य प्रमुख भाग द्वारा समापन। अपीलार्थी ने अपनी गवाही में जोर देकर कहा कि वसीयतनामा ने प्रमाणक गवाहों के साथ वसीयत की सामग्री पर चर्चा की, लेकिन दोनों (पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3) ने लगातार कहा कि सामग्री पर उनके साथ चर्चा नहीं की गई थी। इस प्रकार, अपीलार्थी इस संदेह को दूर करने में विफल रहा है कि क्या प्रश्नगत दस्तावेज़ में (हाथ से और प्रिंट दोनों में) जो लिखा हुआ पाया गया है, वह वसीयतनामा की अंतिम इच्छा को व्यक्त करता है या नहीं।

30. इससे भी आगे जाकर, जब विचाराधीन दस्तावेज़ की मुख्य सामग्री की जांच की जाती है, तो हम जो पाते हैं वह कई अस्पष्टताओं का एक और भार है।

संदेह और अनिश्चितताओं की विविधता। हम यह देखने में जल्दबाजी करेंगे कि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 81 के अनुसार, यदि वसीयत के सामने कोई अस्पष्टता या कमी है, तो वसीयतकर्ता के इरादों के बारे में कोई बाहरी सबूत स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस प्रकार, वर्तमान मामले में वसीयतनामा के सच्चे इरादे से संबंधित सब कुछ विचाराधीन वसीयत की सामग्री से ही एकत्र किया जाना है।

30.1 . वसीयत सामग्री के खंड 1 की शर्त के अनुसार, पहली मंजिल, छत और भूतल को छोड़कर अन्य सभी संपत्तियां।

अपीलार्थी को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वह दो विकल्पों में से किसी एक को पूरा करेगी जो उचित समझा जाता है, अर्थात्, या तो इमारत की छत पर ऐसी आवासीय सुविधा का निर्माण करना जो वसीयत के निधन के समय नगरपालिका भवन उप-कानूनों के तहत अनुमेय हो और उस पर छत के अधिकारों को बनाए रखते हुए निर्माण का कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 को सौंपना; या वैकल्पिक रूप से, पूरे भवन को ध्वस्त करना और ऐसा निर्माण करना जो नगरपालिका भवन उप-कानूनों के तहत अनुमेय हो और उसका अनन्य मालिक बन जाए, सिवाय इसके कि ऐसी इमारत की सबसे ऊँची मंजिल प्रतिवादी संख्या 1 के पास जाएगी, जबकि फिर से, छत के अधिकार अपीलार्थी के पास रहेंगे। पहले ब्लश पर, ऐसा लग सकता है जैसे कि इनसे

शर्तों के अनुसार, वसीयतनामा विधिवत रूप से प्रतिवादी संख्या 1 के हितों का ध्यान रख रहा था। हालांकि, एक बारीकी से नज़र डालने से कई सवाल उठते हैं जो

कोई प्रशंसनीय उत्तर नहीं है। 30.2 . उक्त शर्तों में, न तो अपीलार्थी को अपेक्षित निर्माण करने के लिए कोई समय सीमा प्रदान की गई है और न ही प्रकृति,

इस तरह के निर्माण की गुणवत्ता और विस्तार को स्पष्ट किया गया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि अपीलार्थी के इस तरह के निर्माण को नहीं करने की स्थिति में क्या होगा, यानी कि क्या वह पहले से ही वसीयत की गई संपत्ति से विच्छेदित होगी?

30.3 . उपरोक्त सभी पहलुओं के अलावा, मौलिक तथ्य यह है कि कोई भी शर्त कानूनी रूप से नहीं की जा सकती थी

30.6 . यह सामान्य बात है कि उनके पास जो था, उससे बेहतर उपाधि कोई नहीं दे सकता; जैसा कि इस उक्ति में व्यक्त किया गया हैः ' जिसे कोई नहीं मानता था। वसीयतनामाधारी का संपत्ति पर कभी कोई अधिकार नहीं था अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 1 को ऐसी किसी भी संपत्ति से अवगत नहीं करा सकता था जो अपीलार्थी के स्वामित्व की थी या जिसे भविष्य में अपीलार्थी द्वारा उसकी अपनी निधियों द्वारा अधिग्रहित या जुटाया जा सकता था। केवल इस आधार पर, प्रश्नगत वसीयत को उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 89 के अनुसार शून्य माना जाना आवश्यक है, जब प्रधान वसीयत करता है।

वसीयत में शर्त अनिश्चितता से ग्रस्त है।

30.7 . विचाराधीन वसीयत पर बारीकी से नज़र डालने से इसकी सामग्री की एक और दिलचस्प, परेशान करने वाली विशेषता सामने आती है। जबकि पहले 9 उदाहरण के लिए, नरिंदर सिंह राव बनाम देखें। एयर वाइस-मार्शल महिंदर सिंह राव और अन्य। : (2013) 9 एस. सी. सी. 425, जहाँ वसीयतनामा ने अपने हिस्से से अधिक संपत्ति विरासत में दी थी और इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि वसीयतनामा को केवल वसीयतनामा द्वारा रखे गए हिस्से की सीमा तक ही माना जाना चाहिए।

कविटा कंवर बनाम। एमआरएस। पामेला मेहता और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

वसीयत के हिस्से के खंड 1 के उपखंड (ए) में वैकल्पिक

वसीयतकर्ता को उम्मीद होगी कि अपीलकर्ता "नगरपालिका के तहत अनुमत क्षेत्र की आवासीय सुविधा" का निर्माण करेगा।

मेरे निधन के समय बाइ-लॉ का निर्माण ", जबकि, उसके उपखंड (बी) में, वसीयतनामा ने विकल्प प्रदान किया कि अपीलार्थी नया निर्माण करेगा" जैसा कि नगर निगम के तहत अनुमेय है। बिल्डिंग बाय-लॉज "। उपखंड (क) में "मेरे निधन के समय" अभिव्यक्ति उपखंड (ख) में नहीं आती है। अब, यह प्राथमिक बना हुआ है कि यदि किसी निर्माण को खड़ा किया जाना है, तो उसे निर्माण के प्रासंगिक समय पर लागू और लागू होने वाले बिल्डिंग बाय-कानूनों या विनियमों के अनुरूप होना चाहिए। वसीयतनामा यह प्रावधान करके कानून के संचालन को ओवरराइड नहीं कर सकता था कि निर्माण को उसकी मृत्यु के समय अलविदा कानूनों के तहत अनुमेय रूप से उठाया जा सकता था। यदि उपखंड (क) का अर्थ यह नहीं था, तो यह संदिग्ध बना हुआ है कि "मेरे निधन के समय" अभिव्यक्ति वहाँ क्यों हुई और सवाल यह है कि उपखंड (ख) में इसे क्यों हटा दिया गया?

प्रकृति और जो अस्पष्ट हो गए हैं। इन संदिग्ध परिस्थितियों का संचयी प्रभाव यह है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि वसीयतनामा वसीयत की सामग्री के अर्थ, उद्देश्य और प्रभाव के बारे में जानता था और समझता था। अपीलार्थी, जांच की मांग करते हुए, न केवल उपरोक्त संदिग्ध परिस्थितियों को हटाने और स्पष्ट करने में विफल रहा है, बल्कि यहाँ तक कि उन्होंने प्रत्येक संदिग्ध परिस्थिति को अधिक महत्व देने में अपनी भूमिका निभाई है। विचाराधीन वसीयत की किसी भी दृष्टिकोण से जांच नहीं की जा सकती है।

वसीयत के कथित तीसरे पृष्ठ का जिज्ञासु मामला

32. क्योंकि यहाँ ऊपर जिस पर चर्चा की गई है, यह स्पष्ट है कि विचाराधीन वसीयत कई संदिग्ध परिस्थितियों से घिरी हुई है, जिन्हें साफ नहीं किया गया है; बल्कि हर संदिग्ध परिस्थिति दूसरी की तुलना में अधिक चौंका देने वाली है। यहां तक कि बात का अंत भी नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विचाराधीन वसीयत की जांच को केवल अस्वीकार किया जा सकता था। यह विचाराधीन वसीयत के कथित तीसरे पृष्ठ का जिज्ञासु मामला है और उस संबंध में अपीलार्थी का अस्थिर रुख है। इस पहलू, प्रतिबल, को बुनियादी ढांचे के रूप में थोड़ा विस्तार की आवश्यकता है। 33.1 . जैसा कि पूर्ववर्ती पैराग्राफ 13 और इसके उप-पैराग्राफ में देखा गया है, मुकदमे के दौरान, 24.03.2008 पर, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलार्थी की आगे प्रतिपरीक्षा करने का अवसर मांगने के लिए धारा 151 सी. पी. सी. के तहत एक आवेदन दायर किया। इस आवेदन में, प्रतिवादी

नं. 1 ने, अन्य बातों के साथ-साथ, विचाराधीन वसीयत के कथित तीसरे पृष्ठ से संबंधित याचिका दायर करने का प्रयास किया। इस आवेदन को निचली अदालत ने 25.03.2008 पर, इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया था कि

इस तीसरे पृष्ठ पर, जैसा कि पहली बार रिकॉर्ड पर आ रहा है, विश्वास नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जब उस संबंध में क्रूस में कुछ भी नहीं पूछा गया था

पीडब्लू-1 की जांच। 33.1. 1 . इसके बाद, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एक और आवेदन दायर किया जिसमें उसने अपना लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति मांगी और माफी मांगी।

देरी से। पुनः, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उक्त तीसरे का उल्लेख करने का प्रयास किया।

वसीयत का पृष्ठ, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित प्रस्तुतियों के साथः

" 4. प्रत्यर्थी संख्या 2 प्रस्तुत करती है कि कथित वसीयत के तीसरे पृष्ठ के अस्तित्व के बारे में उसकी जानकारी की कमी और याचिकाकर्ता द्वारा पूरी तरह से आश्वस्त होने के कारण कि

प्रत्यर्थी संख्या 2 को वसीयत के अनुसार उसका हिस्सा मिलेगा।

नंबर 2 ने प्रारंभिक चरण में आपत्तियां दर्ज नहीं कीं।

5. प्रत्यर्थी संख्या 2 प्रस्तुत करती है कि कथित वसीयत याचिकाकर्ता की अभिरक्षा में पड़ी थी और वह केवल उस पर हस्तलिखित भाग के बारे में और उक्त वसीयत के तीसरे पृष्ठ के संबंध में उचित स्पष्टीकरण और स्पष्टीकरण दे सकती है, जिसे याचिकाकर्ता ने इस विद्वान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया था।

कुछ दुर्भावनापूर्ण "।

आवेदन के उपरोक्त भाग के जवाब में, वर्तमान

अपीलार्थी ने वसीयत के किसी भी तीसरे पृष्ठ के अस्तित्व से दृढ़ता से इनकार किया और अन्य बातों के साथ, निम्नानुसार प्रस्तुत कियाः " 4. आवेदन का वह पैरा संख्या 4 गलत है और इसलिए अस्वीकार कर दिया गया है। इस बात से इनकार किया जाता है कि वसीयत का कोई तीसरा पृष्ठ है, जैसा कि आरोप लगाया गया है या अन्यथा। यह माननीय न्यायालय पहले ही कविता कंवर बनाम के इस झूठे तर्क पर विचार कर चुका है।

एमआरएस। पामेला मेहता और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

प्रत्यर्थी सं. 2 ने अपने दिनांकित 11.04.2008 आदेश का अवलोकन किया। यहां तक कि वसीयत के अवलोकन से भी स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वसीयत दो पृष्ठों में है। इसके विपरीत कथन बेतुके, तुच्छ और किसी भी गुण से रहित हैं। यह सराहना की जा सकती है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 स्वीकार करती है कि वसीयत, जो कि वर्तमान याचिका का विषय है, लेकिन उसके दुर्भावनापूर्ण इरादों के कारण

अब स्वयं विरोधाभासी रुख अपनाना चाह रहा है, जिसकी कानून के तहत अनुमति नहीं है। यह सराहना की जा सकती है कि प्रतिवादी संख्या 2 एक शिक्षित महिला है और किसी भी ज्ञान की कमी के संबंध में कथन

आदि, गलत है और इसलिए अस्वीकार किया जाता है। इस बात से इनकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई आश्वासन दिया है, जैसा कि आरोप लगाया गया है या अन्यथा। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से इस प्रकार दायर किया गया आवेदन और आदेश IX नियम 7 के तहत प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से दायर किया गया एक अन्य आवेदन

सी. पी. सी. का फैसला ट्रायल कोर्ट द्वारा अपने दिनांक 03.07.2008 के आदेश में, अन्य बातों के साथ-साथ, इस टिप्पणी के साथ किया गया था कि 'कथित तीसरा पृष्ठ कोई अन्य दस्तावेज प्रतीत होता है और प्रथम दृष्टया यह नहीं है।

निश्चित रूप से वसीयत का तीसरा पृष्ठ '। 33.1. 2 . फिर भी, आदेश XI नियम 12 और 14 सी. पी. सी. के तहत प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से दायर एक आवेदन उसी को पेश करने की मांग करता है।

वसीयत के कथित तीसरे पृष्ठ को निचली अदालत ने अन्य बातों के साथ-साथ अपने आदेश 23.08.2008 द्वारा इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया था कि प्रतिवादी संख्या 2 ने पूरी वसीयत को जाली और मनगढ़ंत बताया था, इसलिए उसे यह विरोधाभासी रुख अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि तीसरा पृष्ठ है

असली और अन्य दो पृष्ठ जाली हैं। विचारण न्यायालय ने यह भी कहा कि अपीलार्थी का दावा केवल एक के संबंध में था अचल संपत्ति और एक बैंक खाता और किसी भी चल संपत्ति के संबंध में कोई दावा नहीं किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने आगे कहा कि भले ही यह माना जाता है कि मृतक ने अपने जीवनकाल के दौरान तीसरे पृष्ठ के अनुसार अपना व्यक्तिगत सामान, नकदी और गहने वितरित किए थे, फिर भी उस तीसरे पृष्ठ पर अब

बेकार हो जाता है क्योंकि चल संपत्ति का वितरण मृतक के जीवनकाल के दौरान हुआ था जबकि वसीयत को वसीयत की मृत्यु के बाद प्रभावी होना पड़ता है।

33.2 . इस प्रकार, विचारण न्यायालय में, अंतिम चरण में, प्रत्यर्थियों ने सुझाव देने का प्रयास किया, बल्कि इस निवेदन के साथ बने रहे कि

यह वसीयत का तीसरा पृष्ठ था, लेकिन इस सुझाव को अपीलार्थी ने विशेष रूप से इस आरोप के साथ अस्वीकार कर दिया कि उक्त तीसरा पृष्ठ उत्तरदाताओं द्वारा गढ़ा गया था। निचली अदालत ने स्वीकार किया कि

अपीलार्थी को इस हद तक प्रस्तुत करना कि ऐसा कोई तीसरा पृष्ठ मौजूद न हो।

33.3 . ऊपर जो देखा गया है उसकी निरंतरता में, हम उस प्रथम दृष्टया, ऐसे किसी तीसरे पृष्ठ के बारे में सुझाव को भी जोड़ सकते हैं। वसीयतनामा द्वारा बनाई गई वसीयत संदिग्ध प्रतीत होती है क्योंकि वसीयत का प्रश्न दो पृष्ठों में तैयार किया गया है; वसीयतनामा ने विशेष रूप से अपने हाथ में लिखा है कि वसीयत दो पृष्ठों में बनाई गई है; और दस्तावेज़ प्रभावी रूप से दूसरे पृष्ठ के निचले हिस्से में हस्ताक्षर के साथ समाप्त होता है

वसीयतनामा और दो प्रमाणक गवाह।

33.3. 1 . हालांकि, निचली अदालत की सभी टिप्पणियों और निष्कर्षों (विचाराधीन वसीयत के कथित तीसरे पृष्ठ के संबंध में) और यहां तक कि दस्तावेज़ Ex.PW1/H द्वारा दिए गए प्रथम दृष्टया प्रभाव के खिलाफ

वसीयत के ऐसे किसी भी तीसरे पृष्ठ का अस्तित्व तब हिल जाता है जब हम उच्च न्यायालय में अपीलार्थी के अजीब मोड़ और स्पष्ट चेहरे को ध्यान में रखते हैं, जहां उसकी ओर से यह दावा किया गया था कि उसने वास्तव में उक्त तीसरे पृष्ठ में वसीयतनामा के "निर्देशों" के अनुसार काम किया था!

34. अपीलार्थी के रुख में उपरोक्त उल्लेखनीय विचित्र परिवर्तन, जिसमें उसने दावा किया कि उसने उक्त तीसरे पृष्ठ के अनुसार कार्य किया है, का अपना दृष्टिकोण था।

पृष्ठभूमि. जैसा कि देखा गया, मुकदमे के दौरान, एक तथ्य सामने आया कि प्रोबेट के लिए याचिका दायर करने से पहले, अपीलार्थी ने रुपये की राशि का भुगतान किया था। 25,000 / - सत्यापित करने वाले गवाह पी. डब्ल्यू.-3 की बेटी को; और विचारण न्यायालय ने यह भी कहा कि इस गवाह के होने की संभावना रिश्वत देने से इंकार नहीं किया गया था। इस पहलू को फिर से दबाया गया था।

उत्तरदाताओं द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष। प्रत्यर्थियों की ओर से की गई ऐसी दलीलों का विरोध करते हुए और यह भी कहते हुए कि प्रत्यर्थी संख्या 1 अपने आचरण में निष्पक्ष नहीं थी, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष जोर देकर कहा कि हालांकि यह तीसरा पृष्ठ प्रत्यर्थियों की रचना थी, लेकिन उसने (अपीलार्थी) वसीयतनामा की इच्छा के अनुसार काम किया था जैसा कि उक्त तीसरे पृष्ठ में कहा गया है। यह विशेष रूप से

अपीलार्थी की ओर से कहा गया कि भुगतान के माध्यम से किया गया था

रुपये की राशि में चार चेक। 25,000 / - प्रत्येक, पीडब्लू-3 की बेटी, प्रतिवादी संख्या 1 की बेटी और उसके अपने दो बेटों (अपीलार्थी) के पक्ष में, उक्त "तीसरे पृष्ठ" में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए, जो मृतक का एक अलग निर्देश है।

विल '। अपीलार्थी की ओर से आगे यह दावा किया गया कि उसने उक्त तीसरे पृष्ठ में निर्धारित 'निर्देशों पर ईमानदारी से काम किया' और प्रत्यर्थी संख्या 1 की बेटी को कार सौंप दी और यहां तक कि कविता कंवर v भी दे दी।

एमआरएस। पामेला मेहता और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

स्वयं उत्तरदाता नंबर 1 के लिए शुभ सूचनाएँ! अपीलार्थी की ओर से यह प्रकाशित करने की मांग की गई थी कि उक्त तीसरा पृष्ठ यह साबित करता है कि

विचाराधीन वसीयत की वैधता।

34.1 . यहाँ ऊपर जो उल्लेख किया गया है, वह पूरी तरह से

उक्त तीसरे पृष्ठ के संबंध में अपीलार्थी का किराया स्टैंड विशेष रूप से है

1 उच्च न्यायालय में उनकी ओर से दायर लिखित दलीलों में। इस तरह के लिखित तर्कों के चींटी भाग को उपयोगी रूप से निकाला जा सकता है: :

" 1. कि पहली जगह में दोनों में से कोई चुनौती नहीं है

2 हस्ताक्षर और हस्त लेखन के लिए उत्तरदाता वसीयत पर गवाही; वास्तव में निम्नलिखित तरीके से वसीयत की वैधता को पर्याप्त रूप से स्वीकार किया गया हैः

नियुक्तियाँ

पृष्ठ 176-कृपया प्रार्थना के लिए पृष्ठ 181 देखें), में संयम के लिए एक आवेदन के खिलाफ प्राप्त कानूनी सलाह के अनुसार स्वयं परिवीक्षा याचिका दायर करें।

प्रत्यर्थी संख्या 2 एक स्पष्ट रूप से जवाबी कार्रवाई करता है और आगे प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति के लिए एक आवेदन दायर करता है

याचिकाकर्ता के संबंध में (i) वसीयत के होलोग्राफ भाग, (ii) वसीयत के तीसरे पृष्ठ का अस्तित्व, (iii) याचिकाकर्ता के पितृत्व पर संदेह और (iv) वसीयत में उसके अधिकारों की सीमा स्थापित करना। वसीयत के तहत मुकदमा संपत्ति।

आवेदन को 25.03.2008 दिनांकित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया जाता है।

(पृष्ठ 93 पर अनुलग्नक ए-7) लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 2 के फ़्लिप-फ़्लॉप स्टैंड को उसके प्रति किसी भी विश्वास से इनकार करने के लिए नोट किया जा सकता है।

तथाकथित "तीसरा पृष्ठ" पृष्ठ 97 पर अनुलग्नक ए-8 है, जो यह वसीयत का हिस्सा नहीं है, लेकिन [2020] 6 एस. सी. आर. द्वारा अलग से हस्ताक्षर किए गए थे।

टेस्टैट्रिक्स और वास्तव में लाभ के लिए कार्य किया गया है, के बीच अन्य, उत्तरदाता संख्या 2 स्वयं और उनकी बेटी।

यह समझ में नहीं आता है कि फिर प्रत्यर्थी याचिकाकर्ता द्वारा 4 नंबर जारी करने को कैसे चुनौती देता है। चेक, सभी रुपये की राशि में। 25,000 / - जनरल अहलूवालिया की बेटी का पक्ष लेते हुए,

प्रतिवादी संख्या 2 की बेटी और याचिकाकर्ता के 2 बेटे उक्त "तीसरे पृष्ठ" के निर्देशों के अनुपालन में, जो मृतक के वसीयत का एक अलग निर्देश है।

साथ ही उक्त निर्देशों के अनुपालन में प्रतिवादी संख्या 2 की बेटी को मृतक की मृत्यु के बाद याचिकाकर्ता द्वारा मृतक की कार दी गई है।

****

****

****

12. आर-3 सुनवाई में वसीयत के खिलाफ अपने मामले को आगे बढ़ाने के लिए गलत घरों की एक सूची पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे दिया गया हैः

श्री. नहीं।

बार में प्रस्तुतियाँ

झूठ को प्रकट करें

ई. ई. ई. ई

((ख)

याचिकाकर्ता ने दिया है

कथन एक बार फिर गलत है

Rs.25,000/- की बेटी को

आर-3 का ज्ञान जितना हो

यह वह और आर-2 है जिनके पास है

गवाहों में से एक

प्रभाव डालने के लिए

के रूप में वर्णित एक कागज का प्रतिपादन

किया
" वसीयत का तीसरा पृष्ठ

उसे।

सवाल यह है कि टेस्टैट्रिक्स में कहाँ है

के तरीके को निर्देशित किया

उसकी चल संपत्ति का वितरण,

यद्यपि वसीयत के रूप में नहीं,

लेकिन याचिकाकर्ता ने ईमानदारी से

दिए गए निर्देशों का पालन किया

उसमें (अनुलग्नक ए-8, पृष्ठ 97)

और न केवल Rs.25,000/- का भुगतान

किया
गवाह की बेटी मंदिरा

अहलूवालिया ने लेकिन एक राशि का

भुगतान भी किया है

से रु. 25,000 / - इसके अलावा विभिन्न

आर-2 के लिए गहने और एक कार

बेटी नोमिता मेहता भी

आर-2 को खुद के रूप में विभिन्न गहने

में निहित निर्देशों के अनुसार

कहा "तीसरा पृष्ठ"

***

***

***

13. कि सुनवाई में, आर-2, आर-3 की पुस्तक से एक पत्ता निकालते हुए, उसे आगे बढ़ाने के लिए गलत घरों की एक और सूची पर निर्भर करता है।

वसीयत के खिलाफ मामला, जैसा कि नीचे दिया गया है:

कविटा कंवर बनाम। एमआरएस। पामेला मेहता और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

झूठ को प्रकट करें

Sr.No।

बार में प्रस्तुतियाँ

((iv)

याचिकाकर्ता का वितरण

झूठा आरोप लगाया जाता है

धन और अन्य चल

वसीयत का तथाकथित "तीसरा पृष्ठ"

द्वारा छोड़ी गई संपत्ति

आर-2 और आर-3 द्वारा प्रस्तावित और

याचिकाकर्ता ने विभिन्न

टेस्टैट्रिक्स संदेह पैदा करता है

कि वह या तो खरीद रही थी

भुगतान और विभिन्न प्रकार से वितरित

के निधन के बाद चल

उत्तरदाता संख्या 2 और

साक्ष्य देने वालों में से एक

के संदर्भ में ईमानदारी से टेस्टैट्रिक्स

या संयुक्त का दुरुपयोग करना

उक्त पृष्ठ जिस पर विधिवत हस्ताक्षर किए गए थे

द्वारा रखा गया बैंक खाता

टेस्टैट्रिक्स लेकिन हिस्सा नहीं
बना

याचिकाकर्ता के साथ टेस्टैट्रिक्स।

एक कोडिसिल माना जाता है
लेकिन
याचिकाकर्ता ने आदेश का सम्मान किया

टेस्टैट्रिक्स जैसा कि एक टुकड़े
पर निर्धारित किया गया है
उसके द्वारा हस्ताक्षरित कागज।

****

***

***

(जोर देने के लिए रेखांकित
किया गया)

34.2 . विवादित फैसले के पैराग्राफ 49 में, उच्च न्यायालय ने

अपीलार्थी के इस तरह के रुख को ध्यान में रखते हुए, वसीयत के उसी विवादित तीसरे पृष्ठ पर भरोसा करने की कोशिश की और कहा कि यह तीसरा पृष्ठ अपीलार्थी द्वारा कभी पेश नहीं किया गया था; बल्कि जब प्रत्यर्थी संख्या 2 ने इसे पेश करने की मांग की, तो अपीलार्थी ने इससे इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि वसीयत का उक्त तीसरा पृष्ठ कभी साबित नहीं हुआ

विचारण न्यायालय के समक्ष; और भले ही इसे विद्यमान माना गया हो, संदिग्ध परिस्थितियों को दूर नहीं किया गया था।

35. हमारे विचार में, हालांकि उच्च न्यायालय ने सही कहा है कि

भले ही यह तीसरा पृष्ठ मौजूद माना जाता है, यह संदिग्ध परिस्थितियों को दूर नहीं करता है लेकिन उच्च न्यायालय जाने से चूक गया है थोड़ा और आगे और अपीलार्थी के उस स्पष्ट चेहरे पर ध्यान नहीं दिया है जिसके बारे में

यह तीसरा पृष्ठ संभावनाओं की प्रधानता को उसके खिलाफ भारी, बल्कि निर्णायक रूप से झुकाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि उक्त तीसरा पृष्ठ साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं किया गया है। अपीलार्थी के उलटफेर के बारे में यह तीसरा पृष्ठ हमें वसीयतनामा की अन्य परिसंपत्तियों से संबंधित कई संभावनाओं की जांच करने के लिए मजबूर करता है।

35.1 . जैसा कि देखा गया है, विचाराधीन वसीयत (Ex.PW1/H) तैयार की गई है।

दो पृष्ठ और अपने आप में पूर्ण है और मृतक की संपत्ति से संबंधित किसी अन्य संहिता के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता है, विशेष रूप से जब वसीयत न केवल अचल संपत्ति और बैंक खाते की की गई है, बल्कि अवशिष्ट खंड में वसीयतनामा की अन्य संपत्तियों के संबंध में भी की गई है, जो निम्नानुसार हैः

" 2. मैं यह भी निर्देश देता हूं कि मेरे आगे कुछ हासिल करने की स्थिति में इसके बाद चल या अचल संपत्ति या कोई अन्य संपत्ति जिसका मैं वर्तमान में उल्लेख करना भूल गया हूँ, वही होगी।

मेरी बेटी श्रीमती कविता कंवर को सौंप दो। "

35.1. 1 . अब, अभिलेख पर साक्ष्य और अपीलार्थी के रुख से, इसमें संदेह करने की कोई बात नहीं है कि कई अन्य थे उक्त अचल संपत्ति और बैंक खाते के अलावा वसीयतनामा की संपत्ति। उपरोक्त अवशिष्ट खंड के आधार पर, ऐसी सभी अन्य परिसंपत्तियां अपीलार्थी को विरासत में दी जाती हैं। दिए गए परिदृश्य में, दो गंभीर प्रश्न तत्काल ध्यान आकर्षित करते हैं। एक यह कि प्रोबेट की मांग करते हुए आवेदन करते समय, अपीलार्थी ने अन्य सभी संपत्तियों का खुलासा नहीं किया जो विचाराधीन वसीयत के उक्त अवशिष्ट खंड के आधार पर उसके हाथों में आने वाली थीं। दूसरा, जब दो पृष्ठों में कोई निर्देश नहीं था, तो किसी को भी भुगतान करने के लिए विचाराधीन वसीयत

या किसी के लिए किसी भी चल के साथ भाग लेने के लिए, क्या कारण था कि अपीलार्थी ने विभिन्न व्यक्तियों को भुगतान किया, जिसमें उसके अपने बेटे, प्रमाणक गवाह की बेटी और प्रतिवादी संख्या 1 की बेटी शामिल थे, इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 1 की बेटी को कार और प्रतिवादी संख्या 1 को गहने (जैसा कि लिखित प्रस्तुतियों में आरोप लगाया गया है)

उच्च न्यायालय के समक्ष)। अपीलार्थी के आचरण पर ये दोनों प्रश्न केवल विचाराधीन वसीयत के आसपास की संदिग्ध परिस्थितियों को गहरा करते हैं।

35.2 . दूसरी ओर, जैसे ही ऐसे तीसरे पृष्ठ के अस्तित्व की संभावना होती है जिसमें वसीयतनामा की इच्छा और निर्देश होते हैं

उसकी अन्य चल संपत्ति के वितरण को ध्यान में रखा जाता है, दस्तावेज़ Ex.PW1/H अपना सारा मूल्य खो देता है क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता है कि वसीयतनामा ने इसकी सामग्री के अर्थ और उद्देश्य को समझने के बाद इसे निष्पादित किया। यदि वह चल संपत्ति को अलग तरीके से और अलग-अलग व्यक्तियों को वितरित करने की इच्छा रखती थी (जैसा कि अपीलार्थी द्वारा आरोप लगाया गया था) उच्च न्यायालय के समक्ष), उपरोक्त अवशिष्ट खंड विचाराधीन वसीयत में बिल्कुल नहीं हुआ होगा। दूसरा, यदि यह माना जाता है कि वसीयत ने अपनी संपत्ति के वितरण के बारे में अलग-अलग निर्देश जारी किए हैं, तो विचाराधीन वसीयत उसकी अंतिम वसीयत नहीं होगी।

10 इससे पहले पैराग्राफ 8.2 में, हमने उसके अनुलग्नक-बी के साथ प्रोबेट की मांग करने वाले आवेदन की प्रमुख सामग्री को पुनः प्रस्तुत किया है, जिसमें केवल उक्त अचल संपत्ति और बैंक खाते में पड़ी राशि का उल्लेख किया गया था; और आवेदन के पैराग्राफ 12 में, अपीलार्थी ने अचल संपत्ति का उल्लेख किया है क्योंकि निर्दिष्ट शर्तों के साथ उसके हाथों में आने वाली एकमात्र संपत्ति है। 11 उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुतियों के अनुसार, अपीलार्थी ने वास्तव में वसीयत के ऐसे तीसरे पृष्ठ में निहित निर्देशों का पालन किया।

कविटा कंवर बनाम। एमआरएस। पामेला मेहता और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

36. इसलिए, सभी संदिग्ध परिस्थितियों को सीमित करने के लिए, वसीयत के तीसरे पृष्ठ के संबंध में अपीलार्थी का उपरोक्त अस्पष्ट रुख और वसीयत के उक्त तीसरे पृष्ठ में "निर्देशों" के अनुसार कार्य करने का उसका दावा, अपीलार्थी के पूरे मामले को प्रभावी रूप से नीचे की ओर धकेल देता है। इसमें पहले देखे गए तथ्यों और कारकों के कारण उत्पन्न होने वाले संदेह, जिसमें प्रत्यर्थियों का संपत्ति से अप्राकृतिक बहिष्कार; प्रत्यर्थी संख्या 1 के उद्देश्य के लिए अपीलार्थी द्वारा निर्माण के बारे में अनिश्चित और बल्कि अनिर्णायक शर्त; वसीयत के निष्पादन में अपीलार्थी द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका और फिर भी अपूर्ण और अस्पष्ट बयानों द्वारा अपनी भूमिका के तथ्य से बचने की कोशिश करना; और गवाहों ने भौतिक विवरणों आदि पर अपीलार्थी का खंडन किया है। , न केवल अस्पष्टीकृत हो गए हैं, बल्कि वसीयत की वसीयत के उक्त तीसरे पृष्ठ के संबंध में अपीलार्थी के इस तरह के अस्थिर रुख से भ्रमित हैं।

सारांश

37. पूर्वगामी चर्चा यह पता लगाने के लिए पर्याप्त है कि संदिग्ध परिस्थितियों के घने बादल विचाराधीन वसीयत पर मंडरा रहे हैं जो

साफ नहीं किया गया है; बल्कि प्रत्येक संदिग्ध परिस्थिति दूसरे द्वारा भ्रमित की जाती है और वसीयत के कथित तीसरे पृष्ठ का जिज्ञासु मामला अपीलार्थी के मामले को प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस बात से संतुष्ट होना मुश्किल है कि विचाराधीन दस्तावेज़ से जो सचमुच निकल रहा है, वह उसकी संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में वसीयतनामा की अंतिम इच्छा और इच्छा थी। इसके विपरीत, हम विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के भौतिक निष्कर्षों की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त और ठोस कारण पाते हैं कि यह नहीं कहा जा सकता है कि वसीयतकर्ता ने सामग्री के अर्थ, प्रभाव और उद्देश्य को समझने के बाद अपनी वसीयत के रूप में विचाराधीन दस्तावेज़ को निष्पादित किया और हस्ताक्षर किए।

38. परिणाम, अपरिहार्य, यह है कि यह अपील खारिज की जानी चाहिए। समवर्ती निष्कर्षों की पुष्टि होने के साथ और जब अपीलकर्ता कार्यवाही के विभिन्न चरणों में स्पष्ट रूप से अभाव में पाया जाता है, तो लागत इस अपील को खारिज करने के परिणाम के बाद आनी चाहिए।

निष्कर्ष

39. तदनुसार, और उपरोक्त को देखते हुए, यह अपील विफल हो जाती है और इसलिए, रुपये की लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है। 50,000 / - (पचास रुपये

हजार), जो अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 और प्रत्यर्थी संख्या 2 को समान रूप से देय है।

या

चिका खारिज कर दी गई।

अंकित ज्ञान